"बुन्देल-खण्ड क्षेत्र में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाज शास्त्रीय अध्ययन"

पी-एच० डी० (समाज शास्त्र) हेतु प्रस्तुत

शोध-ग्रन्थ

बुन्देल-खण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

1999

शोध पर्यवेक्षक-

डा० एस०बी० खरया

पूर्व-अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग,
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय
झांसी

शोध छात्रा-

नीरज मिश्रा

एम० ए० समाजशास्त्र

बुन्देल-खण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

:: घोषणा - पत्र ::

मैं नीरज मिश्रा शपथपूर्वक घोषित करती हूँ कि मेरे द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में पी-एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत किया गया शोध ग्रन्थ जो कि समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत **"बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन"** शीर्षक पर प्रस्तुत किया गया है । यह मेरी मौलिक रचना है । जिन सहायक पुस्तकों आदि की सहायता ली गयी है, उनका उल्लेख सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में कर दिया गया है । यदि इस घोषणा के बाद में असत्य पायी जाती है तो उसका सारा उत्तरदायित्व मेरा होगा ।

नीरज मिश्रा

(नीरज मिश्रा)

-:: प्रमाण - पत्र ::-

मैं प्रमाणित करता हूँ कि **नीरज मिश्रा** ने **"बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन"** विषय पर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के शोध अध्यादेश में उल्लिखित निर्धारित अवधि तक उपस्थित रहकर मेरे निर्देशन में परिश्रम के साथ शोधकार्य पूर्ण किया है । इसकी विषय सामग्री मौलिक है । यह बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पी-एच0डी0 के सभी उपबन्धों की पूर्ति करता है । मैं संस्तुति करता हूँ कि यह इस योग्य है कि विश्वविद्यालय में मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जाये ।

डा0 शरण बिहारी खरया
पूर्व अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग,
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,
झाँसी ।

आ भा र   प्र द र्श न

शिक्षा वह ज्योति है जो विश्व देश व राज्य के सभी पक्षों को ज्योर्तिमय करती है । शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो निरक्षरता की समस्याओं के प्रति ऐसी धारणाओं का तथा व्यवहार का विकास करने में सहायक हो । जो व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिए हितकारी हो ।

वर्तमान युग में स्त्री शिक्षा का होना अनिवार्यता बन गई है और सम्पूर्ण विश्व के सर्वांगीण विकास के लिए स्त्री शिक्षा का होना अति आवश्यक है ।

शोधकर्ती अपने शोधकार्य में **"डा0 शरण बिहारी खरया - पूर्व विभागाध्यक्ष - समाजशास्त्र विभाग,झाँसी"** की हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने अपना स्नेहपूर्ण आर्शीवाद इस शोध हेतु प्रदान किया । शोधकर्ती डा0 वेद प्रकाश अग्रवाल डी0लिट, रीडर शिक्षा विभाग, टी0टी0पी0जी0 कालेज,सीतापुर का हृदय से अभार प्रकट करती हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्य को पूर्ण करने में अपूर्व सहयोग दिया तथा समय-समय पर शोधकार्य हेतु साहस एवं प्रेरणा प्रदान की ।

शोधकर्ती डा0 कमलेश शर्मा, अधीक्षक बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकती, जिनके अपार सहयोग के बिना यह शोधकार्य पूर्ण नहीं हो सकता था ।

शोधकर्ती डा0 श्रीमती राज अग्रवाल,प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,मिश्रिख के प्रति आभार प्रकट करती हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर समय-समय पर सहायता की ।

शोधकर्ती अपने पति डा0 विनोद कुमार त्रिपाठी "चेस्ट स्पेस्लिस्ट" के प्रति आभार प्रकट करती हैं, जिन्होंने तन-मन-धन से शोधकार्य को पूर्ण करने में सहायता की है ।

शोधकर्ती अपने परम् आदरणीय पित्र तुल्य ससुर श्री रमाकांत त्रिपाठी एवं मातृतुल्य सासजी श्रीमती सावित्री त्रिपाठी की आभारी है, जिनके आर्शीवाद से इस कार्य को करने की प्रेरणा मिली ।

शोधकर्ती अपनी स्व0 दादी सास श्रीमती सूर्या त्रिपाठी की आभारी हैं, यह शोध कार्य उन्हीं के आर्शीवाद एवं प्रेरणा का प्रतीक है, इसे उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करती हैं ।

शोधकर्ती अपने परम् आदरणीय पिता डा० आर०एस० मिश्रा तथा श्रीमती सरोजनी मिश्रा की तहेदिल से आभारी है, जिन्होंने यहाँ पर पहुँचने का मार्गदर्शन किया तथा "अभिषेक" व "आकाश" अपने बच्चों तथा सभी परिवारजनों की भी आभारी हैं, जिन्होंने कार्य करने में सहयोग दिया ।

अन्त में शोधकर्ती उन सभी अधिकारियों का भी हृदय से आभार प्रकट करती हैं, जिन्होंने समय-समय पर इस शोधकार्य हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव व सामग्री उपलब्ध करायी ।

दिनांक :

(नीरज मिश्रा)

:: विषय - सूची ::

प्रथम अध्याय

द्वितीय अध्याय

तृतीय अध्याय

:: तालिका - सूची ::

:: रेखाचित्र - सूची ::

प्रथम अध्याय

हमारे देश में शिक्षा पुरातन है । भारत में शिक्षा की जड़ें विदेशी नहीं हैं । वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिक तक, शिक्षकों और विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम रहा है । शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है । शिक्षा द्वारा हमारे संशयों का उन्मूलन और कठिनाइयों का निवारण होता है तथा विश्व को समझने की क्षमता प्राप्त होती है ।

"ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रम्,

समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम्"[1]

दो नेत्रों से जो देखने को रह जाता है, वह विद्यारूपी तृतीय नेत्र से देखा जाता है । बिना विद्या के मनुष्य व पशु में कोई अन्तर नहीं रह जाता है ।

वैदिक युग में जब बालक पाँच वर्ष का हो जाता था, तो शिवजी को प्रणाम कर (ऊँ नमः शिवाय) से विद्यारम्भ करता था । प्रारम्भ में उसको अक्षर ज्ञान कराया जाता था, फिर उसका उपनयन संस्कार होता था और उसके बाद बच्चे पर आश्रम की अनुशासन प्रणाली लागू हो जाती थी । जैसे - आश्रम के लिए जंगल से लकड़ी काटकर लाना, भिक्षा के लिए जाना, सादा जीवन व्यतीत करना आदि ।

उस समय शिक्षण विधि मौखिक थी । छात्रों को आचार्य द्वारा दिये ज्ञान को कंठस्थ करना पड़ता था । छात्रों को वेद, वेदांग, पुराण, धार्मिक ग्रन्थों की शिक्षा दी जाती थी, साथ ही साथ लौकिक ज्ञान भी दिया जाता था ।

1- अग्रवाल डा0 बी0बी0 - आधुनिक भारतीय शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, डा0 रांगेय राघव मार्ग, आगरा, सन् 1995, पृष्ठ संख्या - 2 ।

"शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के अंग हैं । प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य इनका सर्वांगीण विकास करना था ।"[1]

उस समय शिष्य के हृदय में भी गुरू के प्रति आदर तथा विश्वास की भावना थी, वह गुरू का स्थान देव तुल्य समझते थे, और गुरू की सेवा करना अपना परम् कर्तव्य समझते थे । गुरू को समाज और शिष्य दोनों ही सम्मान देते थे ।

"गुरूब्रह्मा गुरूर्विष्णुः गुरूर्देवो महेश्वरः ।
गुरूः साक्षात् परंब्रह्म तस्मै श्री गुरूवेः नमः ।।"[2]

गुरू ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं । गुरू ही परंब्रह्म् का साक्षात स्वरूप हैं । ऐसे गुरू के चरणों में शिष्य शीश झुकाते थे ।

वैदिक काल में स्त्रियों का समाज में पर्याप्त सम्मान होता था । बालिकाओं के लिए भी उपनयन की व्यवस्था थी । ऋग्वेद की बहुत सी ऋृचाओं की रचयिता स्त्रियाँ मानी जाती हैं । उर्वशी, अपाला, विश्वतारा उस समय की प्रसिद्ध विदुषी महिलायें थीं । याज्ञवल्लय की पत्नी मैत्रेयी परम् विदुषी स्त्रियाँ थीं । कुन्ती के लिए कहा जाता है कि वे अर्थवबेद की प्रकाण्ड पण्डित थीं । रामायण में अत्रेयी की कथा है जो बाल्मीकि तथा अगस्त मुनि के आश्रम में लव और कुश के साथ वेदान्त का अध्ययन करती थीं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि कन्याओं के लिए संगठित शिक्षा संस्थायें नहीं थीं, तथा उनकी शिक्षा घर पर ही माता-पिता, भाई कुलपुरोहितों द्वारा होती थीं । कुछ धनी वर्ग के लोग अध्यापकों को भी नियुक्त कर लेते थे । सूत्रों के आधार पर डा0 राधाकमल मुकर्जी का विचार है, कि कतिपय स्त्रियाँ वैदिक शाखा विद्यालयों में भी प्रवेश प्राप्त कर लेती थीं, और कहीं-कहीं उनके लिए छात्रावासों की भी व्यवस्था थी ।

1- अल्तेकर - "एजुकेशन इन ऐन्सियेट इण्डिया" - नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स, वाराणसी, पेज संख्या - 159, सन् 1954 ।
2- पूर्वोक्त - पेज संख्या - 6

वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ, हिन्दू धर्म में बाह्य आडम्बरों पर अत्यधिक बल दिया जाता था । जनता हिन्दू धर्म के कर्मकाण्डों से ऊब चुकी थी । अतः ऐसे समय में महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म में व्याप्त दोषों को दूर कर बौद्ध धर्म की स्थापना की, महात्मा बुद्ध ने बाह्य आडम्बरों का खण्डन करते हुए आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया है ।

इस शिक्षा में गुरूकुल की व्यवस्था नहीं थी, शिष्य अथवा भिक्षु मठों या बिहारों में रहते थे । बिहार सम्पूर्ण भारत में बौद्ध धर्म की श्रृंखला के रूप में फैले हुए थे । इनके मिलने से संघ का अस्तित्व था । इन मठों में विद्यार्थी और उपाध्याय साथ-साथ रहते थे, तथा वैदिक शिक्षा की भाँति उनके सम्बन्ध भी मधुर होते थे ।

बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन में "निर्वाण" प्राप्त करना था । अतः शिक्षा भी धर्म प्रधान थी । सुत्रन्त, विनय, साहित्य तथा धर्म इत्यादि ही उनके शिक्षा के विषय थे । अधिकांश बौद्ध ग्रन्थ पाली में थे । बौद्ध काल में शास्त्रीय शिक्षा के अतिरिक्त औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी । कातना, बुनना, सिलाई, शिल्प, चिकित्सा, आर्युर्वेद की भी शिक्षा दी जाती थी । ब्राह्मण काल की तरह कृषि, व्यापार, कुटीर उद्योग में भी प्रशिक्षण दिया जाता था ।

बौद्ध धर्म में स्त्री को त्याज्य समझा जाता था । वैदिक शिक्षा के अन्तर्गत स्त्रियों को जो उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी, वह लगभग समाप्त हो गई थी । फिर भी महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बिहारों और मठों में रहने की आज्ञा दे दी थी । वे बौद्ध भिक्षुणियाँ कहलाती थीं । इनमें से कुछ उच्चकोटि की विदुषी महिलाएँ भी थीं । सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा लंका आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गयी थीं । विजयंका को कालिदास के बाद दूसरे नम्बर की कवियत्री माना जाता है ।

मध्यकाल और स्त्री शिक्षा - प्रारम्भ में मुस्लिम शिक्षा शहरी क्षेत्रों तक सीमित रही । मुस्लिम काल में प्रारम्भिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी । मकतब इस्लामी प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को 3 आर.एस. पढ़ाना, लिखाना, गणित की शिक्षा देना तथा ऐसी धार्मिक प्रार्थनायें सिखाना था, जो प्रतिदिन की जाती थीं या जिनकी धार्मिक उत्सवों में आवश्यकता थी ।

भारत में मुगल साम्राज्य ने शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन दिया । भारत में बाबर मुगल साम्राज्य का प्रथम बादशाह था । यद्यपि वह स्वयं विद्वान एवं कवि था । तथापि अपने अल्प शासन काल में (1526-30) शिक्षा के लिए कुछ भी न कर सका । हुमायूँ ने अवश्य दिल्ली में एक विशाल मदरसा निर्मित कराया । हुमायूँ के मकबरे में भी एक मदरसा खोला गया । मुगल सम्राटों में अकबर महान (1556 - 1605) था । यद्यपि वह स्वयं निरक्षर था, परन्तु बहुत होशियार था । उसने बहुत से विद्यालयों व पुस्तकालयों की स्थापना करायी । उसने हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया । जहाँगीर (1605-27) भी शिक्षा प्रेमी था। उसने राजाज्ञा जारी की थी कि जो धनवान नागरिक बिना उत्तराधिकारी छोड़े हुए मरेगा, उसकी सम्पति शिक्षा की उन्नति हेतु राज्य में मिला ली जायेगी । शाहजहाँ (1628-58) ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति नहीं की, परन्तु अपने पिता और दादा द्वारा किये गये कार्य को बनाये रखा । उसकी पुत्री जहाँआरा ने एक मदरसा आगरा में बनवाया । शाहजहाँ का पुत्र दाराशिकोह उच्चकोटि का विद्वान था । उसने उपनिषदों, भगवद्गीता, योग वशिष्ठ व रामायण का अनुवाद किया । औरंगजेब (1658 - 1707) ने केवल इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित किया । औरंगजेब के ही समय से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया ।

मुगल साम्राज्य में मध्यम वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं था । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उनके माता-पिता द्वारा ही दी जाती थी । बचपन में उनको बालकों के साथ पढ़ाया जाता था । जब वे बड़ी हो जाती थीं तो उनको घर पर ही पढ़ाया जाता था । उनके पाठ्यक्रम में भी 3 आर.एस. की व्यवस्था थी । कुरान की शिक्षा प्रारम्भिक स्तर

पर थी । शाही व धनी परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध उनके निवास पर हो जाता था । हुमायूँ की बहन गुलबदन बेगम, सलमा, सुल्ताना, नूरजहाँ, चाँद सुल्ताना, मुमताजमहल तथा औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा विद्वान महिलाएँ थीं ।

उक्त महिलाओं के अतिरिक्त और भी अनेक सुशिक्षित स्त्रियाँ थीं, किन्तु इनकी तुलना में उन सामान्य स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक थी, जो अशिक्षित थीं । वस्तुस्थिति यह थी कि राजघरानों और कुलीन परिवारो की स्त्रियों में शिक्षा का प्रचलन था, सामान्य स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ । अतः वे शिक्षा से अंशमात्र भी लाभान्वित नहीं हुईं ।

अंग्रेजी शासन और स्त्री शिक्षा - ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतवर्ष में स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझकर रंचमात्र भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । सम्भवतः इसका कारण यह था कि उसे अपने प्रशासकीय और व्यवसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी । इसके अतिरिक्त शिक्षा के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यधिक रूढ़िवादी था ।

कम्पनी के शासनकाल में बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या - 11, 193 थी । व्यक्तिगत प्रयासों से स्थापित किये जाने वाले बालिका विद्यालयों में कलकत्ता का बेथ्यून स्कूल सबसे प्रसिद्ध था ।

1854 से 1882 तक - सन् 1854 के 'वुड' के आदेश पत्र में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और कहा गया कि इस शिक्षा का प्रसार करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायें ।

1882 में 2, 697 बालिका शिक्षालय थे और उनमें अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या - 1, 27, 066 थी ।

1882 से 1902 तक - 1882के "हण्टर कमीशन" ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की दयनीय दशा से द्रवित होकर जोरदार शब्दों में यह सिफारिश की - "स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है, और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है ।

कमीशन के विचारों ने न केवल सरकार को वरन् जनता को भी स्त्री शिक्षा का प्रसार करने की प्रेरणा प्रदान की ।

एस0एन0 मुकर्जी के अनुसार - "जनता एवं सरकार के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा की अति द्रुतगति से प्रगति हुई और 1902 में सब प्रकार के बालिका शिक्षालयों की संख्या 6,107 हो गई"[1]

1913 के "शिक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव" की सिफारिशों के फलस्वरूप स्त्री शिक्षा की प्रत्येक स्तर पर प्रगति हुई ।

1916 में दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडीहार्डिगज मेडिकल कालेज की स्थापना हुई ।

स्वतन्त्र भारत में स्त्री शिक्षा :-

स्वतन्त्र भारत में नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है । जिन बन्धनों में वह बंधी हुई थी, वे शनैः शनैः ढीले होते जा रहे हैं । उनके सम्बन्ध में पुरूषों का दृष्टिकोण बदल रहा है । उनकी समस्याएँ भी बदल रही हैं । नारी जाति ने वास्तविक महत्व को जानना और पहचानना शुरू कर दिया है और वह अपनी गिरी हुई दशा के प्रति सचेत हुई है । आधुनिक समय में स्त्रियों का कार्य घर और सन्तान पालन से कहीं आगे हैं। वह अब अपने निजी व्यवसाय अपना रही हैं और समान विकास के सभी पहलुओं के उत्तरदायित्व में पुरूषों का हाथ बंटा रही हैं ।

1- त्यागी, जी0एस0डी0 - आधुनिक शिक्षा का विकास, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1969, पेज संख्या - 96

2- मुकर्जी, एस0एन0 - "एजूकेशन इन इण्डिया टुडे एण्ड टुमारो" आचार्य बुक डिपो, बड़ौदा, 1992, पेज संख्या - 242 ।

1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर - 39.42% है, जबकि पुरूष साक्षरता दर 63.86% है, 19.7 करोड़ महिलायें निरक्षर हैं, जबकि निरक्षर पुरूषों की संख्या - 12.7 करोड़ है । ऐसे देश में जहाँ पुरूषों की संख्या महिलाओं से 3.2 करोड़ अधिक है । पुरूषों की अपेक्षा 7 करोड़ अधिक महिलायें निरक्षर हैं । मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1994 के दौरान 1992-93 की अवधि में कुल नामांकन के अनुपात में बालिकाओं का नामांकन प्राथमिक स्तर पर 43% था । मिडिल स्तर पर 39% माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 34% तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर 33% है । संशोधित कार्य योजना 1992 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 बालिकाओं के कक्षा 1 में प्रवेश करने पर कक्षा 5 में उनकी संख्या घटकर 40 व कक्षा 8 में 18 कक्षा 9 में 9 और कक्षा 12 में केवल एक रह जाती है । शहरी क्षेत्रों के लिए संगत आंकड़े क्रमशः 8.2, 6.2, 3.3, 14 है । व्यावसायिक उच्च और तकनीकी शैक्षिक सुविधाओं का बड़ा भाग शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित है । इस सेक्टर में बालिकाओं की सहभागिता काफी कम है । कई ऐसे कारण हैं जो स्त्री शिक्षा में रूकावट डालते हैं । जैसे :-

(1) माता-पिता बालिकाओं को विद्यालय भेजने के प्रति उपेक्षा दिखाते हैं तथा जरा बड़ी होने पर उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते ।

(2) छोटी उम्र में ही उनकी शादी रचा देते हैं ।

(3) कभी-कभी गरीबी भी शिक्षा प्राप्त करने में रूकावट बन जाती है । समाज में बालक व बालिकाओं के लिंग भेद-भाव भी रूकावट डालते हैं ।

कार्य योजना में सिफारिश की गई है कि महिलाओं की समानता से सम्बन्धित कार्य और पाठ्यचर्या के घटक तैयार करने का दायित्व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के महिला सेल को दिया जायेगा ।

---

* "फर्स्ट इयर बुक आफ एजूकेशन, ईगल बुक्स इन्टरनेशनल, मेरठ, सन् - 1985, पेज सं0-914 ।

कार्य योजना में यह भी उल्लेख है कि यह सेल स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में से लिंग सम्बन्धी भेदभाव के अंशों को हटाने के कार्य में तेजी लायें ।

1989 में एक महिला समाख्या प्रोग्राम शुरू किया गया । महिला समाख्या का अर्थ है, शिक्षा द्वारा महिला समानता । इसका उद्देश्य देहाती निर्धन महिला को अधिकार देना था ।

महिलाओं को अधिकतर सम्पन्न बनाने की प्रक्रिया के अंश के रूप में उसका इस प्रकार निर्माण किया जाय कि वे समुदाय में पुरूषों के साथ मिलकर कार्य करने में समर्थ हों । महिलाओं के अधिकार सम्पन्न बनाने में महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ महिलाओ के स्वास्थ्य का विषय भी शामिल होना चाहिए । कार्य योजना में बड़े पैमाने पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का भी विधा है, जिसे आगे सविस्तार बताया जायेगा । इसमें 1195 तक महिलाओं की निरक्षरता को समाप्त करने का प्राविधान था ।

1992-97 की अवधि में सभी विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों में महिला अध्ययन केन्द्र संगठित किये जाने चाहिए ।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों (टी0एल0सी0) में महिलाओं को सामर्थ्यवान बनने पर विशेष बल दिया जा रहा है । सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में महिलाओं का नामांकन सामान्यतः हर स्थान पर 60% प्रतिशत से अधिक है । उच्च शिक्षा के कुल नामांकन में महिलाओं का नामांकन जो 1981-82 में 27.7% था, वर्ष 1992-93 तक 33.1% हो गया ।

महिला समाख्या सहायता से अप्रैल 1989 में आरम्भ की गई । इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश नामक चार राज्यों में 14 जिलों में चलाया जा रहा है । भारत सरकार ने सन् 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति" की नियुक्ति की । इस समिति को "देशमुख समिति" भी कहा जाता है । इसका मुख्य कार्य - स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करना था ।

केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि मे स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए तथा स्त्री शिक्षा के नीति विस्तार के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए । "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद" नामक एक पृथक इकाई की सृष्टि करनी चाहिए ।

राज्यों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए "बालिका एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों" का निर्माण किया जाना चाहिए । प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए ।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (1959) - राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का 1959 में निर्माण किया गया । 1964 में इसका पुर्नगठन हुआ । इस समय इसमें अध्यक्ष और सचिव के अलावा 27 सदस्य हैं । इसमें प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को सुझाव दिया जाता है तथा बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिए उचित उपायों का सुझाव भी दिया गया । उक्त शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण अनुसंधान एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किये जाने की सिफारिश की जाती है ।

हंसा मेहता समिति (1962) - इसका गठन हंसा मेहता की अध्यक्षता में हुआ, इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये :-

(1) विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में अन्तर नहीं होना चाहिए ।

(2) भारत में अभी जनतंत्रीय समाजवादी समाज में निर्माण की प्रक्रिया चल रही है । अतः इस अन्तःकालीन अवधि में हमें पुरूषों एवं स्त्रियों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यो के भेदों के आधार पर बालकों एवं बालिकाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए ।

" अतः ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए, जो पुरूषों एवं स्त्रियों के वर्तमान अन्तर को स्थायी या अधिक उग्र बना दें "[1]

1965-66 में "कोठारी कमीशन" ने स्त्री शिक्षा के समस्त पक्षों के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे ।

बालिकाओं को बालकों के प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिए जनमत का निर्माण किया जाय ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना करने का प्रयास किया जाय ।

बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें लेखन सामग्री और वस्त्र दिये जायें ।

11 - 13 वर्ष की बालिकाओं के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।

तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत बालिकाओं के पृथक विद्यालय खोले जायें तथा उन्हें छात्रावास व यातायात की सुविधायें प्रदान की जायें । बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों की योजनायें आरम्भ की जायें ।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत बालिकाओं के लिए पूर्व स्नातक स्तर पर पृथक कालेजों का निर्माण किया जाये तथा बालिकाओं को कला, विज्ञान, प्राद्योगिकी, मानवशस्त्र आदि पाठ्य विषयों की चयन की स्वतन्त्रता प्रदान की जाये । एक दो विद्यालयों में स्त्री शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाये ।

1948-49 - "विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग" के अन्तर्गत राधा कृष्णन ने लिखा है - "शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते । यदि सामान्य शिक्षा को

1- त्यागी जी0एस0डी0, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, सन् 1989, पज संख्या - 20।

पुरूषों या स्त्रियों तक सीमित रखा जाता है तो स्त्रियों को इसी शिक्षा को प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में शिक्षा को निश्चित रूप से अन्य पीढ़ी को हस्तान्तरित किया जा सकेगा ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्री शिक्षा का विकास :-

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में हुए आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन की चर्चा करते हुए आयोग ने लिखा है कि परिवर्तनों ने हमारे विश्वविद्यालयों के कार्यों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर दी है । विश्वविद्यालय समाज सुधार के कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं । अतः इन्हें दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस रखने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए ।

विश्वविद्यालय का शिक्षण स्तर उठाने के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट पास होनी चाहिए । शैक्षणिक विश्वविद्यालय में 3000 सम्बद्ध कालेजों में 1500 से अधिक छात्रों का नामांकन नहीं होना चाहिए । परीक्षा दिवसों को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 180 दिन शिक्षण कार्य होना चाहिए । स्नात्कोत्तर कक्षाओं में विचार गोष्ठियों की योजना क्रियान्वित की जाय । शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष होनी चाहिए, जो कि विशेष स्थिति में 64 वर्ष भी हो सकती है । कृषि शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्रम में प्रमुख स्थान देना चाहिए । वाणिज्य की शिक्षा के अन्तर्गत बी0काम0 की शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को 3 या 4 फर्मों में कार्य के अवसर देना चाहिए ।

स्वतन्त्र भारत का यह पहला आयोग है, जिसने उच्च शिक्षा के सभी पक्षों का पूर्ण अध्ययन एवं चिन्तन के उपरान्त अपने विचार प्रकट किये । आयोग ने गिरते हुए शिक्षण स्तर, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, दयनीय शिक्षा, पथ भ्रीमत विद्यार्थी, परीक्षा विधि, ग्रामीण शिक्षा आदि पर व्यवहारिक सिफारिशें की गई हैं, इन सुझावों मे से कुछ को कार्यान्वित किया गया है ।

भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डा0 ए0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की । आयोग का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 6 अक्टूबर 1952 को नई दिल्ली में किया गया । आयोग ने विस्तारपूर्वक माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के उपरान्त जून,1953 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा माध्यमिक शिक्षा के दोषों पर निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा प्रकाश डाला :-

(1) शिक्षा का विद्यार्थियों के जीवन से सम्बन्ध नहीं है । अतः स्कूल छोड़ने पर वे व्यवहारिक जीवन में असफल रहते हैं ।

(2) शिक्षा एकपक्षीय है, यह शिक्षा विद्यार्थी की भावनाओं तथा अभिरूचियों पर ध्यान नहीं देतीं ।

(3) शिक्षण विधियाँ परम्परागत हैं, यह विधियाँ बालकों में विचार शक्ति का विकास करने में असफल हैं ।

भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्त होने से पहले तीन तथा स्वतन्त्रताा प्राप्ति के पश्चात् 2 आयोग नियुक्त किये थे ।

(1) भारतीय शिक्षा आयोग 1882 सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में ।

(2) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 श्री टॉमस रैले की अध्यक्षता में ।

(3) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 सर माइकेल सैंडलर की अध्यक्षता में ।

(4) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 डा0 सर्वपल्ली राधा कृष्णन की अध्यक्षता में ।

(5) माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 डा0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में ।

पाँचों आयोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो शिक्षा के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हो, प्रस्ताव द्वारा प्रोफेसर डी0एस0 कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई ।

आयोग में 17 सदस्य थे, जिनमें 6 अन्य देशों के विशेषज्ञ थे । यह विशेषज्ञ इंग्लैण्ड, अमरीका, रूस, फ्रांस और जापान से लिये गये । आयोग से लगभग 100 पृष्ठ का प्रतिवेदन 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री एम0सी0 छागला के समक्ष प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन के आमुख में आयोग ने लिखा है कि - "राष्ट्र की उन्नति सुरक्षा और कल्याण का मूलाधार ऐसी शिक्षा है, जो विज्ञान पर आधारित और भारतीय संस्कृति तथा मूल्यों से तालमेल रखने वाली हो"[1]

इस आयोग का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में मूल सुधार करना तथा । माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करना है । सभी स्तर के अध्यापकों की गुणवत्ता को बढ़ाना है । उच्चतर शिक्षा केन्द्रो को सबल बनाना है । अधिक नहीं, तो कम से कम कुछ ही विश्वविद्यालयों में उच्च अन्तर्राष्ट्रीय स्तर लाने का प्रयत्न करना है । अध्यापन व अनुसंधान के संयोग पर विशेष बल देना है । कृषि और संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान की ओर विशिष्ट ध्यान देना है । राष्ट्रीय चेतना व एकता को सबल बनाने के लिए लोक शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपनाना चाहिए । प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए । शैक्षिक कार्य तथा बौद्धिक आदान-प्रदान के लिए उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी सम्पर्क भाषा का कार्य करेगी ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया था, कि स्कूली कक्षाएँ 11 वर्ष की हों, जिसमें बाद के तीन वर्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए हों । इसके उपरान्त तीन वर्ष का प्रथम डिग्री का पाठ्यक्रम तथा दो वर्ष का द्वितीय डिग्री का पाठ्यक्रम रखा गया । आयोग ने सिफारिश की कि मेधावी छात्रों को इस वृत्ति में लाने के लिए तथा अध्यापकों की आर्थिक, सामाजिक व वृत्तिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए साधन और सतत् प्रयत्न होने चाहिए ।

---

1 - पूर्वोक्त, सन् 1995, पृष्ठ संख्या - 55

इस प्रकार कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति तथा शिक्षा को प्रत्येक स्तर के विकास के लिए अपनायी जाने वाली नीति तथा सिद्धान्त सम्बन्धी सुझाव दिये । इन सुझावों को देखकर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है, कि आयोग की सिफारिशें के अनुकूल एक शिक्षा नीति देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए तथा समाजवाद लाने के लिए आवश्यक है, जिससे शिक्षा के द्वारा ऐसे चरित्रवान युवक और युवतियों का निर्माण हो, जो राष्ट्र विकास और राष्ट्र सेवा में अपनी भूमिका निभा सके । अतः आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा हुई, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कहते हैं । यह नीति 1986 तक भारत की शिक्षा को दिशा निर्देशित करती रही । आयोग द्वारा दिये गये सुझाव 30 वर्षों के बाद भी सटीक है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी कोठारी आयोग के सुझावों से ढली है तथा 1968 से 1986 के मध्य उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार कर उनसे सम्बन्धित निर्देश भी 1986 की शिक्षा में सम्मिलित हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति [1986] और स्त्री शिक्षा :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करना था, तथा हर स्तर की शिक्षा को ऊँचा उठाना था । साथ ही उस शिक्षा नीति में शिक्षा को जनजीवन के साथ जोड़ने पर ध्यान दिया गया था ।

1986 की नीति लागू होने के बाद देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ । 90% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराये गये तथा अन्य स्तरों पर भी शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि हैं । स्नातक स्तर की कक्षाओं के पाठ्यक्रम बदलने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हुई है । आने वाले दर्शकों में जनसंख्या की बढ़ती हुई गति पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है । यह समस्या महिलाओं के शिक्षित होने पर ही हल हो सकती हैं ।

इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई शिक्षा नीति 8 मई को लोकसभा तथा 13 मई को राज्य सभा द्वारा पारित की गई, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) नेशनल पोलिसी आफ एजूकेशन (1986) कहते हैं ।

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संकल्प लिये गये ।

नई शिक्षा नीति से वंचित रह गये व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया तथा निर्धन परिवारों को इस प्रकार प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता थी कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से विद्यालय भेज सकें । इसके साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी । नई शिक्षा नीति का संकल्प है कि 1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हो जायेंगे, उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा अवश्य मिल जायेगी । इसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य मिल जायेगी । महिलाओं तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से दुर्बल वर्गों एवं विकलांगों के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए समुचित औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे ।

कोठारी आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सुझायी गयी भाषा नीति, जिसमें त्रिभाषा सूत्र मुख्य हैं, सक्रियता से लागू करने का संकल्प लिया गया है । पर्यावरण के प्रति जागरूकता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी क्षेत्रों में फैलनी चाहिए । इस हेतु विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जायेगा ।

नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु जुलाई,1991 में एक केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना की समीक्षा हेतु समिति का गठन आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ ।

इस समिति के मुख्य दलों के छः शिक्षा मंत्री तथा 8 शिक्षा शास्त्री सदस्य थे । इस समिति ने 1992 में यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत कम संशोधन की आवश्यकता है ।

भारत सरकार ने 7 मई 1990 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने की घोषणा की, जिसकी रिपोर्ट 26 दिसम्बर, 1990 को प्रस्तुत की गई । समिति के विचार में शिक्षा के सभी स्तरों पर एक जैसे मूल्य कायम रहने चाहिए तथा ऐसी सतत् प्रक्रिया के रूप में माना जाय, जिसे व्यक्ति की बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक तथा वहाँ से प्रौढ़ता तक विकास हो सके । मूल्य आधारित शिक्षा की यह भूमिका है कि वह हाथ, दिमाग तथा दिल को एक करके यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षा छात्र को अपने परिवार तथा समाज और जीवन से अलग-थलग न कर दे । शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह ऐसी कार्य संस्कृति पैदा करे, जिससे हर एक क्षेत्र में मानव का विकास हो सके । भारतीय संविधान के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय एवं अवसर पर समानता प्रदान कराने का संकल्प लिया गया है ।

शैक्षिक विषमताओं के कई कारण हैं, जैसे कि निर्बल वर्ग के करोड़ों बच्चे अपना जीवन सन्तोषजनक ढंग से प्रारम्भ नहीं कर पाते, निर्बल वर्ग के जो बच्चे विद्यालय जाते भी हैं, तो उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिलता जो कि सम्पन्न घराने के बच्चों को मिलता है ।

माध्यमिक शिक्षा में भी सम्पन्न घरों के बच्चे सरलता से माध्यमिक शिक्षा का लाभ उठाते हैं, क्योंकि उनमें व्यय करने की क्षमता है । निर्धन बच्चों की स्थिति बिल्कुल विपरीत है ।

उच्चतर शिक्षा में स्थिति और भी बिगड़ जाती है । इस स्तर पर अधिकतर विद्यार्थी समाज के उच्चतम वर्ग से आते हैं । उच्च शिक्षा संस्थायें शहरी क्षेत्रों में होती हैं, तो उसका लाभ भी मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग उठा लेता है ।

सही है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली से वास्तविक और सर्वाधिक लाभ उठाने वाले साधन सम्पन्न व धनी वर्ग के लोग हैं । यह प्रणाली निर्धन व साधनहीन लोगों के लिए नहीं हैं ।

कोठारी आयोग ने (1964-66) ने इन विषमताओं को दूर करने के उपाय व कार्यक्रमों का निर्माण किया । कोठारी आयोग के अनुसार लोक शिक्षा को समान स्कूल पद्धति की ओर कदम उठाना चाहिए ।

जाति धर्म व समाज सम्प्रदाय का विचार किये बिना शिक्षा के अवसर सभी को प्राप्त हों तथा जिसमें अच्छी शिक्षा का अवसर धन या वर्ग पर निर्भर न करके प्रतिभा पर निर्भर हो ।

ऐसी संस्थायें हों, जिनमें कोई भी शिक्षा शुल्क न लिया जाय ।

आचार्य राममूर्ति समिति (1990) ने भी समान स्कूल पद्धति का समर्थन करते हुए कहा - "शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के समय से अर्थात् 25 वर्ष से भी अधिक समय से समान स्कूल प्रणाली का अस्तित्व मात्र संकल्पना के रूप में रहा है"।[1] इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वर्तमान सरकार को स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को उनकी गुणवत्ता में सुधार करके वास्तविक पड़ोसी स्कूलों में बदलना होगा । उसी प्रकार प्राइवेट स्कूलों को भी बदलना होगा, जिससे कि उनके द्वार सभी योग्य विद्यार्थियों के लिए खुल जायें ।

उच्चतर शिक्षा में यह आवश्यक है कि सभी योग्य व जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा मिलने की व्यवस्था का विस्तार किया जाय तथा पाठ्य पुस्तकें रियायती दरों पर देने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

नई शिक्षा नीति के द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति देकर व छात्रावासों की सुविधा देकर प्रोत्साहित करनाचाहिए ।

1- पूर्वोक्त - सन् 1995, पृष्ठ संख्या - 101 ।

नई शिक्षा नीति के अनुसार निर्धन ग्रामीण तथा योग्य बालिकाओंके लिए नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं ।

कामकाजी महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर देने हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जिसमें इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय प्रमुख है ।

प्रारम्भिक शिक्षा :-

शिक्षा के विभिन्न स्तरों में प्राथमिक स्तर का विशेष महत्व है, क्योंकि यहीं से बालकों की शिक्षा प्रारम्भ होती है । प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता का प्रभाव शिक्षार्थियों के भविष्य के साथ-साथ देश के भविष्य पर भी पड़ता है । इसीलिये इस शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु समय-समय पर प्रयास किये गये । सन् 1947 के उपरान्त भारतीय संविधान में प्राथमिक स्तर के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने की घोषणा की गई ।

1947 तक भारत के 229 नगरों व 10017 गाँवों में बालकों के लिए, 10 नगरों व 14040 गाँवों में बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन भारत की जनसंख्या की तुलना में प्राथमिक शिक्षा में साक्षरों का अनुपात अत्यन्त कम था । वास्तविक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस दिशा में प्रयास किये गये ।

26 जनवरी,1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया, तथा उसकी 45वीं धारा में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनानें के सम्बन्ध में यह घोषणा की गई कि 14 वर्ष की आयु तक सभी बालक, बालिकायें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें । संविधान में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की घोषणा के उपरान्त पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में सुनियोजित प्रयास प्रारम्भ किये गये ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना के अनुसार सभी राज्य सरकारों को यह निश्चित करना होगा कि 300 जनसंख्या वाली बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करनी होगी । 11.7 करोड़ की कुल जनसंख्या वाले लगभग 49% ग्रामीण बस्तियों के बच्चों के लिये घर के नजदीक स्कूल नहीं है । प्रारिम्भक शिक्षा के सर्वीकरण के संबंध में नीति बनाते समय इन बातों पर ध्यान देना होगा ।

संशोधित कार्य योजना (1992) केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार 1986 में लगभग 32000 ऐसी बस्तियां थी जिनकी जनसंख्या 300 या इससे कुछ अधिक थी । जहां प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता थी । 35000 नये विद्यालयों की आवश्यकता होगी जो कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत खोले जायेगें ।

11 - 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा नीति का संकल्प है कि " 1995 तक 14 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाय ।

इस आयु वर्ग की 1990-91 में प्रक्षेपित जनसंख्या 7.2 करोड़ थी तथा इसी अवधि में इसका नामांकन लगभग 3.5 करोड़ था ।"[1]

यद्यपि बालिकाओं की जनसंख्या बालकों की जनसंख्या से कुछ कम होती है ।

नई शिक्षा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभावग्रस्त परिवारों को प्रोत्साहन व सहायता दी जायेगी, जिससे वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें । जब तक कि वे 14 वर्ष के हों, तब तक उन्हें छात्रवृत्ति, पोशाकें, पुस्तकें, कापी, पेन्सिल की सुविधायें दी जायेंगी ।

1- पूर्वोक्त, सन् 1995, पेज नं0 - 188

सह शिक्षा केन्द्रों का वित्तीय दायित्व केन्द्र व राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में तथा बालिका अनौपचारिक केन्द्रों का 90:10 के अनुपात में वहन करें । अनौपचारिक केन्द्रों की संख्या 1986 में 1.26 लाख से मार्च 1992 तक 2.72 लाख हो गई तथा नामांकन 36.45 लाख से 68 लाख हो गया है । इसी अवधि में बालिकाओं हेतु केन्द्र संख्या 20500 से बढ़कर 81600 हो गई ।

कोठारी आयोग (1964-66) ने कहा कि - कक्षा एक से ऊपर की कक्षाओं में अपव्यय अवरोधन के मुख्य कारण आर्थिक निर्धनता हैं, अपूर्ण विद्यालय जो पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते हैं, तथा बालिकाओं का बाल विवाह व बड़ी बालिकाओं को सह शिक्षा के विद्यालयों में न भेजना ।

नई शिक्षा नीति में इन समस्याओं को सुलझाने को प्रथम प्राथमिकता दी गयी है ।

जो बच्चे पूर्णकालिक विद्यालयों में नहीं पढ़ सकते उन्हें अनौपचारिक केन्द्रों पर भेजा जायेगा ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में कक्षा (1-5) तथा (1-8) के बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के क्रमशः 45% और 60% से सुधार कर 20% और 40% करना राष्ट्रीय लक्ष्य है ।

आचार्य राममूर्ति समिति रिपोर्ट (1990) ने बाल केन्द्रित दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के प्रारम्भिक चरणों में सीखने के रूप में खेलकूद, सैर, खुशियाँ मनाना तथा खोजबीन के तत्वों को सम्मिलित किया जाये ।

इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह लक्ष्य रखा गया था कि 1987-88 में 20% 1988-89 में 30% तथा 1989-90 में 50% विकास खण्डों, म्युनिस्पल क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा, परन्तु 1989-90 तक केवल 33% स्कूलों में योजना उपलब्ध हो सकी और

25% से भी कम स्कूलों में निर्माण कार्य हो सका । शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से केवल 3/4 पदों को भरा जा सका ।

संशोधित कार्य योजना 1952 के अनुसार जिन प्राथमिक विद्यालयों का नामांकन 80 से अधिक है, वहाँ तीन शिक्षक और तीन कक्षा-कक्ष उपलब्ध कराये जायेंगे तथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी विस्तार किया जायेगा ।

बालिकाओं और निर्धन परिवार के बच्चों के प्रोत्साहन के लिए विशेष सेवा देनी होगी । कार्य योजना के अनुसार निर्धन परिवारों की बालिकाओ के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, कागज, कलम आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा साथ ही साथ शिशुओं की देखभाल खोले जायेंगे, जिससे अपनी बहन-भाईयों की देखभाल करने वाली बालिकाओं को विद्यालय जाना सुलभ हो सके ।

प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में कम से कम एक अध्यापक की व्यवस्था और होनी चाहिए । ऐसी व्यवस्था आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत आयी है ।

इस कार्य के लिए स्थानीय महिलाओं को चुनकर उनको प्रशिक्षित किया जायेगा और उनको अपनी योग्यता सुधारने के अवसर दिये जायेंगे ।

माध्यमिक शिक्षा :-

माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान रूप अपने पीछे 150 वर्ष से अधिक की विकास परम्परा लिये हुए है । सन् 1830 में कम्पनी के डायरेक्टर्स ने अंग्रेजी की शिक्षा देने का निश्चय किया ।

एन0एन0 बंसु के अनुसार - "यहाँ के वासियों के लिए सरकार चलाने हेतु शिक्षा की व्यवस्था का निर्णय लिया गया ।"[1]

1- मित्तल एवं श्रीवास्तव, आधुनिक भारतीय शिक्षा, ईगल बुक्स इण्टरनेशनल, मेरठ, सन् 1995 पेज संख्या - 59 ।

7 मार्च सन् 1835 को लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर लार्ड विलियम बैंटिक ने हस्ताक्षर कर दिये और सन् 1952 तक भारत में 32 मान्यता प्राप्त विद्यालय हो गये थे । मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई । इन विश्वविद्यालयों ने मैट्रिक की परीक्षा के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों पर नियंत्रण करना आरम्भ किया ।

इस प्रकार विद्यालयों का कार्य कालेजों के लिए आधार का निर्माण करना हो गया । सन् 1904 तक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 3,916 से 5,129 हो गई, परन्तु अनियोजित प्रसार से कई खामियाँ सामने आयीं ।

इस प्रकार सन् 1930 से 1990 तक माध्यमिक शिक्षा ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनरावलोकन कर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया है । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा है - "माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे निर्बल कड़ी रही है ।"[1]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित योजना (1992) में सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को स्पष्ट किया गया ।

राज्य सरकार को ऐसा परामर्श दिया गया है कि ये सेवायें ऐसे क्षेत्रों में दी जायें, जिनमें माध्यमिक विद्यालयों की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं, जिससे माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयो में 1 और 1.86 का अनुपात हो जाय तथा बालिकाओं की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जायेगा । इसको सन् 2000 तक पूरा कर लिया जायेगा । जो लोग पूर्णकालिक विद्यालयों में प्रवेश लेने में समर्थ नहीं हैं, उनके लिए मुक्त विद्यालय प्रणाली सुलभ की जायेगी ।

1- डा0 अग्रवाल बी0बी0, आधुनिक भारतीय शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, सन् 1995, पेज संख्या - 123 ।

नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को दृढ़ता पूर्वक क्रियान्वित करना आवश्यक है । इससे व्यक्तियों में रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी । व्यावसायिक पाठ्यक्रम साधारणतया माध्यमिक शिक्षा (9 - 10) के बाद तथा विशेष परिस्थितियों में कक्षा 8 के बाद दिये जायेंगे । उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियो का 10% 1990 तक और 25% 1995 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश का लक्ष्य है ।

संशोधित कार्य योजना 1992 के अनुसार 1991-92 के अन्तर्गत तक + 2 स्तर के 9.3% विद्यार्थियो का नामांकन व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सम्भव हुआ । 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दो संशोधन हुए । पहला संशोधन उच्चतर माध्यमिक के 10% विद्यार्थी सन् 1995 तक और 25% विद्यार्थी सन् 2000 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित होंगे । दूसरा संशोधन आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के प्रतिवेदन के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों को व्यवसाय पूरक शिक्षा के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक वर्ग के पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जायेगी, जो कई व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए सार्थक हों ।

उच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जा रही है । इन विद्यालयों की संख्या प्रत्येक जिले में एक होगी । 1992-93 तक इन विद्यालयों की संख्या 280 हो चुकी थी । ये विद्यालय अच्छी कोटि की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं । चाहे उनके अभिभावकों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति कैसी भी हो ।

सन् 1947 के उपरान्त हमारे देश में स्त्री शिक्षा का भी विकास हुआ है ।

माध्यमिक स्तर पर लड़के-लड़कियों के पाठ्यक्रम में अन्तर होना नितान्त आवश्यक है । क्योंकि इस स्तर पर बालक पूर्ण रूप से वयस्क नहीं होते हैं । अतः उन्हें सहशिक्षा प्रदान करना अनुचित है । छात्राओं को ललितकला एवं संगीतकला हेतु प्रोत्साहित किया जाय ।

छात्राओं को विज्ञान व गणित विषय लेने हेतु माध्यमिक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाय । बालिकाओं को हस्त-दस्तकारी की शिक्षा प्रदान की जाय । बालिकाओं के विद्यालयों के लिए अलग से सहायता दी जाये । अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाये । लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम के विषय जैसे - आन्तरिक, सजावट, बागवानी, केटरीज आदि को शामिल किया जाये ।

आयोग ने शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया है कि नारी शिक्षा पर पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए । छात्रों के समान छात्राओं की शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार करने पर आयोग ने विशेष बल दिया । जहाँ तक संभव है ।

छात्राओं के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था की जाय । परन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनके लिए सह शिक्षा का भी प्रबन्ध हो । बालिकाओं को सामाजिक जीवन की शिक्षा के साथ इस प्रकार की शिक्षा दी जाये, जो इन्हें पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम बना सके ।

भारत में 1947 ई0 के पश्चात् उच्च शिक्षा में काफी प्रगति हुई । सन् 1947 में इलाहाबाद में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने भाषण देते हुए कहा - "विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य मानवीयता, सहिष्णुता, विवेक जैसे गुणों का विकास कर गूढ़ विचारों के सागर में घुसकर सत्य का अनुसंधान करना है ।"

इस समय देश में उच्च शिक्षा 142 विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जा रही है । इनमें से 10 केन्द्रीय विद्यालय हैं और 132 राज्य विश्वविद्यालय हैं । इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों की संख्या 6507 है । इसके अलावा 28 ऐसे संस्थान हैं, जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट के आधीन विश्वविद्यालय स्तर की संस्थायें माना गया । इस समय उच्च शिक्षा में 39.48 लाख छात्र, छात्रायें अध्ययनरत् हैं । सन् 1948 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया । इसके पश्चात् 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया ।

"देश का वैभव विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होता है । दूषित विश्वविद्यालय सम्पूर्ण राष्ट्र को दूषित करते हैं ।"[1]

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन और मूल्यांकन की समस्या शिक्षा और परीक्षा के माध्यम से जुड़ी है ।

1990 में आचार्य राममूर्ति समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करते हुए बताया है कि उच्च शिक्षा की सुविधायें दूर-दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराई गई हैं तथा अध्यापकों की स्थिति सुधारने का ठोस प्रयास किया गया है । शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा प्रसार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक विकट समस्या शिक्षा का माध्यम है । आज का युवा वर्ग अंग्रेजी भाषा का परित्याग नहीं करना चाहता है । वे इस भाषा से होने वाले अहित से अनभिज्ञ हैं ।

अंग्रेजी भाषा के माध्यम के बारे में महात्मा गाँधी ने लिखा है - "विदेशी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को क्षीण कर दिया है, उसने उन्हें जन सामान्य से पृथक कर दिया है तथा उसने शिक्षा को अनावश्यक रूप से मंहगी बना दिया है ।"[2]

इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी है कि सर्वप्रथम अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम न बनाया जाये । कोठारी आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया है । राधाकृष्णन ने भी क्षेत्रीय भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की है और भारतीय सरकार ने भी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की है । इसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया गया ।

1- पूर्वोक्त - सन् 1995, पेज संख्या - 105 ।

2- पूर्वोक्त - सन् 1995, पेज संख्या - 109 ।

"वर्तमान समय में 35 विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषायें शिक्षा का माध्यम है तथा 17 अन्य विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है ।"[1]

अतः आज यह नितान्त आवश्यक होगया है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को संघीय भाषा "हिन्दी" का ज्ञान प्रदान किया जाय और धीरे-धीरे समग्र देश में उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी को ही बनाया जाये ।

राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्य बताये हैं कि छात्रों के मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास भी हो । छात्रों में स्वतंत्रता समानता एवं बन्धुत्व की भावना का विकास करना चाहिए । छात्रो में बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता एवं साहस का नेतृत्व करना चाहिए तथा समाज सुधार पर बल देना चाहिए ।

कमीशन के शब्दो में "हम न्याय स्वतंत्रता समानता व बन्धुत्व की प्राप्ति के द्वार प्रजातंत्र की खोज मे संलग्न है । अतः हमारे विश्वविद्यालयों को अनिवार्यतः इन आदर्शों का प्रतीक व संरक्षक होना चाहिए ।"[2]

कोठारी आयोग का लक्ष्य सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन प्रदान करना राष्ट्रीय चेतना के विकास हेतु कार्य करना शिक्षक व शिक्षार्थियों में उचित मान्यताओं तथा दृष्टिकोणों का विकास करना, विश्वविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुण व स्तर की दृष्टि से सुधार करना और विश्वविद्यालय के प्रशासन व संगठन में सुधार करना ।

1- मुकर्जी, डा0 एस0एन0 - आधुनिक भारतीय शिक्षा, ईगल बुक्स इण्टरप्राइजेज, मेरठ, सन् 1995, पेज संख्या - 111 ।

2. डा0 श्रीवास्तव, जे0पी0 - प्रोफेसर मित्तल एम0एल0 - आधुनिक भारतीय शिक्षा, ईगल बुक्स इण्टरनेशनल, मेरठ, सन् 1995, पेज संख्या - 113 ।

"यदि उच्च शिक्षा का कोई व्यवहारिक उद्देश्य है तो मैं कह सकता हूँ कि वह समाज के उत्तम नागरिकों को प्रशिक्षित करना है ।"[1]

अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों का पालन भली प्रकार से करें ।

"यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों का पालन भली भाँति करें, तो राष्ट्र और व्यक्तियों का कल्याण ही हो सकता है ।"[2]

उच्च शिक्षा में स्त्री शिक्षा के अनुपात को 1.4 के स्थान पर 1.3 किया जाये । बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये । स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान किये जायें, तथा व्यवसायिक संगठन एवं प्रबन्ध में स्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जाये । स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अण्डर ग्रेजुएट स्तर पर लड़कियों के लिए पृथक कालेज खोले जायें ।

ब्रूबेकर के शब्दों में - "आधुनिक विचारधारा अध्ययन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विद्वान अन्तर विद्या अध्ययन के पक्ष में हैं ।"[3]

डा0 चौरसिया के विचारानुसार - "यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि अध्यापक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति हेतु विषय सामग्री व विधियों का सामंजस्य अर्थात् अन्तर-विद्या अभिगमन से अधिक उत्तम योजना अन्य कोई नहीं हो सकती है ।"[4]

सैंडलर आयोग के सुझाव के आधार पर ही बनारस एवं अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई । एम0एड0, एम0फिल0 तथा शैक्षिक शोध के क्षेत्र में कार्य किये जा रहे हैं । अनुसंधान कार्य यदि बहुत मात्रा में किये जा रहे हैं, तो इनमें एम0एड0 के

1- न्यूमैन - आधुनिक भारतीय शिक्षा, ईगल बुक इन्टरनेशनल, सन् 1995, पेज नं0-115 ।
2- पूर्वोक्त सन् 1995, पेज नं0 105 ।
3- पूर्वोक्त सन् 1995, पेज नं0 95 ।
4- पूर्वोक्त सन् 1995, पेज नं0 101 ।

नारी शिक्षा के सम्बन्ध में डा0 राधाकृष्णन ने लिखा है - "शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते । यदि सामान्य शिक्षा पुरूषों या स्त्रियों तक सीमित रखनी हो तो यह अवसर स्त्रियों को प्रदान करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में शिक्षा निश्चित रूप से आगामी पीढ़ी को हस्तान्तरित की जा सकेगी ।"[1]

आयोग ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में कहा है - "नारी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए, जो स्त्रियों को सफल गृहणी बना सके । स्त्रियों को गृह प्रबन्ध एवं गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा प्रदान करने हेतु अधिकाधिक अभिप्रेरित किया जाये । सह शिक्षा के अन्तर्गत महिलाओं की सामान्य सुविधाओं एवं शिष्टाचार का ध्यान रखा जाये तथा इस पर बल दिया जाये ।"[2]

बढ़ती हुई शिक्षार्थियों की संख्या को नियंत्रित करने हेतु शिक्षण विश्व विद्यालयों में 2000 तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या 1,5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता के पक्ष में यू0जी0सी0आई0यू0बी0 तथा शिक्षित व्यक्तियों को जनमत का निर्माण करना चाहिए । उच्च शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत समस्त अध्यापकों को जहाँ तक हो सके दो भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है । यू0जी0सी0 द्वारा केन्द्रीय परीक्षा सुधार यूनिट की स्थापना की जाये ।

संशोधित कार्य योजना (1990) का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लिखित है - उच्च शिक्षा की संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है । विश्वविद्यालयों की संख्या 1985-96 में 419 थी, जो 1990-91 में बढ़कर 176 हुई । इसी अवधि में कालेजों की संख्या 5816 से 7121 हो गई और विद्यार्थियों का नामांकन 36 लाख से 44 लाख हो गया ।

1- पूर्वोक्त, सन् 1995, पृष्ठ संख्या - 133 ।

2- उपरोक्त, सन् 1995, पृष्ठ संख्या - 135 ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1993-94 के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या 221 पहुँच गई । महाविद्यालयों की संख्या लगभग 8000 हो गई है । छात्रों का नामांकन 48 लाख हो गया है ।

स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में आयोगने सुझाव दिया है कि उच्च स्तर पर छात्राओं की संख्या का अनुपात जो छात्रों की संख्या की तुलना में इस समय 1.4 से बढ़कर 1.3 कर दिया जाय, उनके लिए छात्रवृत्तियाँ एवं सस्ते छात्रावास की सुविधाओं का विकास किया जाये ।

स्नातक स्तर पर शिक्षा देने के लिए प्रथम महिला कालेज स्थापित किया जाये, परन्तु स्नातकोत्तर स्तर पर उनकी पृथक स्थापना करना उचित नहीं ।

छात्राओं के लिए कला, मानविकी, विज्ञान एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था तथा गृह विज्ञान,नर्सिंग शिक्षा तथा समाज कार्य के पाठ्यक्रमों का और अधिक विकास किया जाये ।

महिला पालीटेक्निक कालेजों में विशिष्ट कार्यक्रमों की व्यवस्था महिलाओं की रुचि के अनुसार ही की जाये ।

1990 तक पूरे प्रदेश में 261 नवोदय विद्यालयों की स्थापना 29 राज्यों में की गई। वार्षिक रिपोर्ट ((1993-94) मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के अनुसार इनकी संख्या 339 हो चुकी है । आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 की अवधि में प्रतिवर्ष 50 नये नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे ।

विद्यार्थियों को कक्षा 6 से प्रवेश दिया जाता है । इन स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% आरक्षण है । ऐसा प्रयास भी किया जाता है कि बालिकाओं का नामांकन कुल 1/3 हो जाये । अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण राष्ट्रीय आँकड़ों के अनुसार 15: तथा $7\frac{1}{2}$ % है ।

इन विद्यालयों का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी है । इन विद्यालयों को चलाने के लिये राज्य सरकार भूमि की व्यवस्था करती है तथा केन्द्र इनको चलाने का व्यय वहन करता है ।

राममूर्ति समिति (1990) में सिफारिश की कि भविष्य में कोई नये नवोदय विद्यालय न खोले जाय । बल्कि 261 नवोदय विद्यालयों का पुर्नगठन किया जाय और पर्याप्त संसाधन जुटाये जाय । 1992 - 93 के अन्त में योजना की समीक्षा की जाय ।

वर्तमान आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 -97 के समाप्त होने से पहले प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय हो जाय । इसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 50 नवोदय विद्यालयों को खोला जाय । वार्षिक रिर्पोट 1992 - 93 के अनुसार 1992 - 93 में कक्षा (IX) तथा ऊपर की कक्षाओं में 26 नवोदय विद्यालयों का स्थानान्तरण हुआ ।

महिला साक्षरता (9.67%) के विकास की दर पुरूष साक्षरता (7.49%) से अधिक है । 1991 की जनगणना से यह बात स्पष्ट है कि 1991 में साक्षरों (7 वर्ष से आयु के ऊपर) की संख्या 35.20 करोड़ थी और निरक्षरों की संख्या 32.40 करोड़ थी ।

1981 की जनगणना के अनुसार 1981 में साक्षरों की संख्या 23.40 करोड़ तथा निरक्षरों की संख्या 30.20 करोड़ थी ।

यह प्रसन्नता की बात है कि देश में प्रथम बार 1991 की जनगणना में साक्षरो की संख्या (35.20 करोड़) निरक्षरों की संख्या (32.40) करोड़ से अधिक थी ।

वार्षिक रिर्पोट 1994 (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के अनुसार फरवरी 1994 तक 80 जिलो को उत्तर साक्षरता अभियानो में शामिल किया गया ।

महिलाओं व बालिकाओं के लिये यू0एन0आई0सी0ई0एफ0 की सहायता से साक्षरता से जुड़े हुए व्यावसायिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिये चुने हुए 8 विद्यापीठों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम आरम्भ किये जा चुके हैं । श्रमिक विद्यापीठ दिल्ली द्वारा

दिल्ली विकास प्राधिकरण के सहयोग से प्रारम्भ की गई मलिन बस्ती शिक्षा एवं प्रशिक्षण परियोजना को जारी रखा गया है ।

सन् 1750 और सन् 1850 के मध्य विकसित देशों की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 15 लाख थी, जबकि विकासशील देशों की 30 लाख थी । सन् 1850 से 1950 तक विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि 50 लाख थी तथा विकासशील देशों की 70 लाख थी । 1950 से 1975 तक 110 लाख विकसित देशों की तथा 480 लाख विकासशील देशों की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि हुई ।

"महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा-स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों के प्राविधानों में अभिवृद्धि एक महत्वपूर्ण विषय रहा है ।"[1] 1951 से 1981 के बीच महिला साक्षरता 7.93% से 24.82% तक पहुँची है । निरक्षर महिलाओं की जनसंख्या 57% है । सारे प्रयासों के बावजूद महिलाओं की साक्षरता के क्षेत्र में शिक्षा का योगदान पर्याप्त नहीं है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राविधान :-

1- महिलाओं के स्तर में आधारभूत परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षा का उपयोग।

2- महिलाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की धनात्मक हस्तक्षेपी भूमिका ।

3- महिला - अध्ययनों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंश के रूप में प्रोन्नत किया जाये ।

4- महिला विकास की वृद्धि की दृष्टि से शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

1- डा0 वशिष्ठ एवं डा0 शर्मा - भारतीय शिक्षा की नई दिशा, पब्लिशिंग हाउस, मेरठ सन् 1992, पृष्ठ संख्या - 2 ।

5- महिला निरक्षरता उन्मूलन तथा महिलाओं की प्राथमिक शिक्षा को समयवद्ध लक्ष्यों तथा मानिटरिंग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता ।

6- विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के व्यवसायिकी, तकनीकी एवं औद्योगिकी शिक्षा में भाग लेने पर सर्वाधिक बल ।

7- महिलाओं की समानता बढ़ाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा एवं पुर्नगठन करना ।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेकों उपाय किये जायेंगे :-

1- 1995 तथा प्रत्येक शिक्षण संस्था को महिलाओं में सम्प्रेक्षण एवं संघटन के अध्ययन के सक्रिय कार्यक्रमों को लेना चाहिए ।

2- महिला अध्यापकों एवं अनुदेशकों का इस हेतु विशेष अभिनवन ।

3- प्रचार माध्यमों (रेडियो - टी0वी0) द्वारा 1986-87 में विशेष मार्गदर्शन तैयार कर इस उद्देश्य की पूर्ति करना । अध्यापक के रूप में महिलाओं के चयन को प्राथमिकता ।

4- समाज में महिलाओं के नवीन स्टेटस के मूल्यों का समावेश एन0सी0ई0आर0टी0 में महिला प्रकोष्ठ की पुनः स्थापनाा ।

5- नीपा द्वारा शिक्षकों, प्रशिक्षकों में महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में संवेदनशीलता का विकास करना ।

6- विकास के प्रति दुराग्रह वाले अंशों को पाठ्य पुस्तकों से हटाना ।

7- अनुसंधान क्षेत्र में महिला अध्ययनों को प्रोत्साहन ।

8- लड़कियों के लिए नान-फार्मल एजूकेशन केन्द्रों का 90:10 के प्रतिरूप का विस्तार।

9- ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को नये अपारम्परिक कार्यों में प्रशिक्षण ।

10- वोकेशनल ट्रेनिंग बढ़ाई जाये ।

11- महिलाओं के लिए चल रही 104 आई0टी0आई0 को 1987-90 के बीच पुर्नगठित करना ।

12- इन संस्थानों में व्यावसायिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध रहेगी ।

एन0सी0ई0आर0टी0 व यू0जी0सी0 तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में महिला प्रकोष्ठी की स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी, जो कि महिलाओं के शिक्षण प्रशिक्षण एवं विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता करेंगे ।

1986 की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं को शैक्षिक, सामाजिक दृष्टि से समान स्तर पर युगानुकूल है । महिलाओं की समुचित शिक्षा राष्ट्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बन सकती है, बशर्ते कि इसको महिलाओं की सामाजिक भूमिकाओं से सम्बद्ध कर उनके सामाजिक महत्व को और बढ़ाया जाये ।

बालिकाओं के लिए वृहद एवं व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जायेगा। योग्य बालिकाओं की औपचरिक शिक्षा में प्रवेश की सुविधा हेतु उचित कदम उठाये जायेंगे ।

इसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक, बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी । महिलाओ, जनजातियो व समाज के अन्य कमजोर वर्गों व विकलांगों के लिए विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना होगी । महिलाओं की तकनीकी शिक्षा हेतु अधिक महिला पालीटेक्निक खोले जायें । महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के अवसरों को हर स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए । महिला शिक्षकों को उनके पति के साथ नियुक्त करने, बच्चों के पालन पोषण के लिए लम्बी छुट्टी देने आदि की सुविधाये दी जायेंगी विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा स्त्री अध्ययनों को प्रोत्साहित किया जायेगा । समयबद्ध कार्यक्रमों द्वारा स्त्री निरक्षरता, उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा में पहुँच व निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी । व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया जायेगा ।

नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी अवहेलना भारत में सदियों से की गई है । अतः नई शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने

के लिए शिक्षा एक मुख्य साधनहै । राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्त्रियों को शक्तिशाली बनाने में एक सकारात्मक भूमिका अदा करेगी । यह उनमें नये मूल्यों को जन्म देने की बात करती है, जो पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें उनके शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स प्रशासकीय दृष्टिकोण में परिवर्तन, जिससे सही निर्णय लिया जा सके और शिक्षा संस्थाओं को क्रियाशील बनाकर किया जा सकता है, जिसके लिये इनकी शिक्षा की पुर्नरचना करने की आवश्यकता है । स्त्री शिक्षा के बारे में विभिन्न पाठ्यक्रमों में गहन अध्ययन किया जाय और शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाय कि वे स्त्रियों के विकास के क्रियाशील कार्यक्रमों को संचालित करें ।

निःसंदेह स्त्रियों में साक्षरता का विकास हुआ । 1951 में केवल 7.93 प्रतिशत स्त्रियाँ शिक्षित थीं। 1981 में 24.82% स्त्रियाँ शिक्षित हो गई, फिर भी अशिक्षित जनसंख्या की 57% स्त्रियाँ हैं । स्त्रियों के बीच में असाक्षरता निवारण के लिए नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि उनमें प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं में समयचक्र का निर्धारण उनकी सुविधानुसार हो । शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता समुचित रूप से दी जाये । मुख्य रूप से इस बात पर महत्व दिया जाना चाहिए कि स्त्रियाँ व्यावसायिक, टेक्निकल, प्रोफेशनल शिक्षा के विभिन्न स्तरों में भाग लें । लिंग के आधार पर व्यवसाय में जो भेदभाव किया जाता है, उसे दूर करें, उन्हें गैर रूढ़िवादी व्यवसायों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाये । नई शिक्षा नीति का एकमात्र उद्देश्य है कि उन्हें शैक्षिक अवसर समान रूप से देकर आत्मविश्वास के साथ अपनी स्वयं की प्रतिभा पहचानने की क्षमता का विकास उनमें किया जा सके, जिससे वे अपने व्यक्तित्व के बारे में आन्दोलनात्मक रूप से विचार कर निर्णय ले सके ।

महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है । विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जायेगा, ताकि पुरूष और महिलाओं के बीच किसी भी प्रकार की भेदभाव की स्थिति न रह जाय । पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों में भी जो लिंग भेद दिखाई

देता है, नई शिक्षा नीति में उसे समाप्त किया जायेगा ।

भारतीय संविधान और स्त्री शिक्षा :

भारत का संविधान केवल वैधानिक उपलब्धों का संकलन मात्र नहीं है, अपितु इसमें राष्ट्र की आत्मा के भी दर्शन होते हैं, इसमें देश की जनता की आशाएँ, आकांक्षाएँ और जीवन लक्ष्यों की झाँकी परिलक्षित होती है । भारतीय संविधान के अतीत की महत्ता वर्तमान का संघर्ष और भविष्य की उज्जवलता का संकेत प्राप्त होता है । संविधान तो एक प्रकार का साधन है, साध्य तो देश की स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा को कायम रखते हुए प्रत्येक देशवासी को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करना है, जिससे देशवासियों का जीवन सुखी और समृद्धशाली बन सके । भारत के गणराज्य का आदर्श और उद्देश्य किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना है, इसका निर्देशन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में समाजशास्त्र की इस उक्ति को ध्यान में रखना है - "कि प्रत्येक देश की जनता को उसी प्रकार का संविधान स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिसके वह योग्य होती है ।"[1]

संविधान के तंत्र को चलाने वाले देश के निवासी ही हैं, यदि निवासियों में अज्ञानता और अशिक्षा व्याप्त रही तो तथाकथित सर्वश्रेष्ठ संविधान अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा खो सकता है। केवल लोकतांत्रिक संविधान को अपनाने से ही देश में पूर्ण लोकतंत्र की आशा करना आकाश कुसुम होगा । जब तक कि देशवासियों को उसके लिए शिक्षित करके योग्य नहीं बनाया जायेगा ।

1- "हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, प्रतिष्ठता व स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा के आज 26 नवम्बर,1949 को एतद्द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।"

भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा को सरकार का उत्तरदायित्व घोषित किया गया है । हमारे देश के संविधान की रूपरेखा निर्धारित करने के सभी वर्गों ने अपना योगदान प्रदान किया है । सभी वर्गों के हितों से सम्बन्धित प्राविधान मौलिक अधिकारो में सन्निहित कर दिये गये हैं, फिर भी अपेक्षित लाभ सामान्य जनता को न मिल सका और स्त्री शिक्षा का समुचित विकास न हो सका ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्राविधान है कि लोकतंत्र को सफल बनाने तथा उसकी सुरक्षा एवं आतिजीवितता (सरवाइवल) के लिए सभी नागरिकों का शिक्षित होना अतिआवश्यक है । लोकतंत्र वह शासन पद्धति होती है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ निहित होती है। अब लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक मताधिकार का समुचित प्रयोग करने के लिए मतदाता को कुछ न कुछ सामान्य शिक्षा देना परमावश्यक है । अतः देश में स्त्रियों को पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के 38 वर्षों के उपरान्त भी स्त्री शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदला नहीं है, यदि हम वास्तव में स्त्रियों की दशा सुधारना चाहते हैं, तो भारत सरकार को भारतीय जनता के अर्न्तमन से स्त्रियों के प्रति पुराने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने होंगे । तभी स्त्री शिक्षा का मात्र उत्साह तथा उल्लास के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा ।

शोध की आवश्यकता :

संविधान की घोषणा के तीन दशकों के पश्चात् भी स्त्री शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखलाई दे रही है । यहाँ तक कि अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा भी दूर का लक्ष्य बनी हुई है । अन्य स्तर की शिक्षा की स्थिति तो और भी अधिक जटिल बनी हुई है ।

1- "कान्स्टीट्यूशन एसेम्बली डिबेटस खण्ड-7, 19 नवम्बर 1948 (न्यू देहली) गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, 1948 पृष्ठ संख्या - 48।

स्त्री शिक्षा में अपेक्षित विकास किन कारणों और परिस्थितियों के कारण नहीं हो पा रहा है, इसकी खोज को गहराई से दृष्टिगोचर करने के लिए उत्तर प्रदेश के पिछड़े सम्भाग "बुंदेलखण्ड" को चुना गया है, समकालिक परिवेश में प्रत्येक की अपनी विशिष्ट समस्यायें हैं । इन समस्याओं का निराकरण करके किसी योजना के कार्यान्वयन में जितनी सफलता मिले, उतनी ही सीमा तक देश की समस्याओं को समझने और सुलझाने में सफलता मिल सकती है । बुंदेलखण्ड सम्भाग पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित या विकासोन्मुख क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक भिन्न और गहन है । अतः इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित अपनी समस्यायें होंगी । इन कठिनाइयों के निराकरण का प्रयास छोटे स्तर पर करके उनको व्यापक बनाया जा सकता है ।

स्त्री शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन प्रयत्न, प्रचुर ध्यान और तीव्र गति से आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास की आवश्यकता है ।

शोध की समस्या :

"बुंदेलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन"

परिभाषीकरण :

(अ) बुंदेलखण्ड क्षेत्र :

उत्तर प्रदेश का यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित जनपद आते हैं, जालौन, बांदा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर ।

(ब) बालिकाओं -

इससे तात्पर्य प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर

की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में संख्यात्मक और गुणात्मक उपर्युक्त विधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

(स) शैक्षिक पिछड़ेपन -

उत्तर प्रदेश का अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार द्वारा स्त्रियों की शिक्षा हेतु जो प्रयास किये गये हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन सम्पूर्ण प्रदेश के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है ।

(द) समाजशास्त्रीय -

प्रस्तुत शोध में शैक्षिक पिछड़ेपन का मूल्यांकन सामाजिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में किया गया ।

शोध समस्या का परिसीमन :

यद्यपि बुंदेलखण्ड क्षेत्र में पाँच जनपद आते हैं, परन्तु अध्ययन का क्षेत्र केवल जनपद जालौन को चुना गया तथा इसमें शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन शेष जनपदों से किया गया ।

7. शोध कार्य के उद्देश्य :

उद्देश्य रहित कार्य दिशा विहीन यात्री की भाँति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करता । अतः शोधकार्य की सफलता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना अत्यन्त आवश्यक है ।

प्रस्तुत शोध हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :-

1- बुंदेलखण्ड सम्भाग में 1950 - 50 से लेकर 1990-91 की अवधि के 40 वर्षों में स्त्री शिक्षा की संख्यात्मक प्रगति का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना ।

2- गुणात्मक विकास की दिशा में किये गये कार्यों की जानकारी प्राप्त करना ।

3- विकास की प्रवृत्तियों की खोज करना ।

4- स्त्री शिक्षा के शैक्षिक पिछड़ेपन में सुधार हेतु शिक्षा के विकास एवं योजना के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना ।

8. **अध्ययन की परिकल्पना :**

"बुंदेलखण्ड सम्भाग में स्त्री शिक्षा का विकास आवश्यकतानुसार उचित दिशाओं एवं अपेक्षित क्षेत्रो में सम्यक मात्रा में नहीं हुआ है ।"

द्वितीय अध्याय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जनपद जालौन के विशेष सन्दर्भ में ।

बुन्देलखण्ड का क्षेत्र भारतीय इतिहास में विशेष रूप से गौरव मण्डित है, जिस प्रकार पुष्पों की वाटिका का मुरझाया हुआ पुष्प नये पुष्प के सृजन की ओर उन्मुख होता है, उसी प्रकार पुरातन परम्परायें नवीन परम्पराओं को जन्म देती हैं ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि युग परम्परा से बुन्देलखण्ड का महत्व है किसी इतिहासकार का कथन है -

"बुन्देलखण्ड भारतवर्ष का हृदय है" [1]

बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम प्रथम दशार्ण तथा फिर जुझौति प्रदेश रहा है । जब से बुन्देला क्षत्रिय ने इसे अपनाया, उस समय से यह बुन्देलखण्ड कहलाने लगा ।

वेदव्यास, बाल्मीकि, प्रह्लाद, आल्हा, ऊदल आदि ने इसी भू-भाग में उत्पन्न होकर इस भूखण्ड को गौरवान्वित किया है । यहाँ के वीरों की वीरता से प्रभावित होकर ही अकबर ने बुन्देला वीरों को अपनी सेवा में महत्वपूर्ण स्थान दिया । उसी से इतिहास लिखा गया ।

बुन्देलखण्ड का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है व प्राचीनकाल में महाभारत के गुरू द्रोणाचार्य का जन्म बुन्देलखण्ड के क्षेत्र झाँसी के पूर्व में बाघाट (वाकाट) नामक ग्राम में हुआ था।

इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में तुलसी, सूर, भगवान राम व कृष्ण तथा त्रिवेणी कवियों की कला भूमि रही है । इस वसुन्धरा पर जन्मी लक्ष्मीबाई तथा झलकारी आदि वीरांगनाओं ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाये और अपने देश की रक्षा के लिए वे बलिदान हो गईं ।

1- त्रिपाठी मोती लाल, बुन्देल खण्ड दर्शन, लक्ष्मी प्रकाशन, पुरानी नझाई झाँसी, 1980, पेज संख्या -11

बुन्देलखण्ड का इतिहास जितना प्रेरक और रोमांचकारी है, उतना विश्व में किसी अन्य क्षेत्र का नहीं । पुराणों से लेकर बुन्देली और खड़ी बोली के अनेक ग्रन्थों का निर्माण यहाँ पर हुआ है । विभिन्न युगों में संस्कृत और हिन्दी के अनेक महान कवियों और लेखकों ने अपनी साधना द्वारा इस वसुन्धरा का गौरव बढ़ाया है ।

बुन्देलखण्ड का अतीत समुज्जवल तथा गौरवशाली था । इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अतीत अंकित है और हमें प्रगति की प्रेरणा देता है । यह वही बुन्देल वसुन्धरा है, जिसने समय-समय पर वीरों, कवियों, चित्रकारों, कलाकारों तथा गायकों को उत्पन्न कर अपनी विशालता का परिचय दिया है ।

बुन्देलखण्ड कला का भी केन्द्र रहा है । यहाँ के मन्दिरों की कला विश्व को आश्चर्य में डाल देती है । इसी पवित्र वसुन्धरा पर खुजराहों, देवगढ़, आजमगढ़, चंदेरी तथा ग्वालियर, चित्रकूट, अमरकष्टक आदि तीर्थ का सम्मिलन हुआ है, जो समस्त विश्व के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बिन्दु है ।

"बुन्देलखण्ड इतिहास, संस्कृति भाषा, जनसंख्या आदि सभी दृष्टियों से एक इकाई रहा है ।"[1] जब से बुन्देला क्षत्रियों ने इसे अपनाया है, उस समय से यह बुन्देलखण्ड कहलाने लगा । इसके उत्तर और दक्षिण में क्रमशः यमुना, नर्मदा तथा पूर्व पश्चिम में टोंस और चम्बल की धारायें इस बुन्देलखण्ड की प्राकृतिक सीमा बनाती है ।

ऐतिहासिक दृष्टि से बुन्देलखण्ड की महिमा अधिक विशाल एवं महान रही है । यह भूमि महान ऋषियों की तपोभूमि है । नारद और सनकादि ऋषियों ने त्याग, साधना और तपस्या की धूनी यही रमाई है । यह वही भूमि है, जहाँ पूर्वकाल में भगवान ने नरसिंह रूप

1- त्रिपाठी मोतीलाल, बुन्देलखण्ड दर्शन, लक्ष्मी प्रकाशन, पुरानी नझाई झाँसी, 1980,पेज संख्या-13

धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया और उनके पश्चात् वे प्रह्लाद के साथ यहाँ आये । इस प्रकार प्रह्लाद अपने अत्याचारी पिता से मुक्त हुआ ।

आज भी कलिंजर, नखर, ग्वालियर, झाँसी और कुंडार के किले दर्शकों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और उनसे अपने अंचल में छिपाये हुए वीरों की गाथायें कहते हैं । आज भी बुन्देलखण्ड में पारीछा, सुखवाँ, ढिकवाँ और माताटीला बांध अधिक महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय स्थल हैं ।

बुन्देली वसुन्धरा ने ऐसे रत्नों और योद्धाओं को जन्म दिया है, जिनकी वीर गाथायें इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं । राजा चम्पतराय की वीर पत्नी सती सारन्धी और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई बुन्देलखण्ड की वीरांगनायें थीं, जिन्होंने अपने उज्जवल बलिदान से इस वीर प्रसविनी भूमि को गौरवान्वित किया है ।

इस बुन्देल वसुन्धरा का सौभाग्य है, जहाँ पाँडवों ने अपने वनवास का समय यहीं व्यतीत किया । इसी भूमि के प्राकृतिक आँचल में रामचन्द्र जी, लक्ष्मण, सीता आदि ने अपने वनवास का समय व्यतीत किया ।

ऋषियो की पावन, पुण्य तपोभूमि बुन्देलखण्ड ने सभी को अपनाया और उनके विपत्तिकाल में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर उनके लक्ष्य को पूरा किया ।

बुन्देलखण्ड के वातावरण में झाँसी की कसक, बांदा की अकड़ और जालौन की पकड़ आज भी अपनी वास्तविकता का परिचय देती है । बुन्देलखण्ड के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है -

"सौ दण्डी और एक बुन्देलखण्डी"

जो कि बुन्देलखण्डी के सम्बन्ध में चरितार्थ होती है । बुन्देलखण्ड ने भारत के उत्थान में

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । यहाँ का अतीत अत्यन्त गौरवपूर्ण है । यहाँ साहित्य संगीत और कला की अनुपम लहरें प्रवाहित होती हैं । आज बुन्देलखण्ड इतना गौरवशाली प्रदेश होते हुए भी सभी प्रदेशों में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है ।

बुन्देलखण्ड को आज नया प्रान्त नहीं बनाया जा रहा है । इसका अस्तित्व बहुत प्राचीन ऐतिहासिक काल से है, यहाँ के निवासी निर्धन, अशिक्षा और अन्धविश्वासों से जकड़े हुए हैं, यहाँ उद्योगों की कमी है ।

जनजागरण चेतना और उद्योगों के विकास के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। तभी यह प्रदेश भी भारत की प्रगति में सहयोग प्रदान करेगा, बुन्देलखण्ड प्रदेश के विकास के लिए बुन्देलखण्ड की जनता का विकास होना अत्यधिक जरूरी है ।

कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रता में योगदान देने वालों की याद के संदर्भ में यह स्पष्ट हो जाता है कि बुन्देलखण्ड राज्य, जो कि अंग्रेजी शासन की राज्य हड़पने की नीति के सिद्धान्त द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, उनमें 1840 में जालौन, 1849 में जैतपुर, 1853 में झाँसी मुख्य थे । झाँसी के हड़पने की नीति का दूरगामी प्रभाव पड़ा । यह बहुत कुछ सीमा तक 1857 के संग्राम का उत्तरदायी था, जिससे न केवल झाँसी बल्कि बुन्देलखण्ड के आस-पास के क्षेत्र भी प्रभावित हुए । झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के हौसले बढ़ते गये और उसने एक भूखी शेरनी की तरह अंग्रेजों के विरूद्ध जंग छेड़ दी ।

शोध समस्या का सामान्य वाद-विवाद :

विश्लेषण के सम्बन्ध में शिक्षा का समाज शास्त्र और ओपचारिक शिक्षा का अवबोध एक सामाजिक संस्था के रूप में है । ओपचारिक शिक्षा सार्वभौगिक नहीं और बहुत सी साधारण समुद्रायों में युवाओं के सामाजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही अन्य संस्थाओं जैसे - परिवार, किन-ग्रुप, पीयर ग्रुप या व्यावसायिक ग्रुप द्वारा अनौपचारिक रूप से चलाई जा रही है ।

फिर भी हम इस शिक्षा को युवा पीढ़ी के सामाजीकरण की औपचरिक और विशेषज्ञ अभिकरण के रूप में ग्रहण करेंगे ।

शोध के व्यापक और उपक्षेत्र :

समाजशास्त्री और शिक्षाविद् इस औपचारिक शिक्षा तंत्र की ओर दो दृष्टियों से देख सकते हैं । वे शिक्षा तंत्र को व्यापक सामाजिक तंत्र के दृष्टिकोण से स्वीकार कर सकते हैं । सामाजिक तंत्र में इसकी भूमिका और कार्यों तथा अन्य उपतंत्रों से इसके सम्बन्ध के अर्थों में, अथवा वे शोध के इन्हीं व्यापक क्षेत्रों के अन्दर शैक्षिक क्षेत्र की आन्तरिक संरचना के ऊपर केन्द्रित हो सकते हैं । अध्ययन के लिए छः उपक्षेत्रों और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को पहचाना जा सकता है ।

औपचारिक शिक्षा के कार्य :

शैक्षिक तंत्र से यह आशा की जाती है कि वह युवा पीढ़ी के समाजीकरण में मूल्यों, दृष्टिकोणों, व्यवहार के तरीकों, जिनको कि वह समाज मान्यता देता है, जिसमें कि वे रहते हैं, के द्वारा साथ-साथ ज्ञान के विशिष्ट प्रकारों द्वारा योगदान दें । शिक्षा व्यवस्था ज्ञान के प्रसार और समाज द्वारा मान्य तकनीकों के प्रसार के लिए भी उत्तरदायी है । परिणामस्वरूप यह तंत्र सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक गति के निर्धारण के लिए भी उत्तरदायी है । शिक्षाविद् और समाजशास्त्री उन कार्यों की जानकारी करना चाहते हैं, जिन्हें एक विशेष शैक्षिक व्यवस्था एक विशिष्ट समाज के अन्दर करती है और उन तरीकों को जानना चाहते हैं, जिनसे शिक्षा एक औपचारिक संस्था के रूप में अपने कार्यों का अन्य संस्थाओं जैसे परिवार और व्यावसायिक संगठनों के साथ भागीदारी करती है । वे यह भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार यह कार्य पूरे किये जाने हैं और ये तरीके जिससे कि यह कार्य और उन्हें करने के ढंग उसी समाज में समय के साथ

परिवर्तित हो गये हैं । यह विश्लेषण उस सीमा को बताता है, जिसमें कि शैक्षिक तंत्र ने अपने को परिवर्तन करने व व्यवस्था में अन्तर के लिए अपनी पहचान के रूप में स्वीकार किया है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के प्रसार के लिए योगदान के लिए जाने जाते हैं । यह विश्लेषण हमारी जैसी सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त हैं, जो कि द्रुतगामी परिवर्तनों से गुजर रही है । भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में एक दूसरा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि यहाँ औपचारिक शिक्षा द्वारा हस्तान्तरित किये जाने वाले ज्ञान, मूल्यों और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा विभिन्न उपसंस्कृतियों के ज्ञान, मूल्यों और विश्वासों के मध्य चलने वाला संघर्ष । इसी प्रकार कोई भी यह जानना चाहेगा कि क्या शैक्षिक तंत्र वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करता है या कि ज्ञान में मूल्यों विश्वासों आदि को समाहित किया गया है या नहीं । शिक्षा का सम्पूर्ण प्रश्न परिवर्तन और स्तर के मध्य सन्तुलन के निर्धारक के रूप में एक विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे कि हमारे में और भी शोचनीय हो जाते हैं ।

शैक्षिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का दूसरा विचार :

अन्त में शिक्षा शास्त्री और समाजशास्त्री शिक्षा और अन्य उप संस्थाओं के बीच सम्बन्ध को परीक्षण करने में उत्सुक है, मुख्य रूप से उन प्रश्नों में जो कि या तो इन्हें प्रभावित करते हैं या इनसे प्रभावित होते हैं । इसमें मुख्य रूप से परिवार, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था, आर्थिक और व्यावसायिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था और इसके साथ-साथ विश्वास, मूल्यों और व्यवहार के तरीकों को समाहित किया जाता है ।

(ए) बुन्देलखण्ड की भौगोलिक विशेषताएँ :

बुन्देलखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करती है कि देश के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा इस क्षेत्र ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक विरासत के रूप में अधिक सक्रिय योगदान

दिया है । इसके आविर्भाव के समय से ही यूरोपीय और भारतीय दोनों स्कालर्स की विद्रोह की भावना एक ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान के विषय के रूप में प्रकट हुई । स्वतंत्रता से पूर्व समय के दौरान अनेकों मानक कार्यों ने रोशनी प्राप्त की, परन्तु जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था, तो इसके वृहत परिप्रेक्ष्य में विद्रोह का नियंत्रित रूप से अध्ययन करने के प्रयास किये गये, क्योंकि बहुत से पुराने अभिलेख जो अब तक सील थे, उन्हें खुला छोड़ दिया गया, परिणामस्वरूप 1857 के संग्राम के प्रथम शताब्दी समारोह के दौरान इन कार्यों का अध्ययन किया गया ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक दशायें विशिष्ट हैं, क्योंकि यह विन्ध्यान्चल की सीमा में स्थित है और अनेकों नदियाँ यहाँ पर हैं । बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत जो क्षेत्रफल है, उसमें उ0प्र0 24° 11' से 26° 27' उत्तरी समानान्तर तथा 78° 10' से 81° 34' पूर्व उर्ध्वाधर स्थित है, इसकी उत्तर सीमा पर यमुना नदी और दक्षिण पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश तथा पूर्वी सीमा की ओर इलाहाबाद है । इसमें पाँच जिले - झाँसी, बाँदा, जालौन, ललितपुर और हमीरपुर, जिनके सचिव मुख्यालय झाँसी में हैं, स्थित है । बुन्देलखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्रफल भौगोलिक दृष्टि से 29,520 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 5438 मिलियन, जिसका घनत्व 175 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है ।

उ0प्र0 के बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सीमाकन उत्तर की ओर यमुना, उत्तर पश्चिम की ओर चम्बल विन्ध्य पठार की उत्तरी पहाड़ियाँ, दक्षिण की ओर विन्ध्य क्षेत्र की मिर्जापुर पहाड़ियाँ पूर्व की ओर हैं। बुन्देलखण्ड का नाम जो कि शासनकर्ता राजपूतों की ओर से उत्पन्न किया गया, वह बारहवीं शदी के अन्त तक तुलनात्मक रूप से आधुनिक है । चन्देल जिनकी राजधानी महोबा थी, वे आधे पश्चिमी क्षेत्र की प्रभावशाली जातियाँ थीं । तुली आक्रमणों ने चन्देलों को इतना

1- सिंह, आर0एल0 इण्डिया"ए"रीजनल ज्योग्राफी (बनारस एन0जी0एस0आई0) सन् 1971, पृष्ठ संख्या - 600 - 607 ।

कमजोर कर दिया कि बुन्देलों की तरह वे भी युद्ध में एक आसान शिकार हो गये । तब मराठे आये और उसके बाद अंग्रेजों का इस क्षेत्र में प्रादुर्भाव हुआ । 1857 के संग्राम की शुरूआत की पूर्व संध्या पर बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी जिलों - बांदा, हमीरपुर, जालौन, चन्देरी (ललितपुर) और झाँसी को मिला लिया गया । संधि वाले राज्यों में ओरछा, टेहरी, रसिया और समभार तथा अनेकों राज्य अंग्रेजी सरकार के अनुदानों के अन्तर्गत रहे ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के क्षेत्र में बुन्देलखण्ड का अतिविशाल मैदान है, जो पहाड़ों और पहाड़ियों की एक श्रृंखला द्वारा विभक्त किया गया, इसमें अनेक जल प्रपात यमुना नदी में गिरते हैं और अनेकों उससे निकलते हैं और जो कि इसकी पूर्वी सीमा का भी निर्धारण करते हैं । यह क्षेत्र एक समतल मैदान की तस्वीर प्रस्तुत करता है । धीरे-धीरे दक्षिण की ओर से बढ़ना शुरू होता है, जहाँ की पहाड़ियाँ कुछ मील अन्दर तक पहुँचती हैं । ललितपुर, जालौन और झाँसी में मैदान बहुत अधिक घाटियों से कटा हुआ है, जिसमें कि अनेकों नदियाँ प्रवाहित रहती हैं । यमुना, पहुज, बेतवा और धासन नदियों की सीमाओं के क्षेत्र इस संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं और सबसे अधिक गैर कृषि की भूमि उ0प्र0 (भारत) के सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में धारण करते हैं ।

बुन्देलखण्ड के भौगोलिक पृष्ठ भूमि के संदर्भ में यह भी बताया गया है, कि वहाँ अनेकों एकांकी पहाड़ियाँ हैं, जो कि सामान्य स्तर से अचानक ऊपर उठती हैं, जो कि पिरामिड के रूप में हैं । वे बांदा जिले में पश्चिम और दक्षिण की ओर फैली हुई हैं । हमीरपुर जिले के महोबा और जैतपुर में केन के पार और फिर से झाँसी जिले के उत्तर और पश्चिम की ओर से दिखायी पड़ती है । पहाड़ियों की चट्टानी सतह अवरोध और खुली हुई है । इनके आधार के चारों ओर झाड़ियाँ और घने जंगलों के झुण्ड हैं । ये पहाड़ियाँ इसके आधार से निकलती हैं, और करीब-करीब अंतहीन टुकड़ों के रूप में उदाहरण स्वरूप कालिंजर का निर्माण करते हैं । आजमगढ़ और कुछ अधिक शक्तिशाली क्षेत्र ने अनेकों बुन्देखण्ड के योद्धाओं को

उत्पन्न किया, जो कि भारत की महान शक्तियों के सफलतम सुरक्षा प्रबन्ध करते थे । पहाड़ियों से अनेकों जल धारायें यमुना की ओर प्रवाहित होती हैं, जिसमें सिन्ध, पहुंज, बेतवा धासन, केन, बर्मा और वैसनी प्रमुख हैं । यमुना जो कि पहले इसकी उत्तरी सीमा को छूती है और इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्माण करती है । वह सभी मौसमों में जल प्रवाहित रहती है । किन्तु अधिकांश अन्य नदियाँ समतल मैदान में दिखायी नहीं देतीं या फिर अत्यधिक ऊँचाई वाले जल प्रपातों के रूप में हैं, जिनमें पानी अधिक मात्रा में नहीं होता है । मैदान में नदियों की अधिक गहराई और मिट्टी की अधिक पानी पीने की शक्ति ने सिंचाई के महत्व को काफी बढ़ा दिया है । इसके लिए बहुत अधिक संख्या में जल संसाधन जैसे झील, छोटी लेक आदि को निचली घाटियों में नदियों के पानी को प्रवाहित कर और उस पर बंधक बनाकर निर्मित किया गया है । झाँसी जिले में बड़वा सागर, अरजार, कन्हरनेह की झीलें और हमीरपुर जिले में मध्य सागर, विराट सागर और अनेकों अन्य झीलें इस क्षेत्र की इण्टरप्राइज और औद्योगिक लोगों के अनोखे निर्माण हैं ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जल वायुवीय परिस्थितियाँ प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए चयनित क्षेत्र और प्रकृति भी है । मुख्यतः इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क और स्वस्थकर है । किन्तु गर्मी के मौसम में यह कष्टदायक होती है, जो कि शायद पेड़ों की कम मात्रा, नंगी चट्टानों और बंजर जमीन के विकिरण के कारण हो सकती है । इसी प्रकार जाड़े के मौसम में ठण्डक कम रहती है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र की प्रमुख विशेषता सिंचाई की आंशिक अनुपस्थिति है, जो कि सामान्यतः अव्यवहारिक है, जिसका कारण 100 - 125 फीट की पानी की सतह से गहराई, विशेष प्रकार की मिट्टी, जिसमें इतने अत्यधिक गड्ढे और दरारें होती हैं कि जब इसे पानी दिया जाता है तो बिना किसी सिंचाई के प्रभाव को दिखाये वह पानी शीघ्रता से गायब हो जाता है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र की मिट्टी को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे - कवर, मार, राकर और परूआ, कवर

1- पूर्वोक्त - पृष्ठ संख्या - 600, सन् 1971 ।

कड़ी सूखी और शीघ्र दरार पड़ने वाली मिट्टी है, जिसमें कण अधिक पाये जाते हैं । मार मुख्यतः काली कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है, जिसमें अधिक मात्रा में छोटे कंकड़, नूडल्स और उच्च अनुपात में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, नम, किन्तु जल रोकने वाली और कणों से युक्त मिट्टी है । ये दोनों ही मिट्टियाँ बिना सिंचाई के फसल उत्पन्न कर सकती है । राकर मिट्टी कटाव से प्रभावित बड़े कंकड़ और नूडल्स वाली मिट्टी है । परूआ हल्की ओर बलुई मिट्टीं है और सिंचाई, खाद आदि मिलने पर यह उपजाऊ बन जाती है । यह मिट्टी गुढा में भिन्नता के लिए हुए हैं । बांदा में भारी मिट्टी कुल कृषि क्षेत्र के एक तिहाई क्षेत्र को ढके हैं। हमीरपुर में करीब 1/2 भाग, जालौन में 3/5 भाग झाँसी मुख्य में 1/2 भाग से भी अधिक और ललितपुर में करीब 1/3 भाग । भारी मिट्टी में मुख्यतः चार ये कणों की वृद्धि काफी है । यह भारी वर्षा के साथ निर्मित होती है, जिससे कि इसकी जल अवशोषक क्षमता में कठिनाई आती है और इसे संतृप्त बनाने में भी समस्या उत्पन्न होती है । मुश्किल से एक सेटेलमेन्ट रिपोर्ट है, जो कि इसके लेखे-जोखे के रखने में असफल हैं, या जो कि आपकी कमी की आवश्यक बातों को नहीं बताती है । बुन्देल खण्ड काटन से कालपी बाजार की मुख्य वस्तुऍं बनाई जाती हैं । सभी पेड़ों की जड़ें अधिकांश लाभ का साधन हैं । अपनी सुन्दर और स्थाई रंग के लिए इसका मूल्य काफी ऊँचा होता है । पहाड़ी पर अधिकांश लोहा का उत्पादन होता है, जो जंगल इन पहाड़ियों और घाटियों के आसपास हैं । वे आबनूस के लिए प्रसिद्ध है । प्रकृति ने इसको काफी सुन्दरता प्रदान की है । इस क्षेत्र में समन्वय के साधनों की कमी है ।

यहाँ पर यह बात उपयुक्त नहीं है कि इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में जो प्रादेशिक भाषा बोली जाती है, वह बुन्देलखण्डी है, जो कि हिन्दुस्तानी से काफी मेल खाती है और इसकी लिपि देवनगरी है ।

1- स्प्रेत ओ0एच0के0 इण्डिया एण्ड पाकिस्तान (लन्दन) मैथयून, सन् 1924

बुन्देलखण्ड की संस्कृति एवं सभ्यता :

भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक चेतना के आधार धार्मिक मंदिर हैं, जिनके द्वारा भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का परिचय प्राप्त किया जा सकता है । बुन्देलखण्ड ऋषियों की उज्जवल तपोभूमि है । मँहाभारत के गुरू द्रोणाचार्य की जन्मभूमि यहीं है । बुन्देलखण्ड के तीर्थ स्थल ओरेछा (बालाजी) विश्व विख्यात हैं । बुन्देलखण्ड को यदि तीर्थों की पवित्र वसुन्धरा और धार्मिक मंदिरों का भू-भाग कहा जाय, तो अतिशयोक्ति न होगी । भारत की उदार हिन्दू परम्परा के अनुसार ही बुन्देलखण्ड में सदैव धार्मिक सहिष्णुता रही है । वहाँ वैश्य़ शाक्त, बौद्ध, जैन और वेष्णव मंदिर पास-पास बने मिलते हैं । वास्तव में जिस काल में ओरछा खजुराहों, देवगढ़, चंदेरी जैसे नगर वैभव के उच्च शिखर पर आसीन हैं । बुन्देलखण्ड के अंचल में मंदिरों की भरमार है ।

झाँसी का शिव मंदिर अत्यन्त प्राचीन है । शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ एक विशाल मेला होता है । गणेश मन्दिर का निर्माण महाराजा रघुनाथराव के काल में हुआ था । महारानी लक्ष्मीबाई गणेश पूजा के लिए इस मंदिर में आया करती थीं ।

जालौन जिले में जरहाले देवी का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है । नवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है ।

लक्ष्मी जी का मंदिर झाँसी के लक्ष्मीताल और अठरवबम्भा के बीचो-बीच स्थित है । रघुनाथ जी के मंदिर की यह विशेषता है कि इस मंदिर में एक ही स्थान में राम जानकी और कृष्ण की मूर्तियाँ विराजमान हैं । इस मंदिर के पुजारी स्वर्गीय श्री दयाराम तिवारी झाँसी के ख्याति प्राप्त एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे ।

श्री रामलला का मंदिर जालौन जिले की कोंच तहसील में स्थित है । इस मंदिर का प्रसिद्ध महन्त आत्मारामवास जी थे, जो महारानी लक्ष्मीबाई के गुरू माने जाते थे ।

बुन्देलखण्ड का शारदा मंदिर पहाड़ पर स्थित है ।

दतिया का अत्यन्त प्राचीन मंदिर "बड़े गोविन्द जी का मंदिर" गोविन्द गंज में स्थित है । यह मंदिर लगभग 1600 वि0 के काल का है । जालौन जिले के उरई में ठडेश्वरी का मंदिर विशाल एवं प्राचीन है । यहाँ पर ठडेश्वरी महात्मा ने त्याग, तपस्या और साधना की धूनी रमायी थी । वे सदैव खड़े ही रहते थे । इस मंदिर में राम, सीता, शंकर भगवान आदि की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं ।

देवी जी का मंदिर बंगरा जालौन के पास नावली ग्राम में स्थित है । यह अत्यन्त प्राचीन है । यहाँ पर देवी की मूर्ति स्वप्न देकर प्रकट हुई थीं ।

ज्वालेश्वर मंदिर रीवां जिले के पूर्वी सीमा पर मेकल पर्वत पर स्थित है । महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना इसी स्थल पर की थी ।

भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास में धर्म ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। धर्म ने ही मानव जीवन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है । इन पावन वसुन्धरा के मंदिर भारतीय संस्कृति और सभ्यता के केन्द्र हैं, जिनकी छाया में यहाँ की संस्कृति और सभ्यता विकास के चरण पर निरन्तर अग्रसर हो रही है । बुन्देलखण्ड साहित्य एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का प्रतीक है । बुन्देलखण्ड के लोक साहित्य को एक विशिष्ट स्थान है ।

बुन्देलखण्ड की सांस्कृतिक परम्परा की पृष्ठभूमि में बुन्देली के लोक गीत का अक्षय मंजर बिखरा पड़ा है । बुन्देलखण्डी लोक साहित्य के विकास में श्री मन्न द्विवेदी तथा रामनरेश त्रिपाठी ने अत्यधिक सहयोग दिया । बुन्देलखण्ड के प्रसिद्ध साहित्यकार पं0 गौरीशंकर द्विवेदी कृष्णानन्द गुप्त, तथा श्याम सुन्दर बादल ने लोक साहित्य के क्षेत्र में अधिक सराहनीय कार्य किया है ।

बुन्देलखण्डी कहावतों का लोक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है । कहावतों के माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बहुत कुछ समझाता है, यहाँ तक कि रहस्यमयी बात भी समझा दी जाती है ।

"के भैस भैसन में जै
"के कसाई के खूटा बांधै।"[1]

जो वस्तु जिस जगह की है, वह उसी जगह रखी जायेगी, दूसरी जगह नहीं ।

बुन्देलखण्ड का औद्योगिक विकास :

आधुनिक युग में प्रत्येक मानव विकास की ओर उन्मुख है । मानव श्रम व उद्योग के बल पर प्रत्येक अच्छे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है । उद्योगी पुरूष को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है । वह अपने बाहुबल पर विश्वास करके अपना जीवन यापन कर सकता है ।

वैदिक काल से ही भारतीय औद्योगिक परम्परा प्रारम्भ होती है । कृषि, पशुपालन एवं व्यवसाय वैश्यों का काम था । वे देश को धन-धान्य से पूर्ण करने के लिए उद्योग करते थे। भारत के मुख्य घरेलू उद्योग धन्धे पशुपालन, घी, दूध, मक्खन तथा पनीर का काम, सूत कातना, तथा रस्सी बांटना, कुम्हार का काम, बढ़ई का काम, सुनार का काम, जूते बनाने का काम तेल निकालने का काम मधुमक्खी पालने का काम आदि है । इस उद्योगों से मानव में आत्मनिर्भरता की भावना का समावेश होता है ।

औद्योगिक दृष्टि से बुन्देलखण्ड का अधिक महत्व है और यहाँ की वस्तुएँ दूर-दूर तक ख्याति प्राप्त हैं। यहाँ की वस्तुओं की सराहना भारत के कोने-कोने में की जाती है ।

1- पूर्वोक्त पेज नं0 - 422, सन् 1980।

बुन्देलखण्ड में निम्नलिखित उद्योग धन्धे हैं, जो अति प्राचीन हैं और जिनका स्वयं का अपना अस्तित्व है ।

भारत में पशुपालन कार्य को सर्वोत्तम माना जाता है । बुन्देलखण्ड में भी कृषकों को खेती के लिए बैलों की आवश्यकता पड़ती है । गोबर व मूत्र से खाद बनती है ।

बुन्देलखण्ड में ग्वाले व अहीर जाति के लोग इस कार्य को अपनाते हैं । वे लोग गाय - भैंस पालकर दूध व पनीर, मक्खन,घी आदि को नगरों में वितरण करते हैं तथा कई सरकारी डेरी फार्म भी बुन्देलखण्ड में खोले गये हैं ।

बुन्देलखण्ड का मुख्य उद्योग सूत कातना, रस्सी बांटना, हाथ से कपड़े बनाना है । यहाँ जुलाहे के हाथ से बने कपड़े दूर-दूर तक लोकप्रिय हैं । झाँसी में 1977 में सूती मिल की स्थापना हो चुकी है, इससे बेरोजगारी को राहत मिलेगी व बुन्देलखण्ड का औद्योगिक विकास होगा। इन उद्योगों से लोग अपनी जीविका चलाते हैं ।

बुन्देलखण्ड के लुहार भी कलाकार हैं । ये अनेकों प्रकार के औजार बनाते हैं । तालबेहट के सरौते एवं चाकू और कटेरा की कुल्हाड़ियाँ यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं । बुन्देलखण्ड में लोहे के व्यापार ने काफी उन्नति की है, जैसे - एस0आर0 इण्डस्ट्रीज में लोहे की अलमारी आदि बनाई जाती है ।

बुन्देलखण्ड के जाखलौन, अटा, नारहट तथा धौरा में पत्थर की खदाने हैं । बुन्देलखण्ड में दो ऐसे स्थान हैं, जहाँ पान की खेती होती है । पाली महोबा के पान भारत में प्रसिद्ध हैं ।

बुन्देलखण्ड में दरी, कालीन व ऊनी गलीचे काफी प्रसिद्ध हैं । मऊरानीपुर से 16 हजार गज ऊन प्रतिवर्ष बाहर भेज दी जाती है । यहाँ ऊनी गलीचों के कारखानों की स्थापना

की जा सकती है । बुन्देलखण्ड के झाँसी मण्डल में जरी, कारीगरी, छपाई, बुनाई, कढ़ाई आदि का उद्योग बढ़ाया जा सकता है ।

बुन्देलखण्ड में चीनी उद्योग को अधिक अपनाया जाना चाहिए ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे खनिज लवण में हीरे से लेकर लोहे के प्रस्तर तक की खाने हैं ।

बुन्देलखण्ड हीरे, पन्ने, माणिकों तथा अन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थों के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं । यहाँ पर लोहा, ताँबा, शीशा, खड़िया, मिट्‌टी, चुनककारा, इमारती पत्थर, बालू, काँच की रेत बाक्साइड के रूप में स्वर्ण से भी मूल्यवान पदार्थ उपलब्ध हैं । यहाँ पर 2500 वृक्षों की जातियाँ विद्यामान हैं । यहाँ के वनों में वृक्षों के खाद्य और सुगन्धयुक्त फल-फूल छाल रस पत्तियाँ व जड़ी बूटियाँ आदि मनुष्य के लिए सदैव उपलब्ध हैं । बुन्देलखण्ड की भूमि रत्नगर्भा है । हीरे-पन्ने वाली खानें तो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं । इसकी भूमि के अन्तर्गत अनेकों खनिज दबे पड़े हैं ।

बुन्देलखण्ड का अधिकांश भाग पठारी है, जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम में चम्बल तथा पूर्व में टोंस नदी से घिरा है । बुन्देलखण्ड का प्राकृतिक सौन्दर्य विन्ध्यांचल पर्वत की श्रेणियों से अधिक समुज्जवल प्रतीत हो रहा है । इसका ढाल दक्षिण से उत्तर को है ।

यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है । यहाँ कई बाँध भी हैं । जैसे - माता टीला, सिकुवाँ, ठिकुवां, ओरछा, दशार्ण तथा चम्बल बाँध, गर्मी के मौसम में पेयजल का अभाव रहता है ।

बुन्देलखण्ड में गर्मी की राते अधिक शीतल व सुखद एवं सुहावनी होती हैं ।

बुन्देलखण्ड में जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य कृषि पर निर्भर रहते हैं और उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है । पत्थरों को खानों से निकालना, जंगलों से लकड़ी काटना, वस्त्र बुनना एवं रंगना, चूना तैयार करना आदि ऐसे कार्य हैं, जिन्हें यहाँ का मुनष्य लघु उद्योगों के रूप में व्यवसाय कार्यान्वित करता है । बुन्देलखण्ड के चारों ओर का वातावरण प्राकृतिक है । प्राकृतिक के अंचल में आम्र, अशोक, चंदन, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, बेल के सुगन्धित घने वृक्ष अठखेलियाँ करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं और अपनी शीतल छाया यंत्र-तंत्र बिखेर रहे हैं ।

बुन्देलखण्ड का स्वरूप चित्र

जिला	क्षेत्रफल	वर्गमील	जनसंख्या
जालौन	1763	4568	663168, 812909
झाँसी एवं ललितपुर	3797	10062	1087479, 1307276
हमीरपुर	2776	7188	794449, 988240
बांदा	2950	7641	953751, 1182949
ग्वालियर	2016		657 876
भिण्ड	1719		641169
मुरैना	4512		783348
शिवपुरी	3934		557954
गुना	4240		595825
दतिया	786		200467
पन्ना	2546		331258
छतरपुर	3330		587373

टीकमगढ़	1934	455662
विदिशा	2819	489213
जबलपुर	3909	1273825
सेवनी	3362	523741
सागर	3950	796547
दयोह	2815	438343
नरसिंहपुर	1983	412406
छिदवाड़ा	4576	785535
मंडला	5120	684503
बालाघात	3560	806702
रायसेन	3278	411426
होशगाबाद	3851	618293
बैतूल	3851	560412
26	**79317 वर्गमील**	**16111704**

बुन्देलखण्ड में आयुर्वेदिक दवाओं की भरमार है । वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन की दवाइयों का विशाल कारखाना बुन्देलखण्ड के झाँसी दतिया क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, जिसमें सैकड़ों हजारों मजदूर कार्य कर रहे हैं ।

बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक यूनानी फार्मास्युटिकल वर्क्स भी आयुर्वेदिक इन्जैक्शनों का निर्माण कार्य कर रहा है ।

तेंदूँ की पत्तियाँ बीड़ी लपेटने के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है । बुन्देलखण्ड के क्षेत्र झाँसी, ललितपुर कटनी सतना और जबलपुर बीड़ी निर्माण के प्रमुख केन्द्र हैं ।

बुन्देलखण्ड पिछड़ा जरूर है, लेकिन औद्योगिक विकास भारी मात्रा में हुआ है ।

xxxxx

तृतीय अध्याय

अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु की खोज के लिए ही है । यह उस प्रक्रिया का द्योतक है, जिसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण और उनके आधारों पर व्यापक निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है । अनुसंधान एक निश्चित क्षेत्र में किसी समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है ।

"हमारे सांस्कृतिक विकास का गुप्त रहस्य अनुसंधान में निहित है । अनुसंधान नये सत्यों की खोज द्वारा अज्ञानता के क्षेत्रों में समाप्त कर देता है और वे सत्य हमें कार्य करने की श्रेष्ठकर विधियाँ तथा उत्तमतर परिणाम प्रदान करते हैं ।"[1]

अनुसंधान की विधियाँ :

अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण उतना ही विविधपूर्ण है, जितना कि विधि शब्द के अर्थों को प्रयुक्त करना । अनुसंधान की विधियाँ निम्नलिखित हैं :-

(1) ऐतिहासिक विधि

(2) सर्वेक्षण विधि

(3) प्रयोगात्मक विधि

(4) तुलनात्मक विधि

उक्त विधियों में से किसी एक का ही प्रयोग करने पर किसी भी अध्ययन को सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता । प्रत्येक अनुसंधान के विकास के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है । यह विधियाँ न तो रहस्यात्मक हैं और न तो अनावश्यक रूप से जटिल हैं ।

1- वेस्ट, जॉन, डब्ल्यू, रिसर्च इन एजूकेशन, यू0एस0ए0, प्रेन्टिस हॉल, इन्क्लूडिंग इंग्लेवुड क्लिफ, 1959 , पेज नं0 - 9

बुनियादी तौर पर वे सरल हैं तथा सामान्य बुद्धि पर आधारित हैं ।

"यदि अनुसंधानकर्ता अपनी विधि की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता, तो परिणामों के अत्यधिक अनिश्चित एवं सामान्य होने की संभावना अधिक रहती है ।"[1]

प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग किया जायेगा ।

प्रमुख स्रोत :

मौलिक अभिलेख तथा वे अवशेष जो कि किसी भी घटना अथवा तथ्य के प्रत्यक्ष साक्षी होते हैं, उन्हें प्रमुख स्त्रोत कहते हैं । प्रमुख स्त्रोत दो प्रकार के होते हैं :-

1- मौलिक अथवा लिखित प्रमाण-पत्रों के रूप में अथवा किसी घटना विशेष में भाग लेने वाले या उसको देखने वालों के द्वारा लिखे गये अथवा रखे गये आलेख जैसे - संविधान, घोषणा-पत्र, आत्म चरित्र, वर्णन, चित्रकारी आदि ।

2- जो अवशेषों के रूप में रखे जातें हैं जैसे - मानवीय अवशेष, जमीन से खोदकर निकाले गये अवशेष, हथियार, औजार, घरेलू वस्तुएँ व वस्त्र आदि ।

गौण साधन :

जिस घटना को न तो व्यक्ति ने देखा है और न ही उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया है । ऐसी सूचना के साधन गौण कहे जाते हैं ।

2- **सर्वेक्षण विधि :**

सर्वेक्षण उपगमन उस प्रदत्त को एकत्रित करने और विश्लेषण करने की विधि है

1- सुखिया, एस0पी0 - शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व, पी0वी0 मेहरोत्रा, आर0एन0 मेहरोत्रा, विनोद पुस्तक मंदिर, हास्पिटल रोड, आगरा-3, पेज नं0 - 205, सन् 1973. ।

जो बहुत से ऐसे उत्तर देने वालों द्वारा संकलित किया जाता है, जो एक सुनिश्चित जनसमुदाय के प्रतिनिधि हैं । यह प्रदत्त विस्तृत प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार से उपलब्ध किये जाते हैं ।

शैक्षिक समस्याओं के प्रति सर्वेक्षण उपगमन सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले उपगमनों में से एक है । इसका उपयोग शिक्षा के स्थानीय एवं राज्य स्तर के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पक्षों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है ।

उपयोगी सर्वेक्षण अध्ययनों में निम्नलिखित तीन प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है :-

1- प्रस्तुत स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी ।

2- लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करके यह निर्धारित करना कि हम किस प्रकार की परिस्थिति चाहते हैं ।

3- दूसरे व्यक्तियों के अनुभवों या विशेषज्ञों की राय के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के संभावित साधनों की खोज करना ।

सर्वेक्षण विधि की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :-

1- इनमें अपेक्षाकृत संख्या में अधिक मामलों से दत्र एकत्रित किये जाते हैं ।

2- इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित समस्या तथा निश्चित उद्देश्य सम्मिलित होते हैं ।

3- जटिलता की दृष्टि से सर्वेक्षण पर्याप्त रूप से विविधतापूर्ण होते हैं ।

4- सर्वेक्षण गुणात्मक या संख्यात्मक दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं ।

5- वर्णन या तो शाब्दिक हो सकता है अथवा गणितीय, संकेतों में व्यक्त किया जा सकता है ।

सर्वेक्षण विधि निम्न कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है :-

1- यह वर्तमान प्रकृति को निर्धारित करती है तथा वर्तमान व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण करती है ।

2- यह भावी विकासों के क्रम की ओर संकेत करती है ।

3- यह ज्ञान के विकास में योग देती है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के कार्य की प्रवृत्ति के लिए तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करती है ।

4- यह पृष्ठभूमि के विचार या दत्र प्रस्तुत करती है ।

शोध से सम्बन्धित साहित्य :

शोध करने के लिए अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित सभी प्रकार के उपकरणों, अभिलेखों, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन उप-कल्पना के निर्माण व कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है ।

अतः सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य अंधेरे में छोड़े गये तीर के समान होता है । इसके बिना वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है ।

जब तक कि अनुसंधानकर्ता को यह न पता हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य किया जा चुका है और उसके निष्कर्ष क्या आये, तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न उसकी रूपरेखा तैयार कर सकता है । इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए गुडबार तथा स्केट्स कहते है :-

"एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है, कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धी आधुनिक खोजों से परिचित होता रहे । उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजों से परिचित होना आवश्यक है ।"[1]

1- शरत चन्द्रन के0 - "बाल्मीकि रामायण में शिक्षा", पी-एच0डी0 संस्कृत, गोहाटी वि0वि0, पृष्ठ - 75, सन् 1967 ।

यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है :-

1- रामायण काल के दौरान शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप ।

2- उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षा के अभिकरणों के सम्बन्ध में बाल्मीकि रामायण का शैक्षिक दर्शन ।

यह रामायण को बताती है और उसकी व्याख्या करती है, लेकिन यह अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण है ।

अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष हैं :-

1- शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना था ।

2- शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अपने कर्म करने के योग्य बनाना था । ब्राह्मणों को शैक्षिक और धार्मिक मामलों में, क्षत्रियों को सैन्य प्रशिक्षण में, वैश्यों को वाणिज्यिक एवं औद्योगिक मामलों में नेतृत्व करना था ।

3- स्त्रियों को भी औपचारिक शिक्षा का लाभ प्राप्त होता था, ताकि वे अपने पतियों की आदर्श साथी बन सकें ।

4- शिक्षा जन सामान्य की पहुँच तक थी । विद्यार्थी अपने पर्यावरण से सीखते थे और वे गाय चराने से लेकर ध्यान तक की विभिन्न क्रियाओं में रूचि लेते थे ।

5- शिष्य अपना पूरा जीवन प्राकृतिक वातावरण में गुजारते थे । कक्षाएँ छायादार वृक्षो के नीचे लगती थीं, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की संस्थायें जंगलों (तपोवन) में थीं ।

6- शिक्षा आर्य संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित करती थी ।

7- शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को इस लोक के लिए तैयार करना नहीं, अपितु आध्यात्मिक केन्द्रण के द्वारा व्यक्ति को दूसरे लोक के लिए तैयार करना था ।

8- शिक्षण संस्थायें ज्योतिष, व्याकरण, काव्य और शिष्टता जैसी बहुत सी बौद्धिक और धार्मिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करती थीं ।

9- शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में सत्य, ईमानदारी और एकता की भावना उत्पन्न करना था ।

10- शैक्षिक व्यवस्था की व्याख्या से स्पष्ट है कि बाल्मीकि को शिक्षा के सभी विभिन्न दृष्टिकोण और दार्शनिक आधार अच्छी तरह से मालूम थे और वे शैक्षिक विचारों को उस युग में भली प्रकार उसके उचित परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कर सकते थे ।

उपाध्याय एस0के0 - मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन (1900 - 1968) पी0एच0डी0 शिक्षा सागर वि0वि0 1968 अध्ययन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में माध्यमिक शिक्षा का विकास पूर्ण इतिहास तैयार करना, जिन्होंने इसकी वृद्धि में एक अहम भूमिका निभाई और समस्याओं तथा जिन तरीकों से इन्हें हल किया गया, उसकी भी जानकारी करना था ।

रिकार्ड से स्पष्ट है कि ब्रिटिश काल के दौरान कुछ हिन्दू और मुसलमान समुदायों को शिक्षा की स्वदेशी प्रणाली द्वारा कुछ विशेषाधिकार दिये गये । जबलपुर, होसंगाबाद, नागपुर के इन्हीं प्रयासों के आधार पर सागर में 1827 में मिशनरीज ने सूत्रधार के रूप में कुछ स्कूल स्थापित किये । उन्नीसवीं सदी के दौरान प्राथमिक शिक्षा कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और स्त्री शिक्षा का विकास बहुत सीमित था । माध्यमिक शिक्षा का प्रादुर्भाव 1862 में जबलपुर में केवल एक हाईस्कूल और तीन गैर अनुदानित मिडिल स्कूलों की स्थापना के साथ हुआ। हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में संस्कृत, फारसी, भूगोल, इतिहास और गणित विषय थे और मिडिल स्कूलों के लिए अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान और शारीरिक व्यायाम विषय थे । अंग्रेजी के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया । 1882 में प्राथमिक शिक्षा छः श्रेणियों के साथ एक पंचवर्षीय कार्यक्रम में प्रथम वर्ष में दो श्रेणियाँ शामिल थीं । माध्यमिक शिक्षा में एक मिडिल स्कूल और एक हाईस्कूल शामिल था । प्रथम सत्र में (1902 - 1907) कुछ सुधार प्रशासन को प्रवाहपूर्ण चलाने के लिए बताये गये और माध्यमिक शिक्षा की सामान्य विशेषताओं को विकसित

करने का प्रयास किया गया । नीति परिवर्तन से सरकार का प्रवेश हुआ । इसी काल के दौरान पाठ्यक्रम पर दोहरा नियंत्रण और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत परीक्षायें और अनुदान सहायता , मान्यता और निरीक्षण एक सरकार के अन्तर्गत अस्तित्व में आये । नई शिक्षा नीति ()1913() प्रथम विश्व युद्ध हो जाने के कारण बाद के वर्षो मे दृढ़ अर्थव्यवस्था के कारण अग्रिम गति प्राप्त नहीं कर सकी । 1921-22 तक ही प्रत्येक जिले में एक स्कूल स्थापित किया जा सका । स्कूलों , छात्रों , व्यय अनुदान की वृद्धि के अलावा इस काल में गुणात्मक वृद्धि भी दिखाई पड़ी जैसे प्रशिक्षण की शुरूआत आदि । 1937 में प्रान्तीय सरकारों में एक भारतीय मुखियां एक शिक्षा मंत्री के साथ मंत्रि मंडल में शामिल हुआ । भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह एक मील का पत्थर है । 1930 तक स्त्री शिक्षा की प्रगति धीमी थी । राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरूआत के साथ स्त्री शिक्षा को आगे का वातावरण बनाया गया । मध्य प्रदेश शिक्षा को वित्तीय सहायता देने के लिये 1947-1956 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर दो और राज्य स्तर पर एक आयोग बनाया गया । इससे पाठ्यक्रम के प्रथक्करण की आवश्यकता माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1948 का कानून प्रसार संबंधी प्रभावपूर्ण क्रियाये , नये विषयों की शुरूआत और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के व्यक्तिगत प्रयास की स्वीकृति हुई । झा- कमेटी ने प्रथक्करण के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए शैक्षिक वैज्ञानिक और प्राविधिक कोर्सों की तीन धाराओं के रूप में सलाह दी । अगले समय () 1956-61() में कुछ प्रमुख समस्याओं जैसे प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम की एकता और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना को लिया गया । किन्तु सभी समस्यायें सुलझाई न जा सकीं । माध्यमिक स्तर पर प्राविधिक शिक्षा विभिन्न धाराओं की शुरूआत की गहन आवश्यकता के साथ शुरू हुई । प्राविधिक शिक्षा का परिणाम 4 सूत्री संरचना के रूप में प्रकट हुआ जैसे- परास्नातक प्रथम डिग्री डिप्लोमा और औद्योगिक प्रशिक्षण कोर्स । परीक्षा प्रणाली सदैव आलोचना की पात्र रही । राज्य में शिक्षा की प्रशासन प्रणाली का मुखिया शिक्षा मंत्री होता था। जिसके साथ-साथ एक या दो उप शिक्षा मंत्री और एक सचिव सहायता के लिये होता था ।

वित्तीय सहायता , सार्वजनकि कोष जिसमें प्रान्तीय निधि शामिल थी, स्थानीय कर नगर पालिका निवेश और व्यक्तिगत कोष जिसमें फीस इन्डाउमेन्ट्स , डोनेसन्स, आदि के रूप में प्राप्त होती थी । किन्तु सरकारी अनुदान सबसे बड़ा हिस्सा होता था । अनुदान एक निश्चित अनुदान के रूप में निर्धारित किया जाता था । परिणामस्वरूप भुगतान , वार्षिक अनुदान, भवन अनुदान और विशेष अनुदान के रूप में किया जाता था । अवैज्ञानिक प्रकृति की आलोचना के कारण शुरूआती क्रियाये बंद कर दी गई ।

3. देसाई , एन0 विश्वविद्यालय की विवाहित महिला अभ्यर्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठ भूमि और उनकी शैक्षिक समस्यायें 1969 (एन0 सी0 ई0 आर0टी0 और एस0एन0डी0टी0 फाइनेन्सस्ड)

इस अध्ययनका उद्देश्य विवाहित महिलाओं को उनके छात्र भूमिकाओं को निभाने में आने वाली समस्याओं का पता लगाना था।अध्ययन के उद्देश्य निम्न थे -

1- विवाहित महिला अभ्यर्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठ भूमि का अध्ययन करना ।

2- उस तरीके का अध्ययन जिसमें विवाहित महिला अभ्यर्थी अपनी दो भूमिकाये निभा रही थी ।

3- दो भूमिकाओं को निभाने के परिणाम खोज निकालना एस0एन0डी0टी0 और बम्बई विश्वविद्यालयों की 372 महिला अभ्यर्थियों का न्यादर्श लिया गया । प्रश्नावली आंकड़े एकत्र करने और 37 सदस्यों के साक्षात्कार लेने का मुख्य उपकरण था ।

1- 61% उत्तरदाताओं ने अपनी उच्च शिक्षा विवाह के उपरान्त शुरू की थी ।

2- कुछ उत्तरदाताओं ने अध्ययन को जारी रखने के समय के अभाव की सूचना दी ।

3- विवाहित महिलाओं का एक नया प्रतिबिम्ब जो कि अपने व्यक्तित्व को विकसित करने को इच्छित थी । दृष्टिगोचर हो रहा था । और विवाहित महिलाओं के छात्रा संबंधी भूमिका के विरूद्ध आलोचनाओं के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता थी ।

4- बादामी एच0डी0 और बादामी , सी0एच0 -

मनोविज्ञान शिक्षा और दर्शनशास्त्र के विश्वविद्यालयो स्कूल गुजरात, विश्वविद्यालय 1970 (यू0जी0सी0 फाइनेन्स्ड)

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे ।

1- विद्यार्थियों की उपयुक्त प्रकार की पठन सामग्री के चुनाव में मार्गदर्शन की आवश्यकता का निर्धारण ।

2- विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के पठनों की प्रकृति और विस्तार का अध्ययन ।

3- समुदाय और विभिन्न शैक्षिक अभिकरणों को विद्यार्थियों में ऐच्छिक पठन की आवश्यकता और महत्व के लिये सावधान करना ।

न्यायदर्श में दो क्षेत्रों के विभिन्न विभागों में 12 कला, विज्ञान और वाणिज्य कालेजों के लिये 327 पुरूष और 31 महिलायें ली गई ।

1- शहरी क्षेत्र और एलिस ब्रिज तथा अहमदाबाद शहर का सीमा प्रान्त क्षेत्र । आंकड़े एकत्र करने के लिये प्रश्नावली मुख्य उपकरण प्रयोग किया गया ।

अध्ययन की मुख्य बात यह थी कि 60% विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की पुस्तको के पठन में रूचि रखते है ।

(11) करीब 50% विद्यार्थी पत्रिकाओं की कहानियाँ, चुटकुलें, कामिक्स खेल के बारे में कार्टून, तस्वीरें और कविताओं के पढ़ने व देखने में रूचि लेते है ।

5- टे0टी0- एक सामाजिक बुद्धि परीक्षण का मानकीकरण/डी0फिल मनोविज्ञान, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1972 :-

अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक बुद्धि का वस्तुनिष्ठ मापन के लिये बंगाली में एक परीक्षण को विकसित करना था । यह आशा की गई कि इस परीक्षण का उपयोग शिक्षित व्यस्क

समूहो के लिये जीवन वृत्ति सहायक के लिये किया जाना था । परीक्षण के अंतिम रूप में छः विषयों पर 80 सवाल वितरित किये गये । जिन्हें मानव व्यवहार के छः विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया ।

1- सामाजिक परिस्थिति का निर्णय ।

2- मानव व्यवहार का प्रेक्षण ।

3- मानसिक स्थिति की पहचान ।

4- नामों और चेहरों की याददास्त ।

5- मनोवृत्ति की प्रशंसा ।

6- समायोजन ।

कारक विश्लेषण अध्ययन से तीन कारको के कुल का परिणाम प्राप्त हुआ । जिसमें 1000 विषयीक के प्राप्तांक जिसमें (500 पुरूष तथा 500 महिला) शामिल थे । पुरूषों और महिलाओं के लिये प्रथम प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये गये ।

6- दास , एल0 - 1874-1947 तक :-

असम में माध्यमिक शिक्षा का विकास और सामाजिक प्रगति पर इसका प्रभाव । पी0एच0डी0 शिक्षा गोहाटी वि0वि0 1973 ।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 1874 से 1947 तक असम में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का गहराई से अध्ययन करना था ।

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि -

1- माध्यमिक शिक्षा की दृष्टिगत प्रगति संतुष्टि से बहुत दूर थी ।

2- अध्यापकों का वेतन समाजिक स्तर, सेवा के अधिकार की अवधि खराब दशा में थी, और प्रबन्ध के द्वारा उनसे किया जाने वाला व्यवहार कई परिस्थितियों में उनके सम्मान के प्रतिकूल था।

3- अधिकतर मामलों में शिक्षकों का व्यावसायिक स्तर निम्न कोटि का था ।

4- मिशनरीज स्त्री शिक्षा के प्रसार की उत्तरदायी थी और बालिका स्कूलों का पूरे राज्य में एक जाल सा बिछाना प्रारम्भ किया , और इन्होने अपने संस्थानों में कुशलता का उच्च स्तर बनाये रखा, और यही स्त्री शिक्षकों के प्रशिक्षण के सूत्रधार थे ।

5- लड़को के सरकारी स्कूलों में 1932 में सफलता का प्रतिशत 88.2% अनुदानित स्कूलों में 55.2% और गैर अनुदानित स्कूलों में 78.8% और लड़कियों के स्कूलों में 71.4% था ।

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन के एडोन्टों के रूप में कार्य किया , प्रौद्योगिकी विकास के मार्ग का निर्माण किया । और असम में प्रत्येक क्षेत्र में जीवन में क्रांति उत्पन्न कर दी ।

7- थिरू बेंकटाचारी एस0-तमिल प्रदेश में शिक्षा में अध्ययापन ।

पी-एच0डी0 शिक्षा मदुराई वि0वि0 1973 अध्ययन का उद्देश्य पूर्व साम्राज्य वाद के दौरान तमिल शिक्षा की महत्व पूर्व प्रवृत्तियों को पहचानना था ।

यह एक ऐतिहासिक अनुसंधान रिपोर्ट है जो दो भागों में है, पूर्ण साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद प्रत्येक के लिये, दोनो ही भागो में शिक्षा की प्रवृत्तियो एवं सामान्य ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठ भूमि द्वारा आगे ले जायी गयी ।

पूर्व साम्राज्यवाद में तमिल शिक्षा एक विशिष्ट शैक्षिक प्रक्रिया थी । जिसमें व्यक्तिगत शैक्षिक उपलब्धि और शिक्षा की प्रगति के लक्षण विद्यमान थे । व्यक्तिगत शिक्षको में ज्ञान को चारो और फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । साम्राज्यवाद में जन शिक्षा और स्त्री शिक्षा भी तमिल शिक्षा की मुख्य विशेषता थी । किन्तु उस युग का सबसे अच्छा व्यक्ति तमिल मेधावी छात्र थिरूवैलूवर था जो कि तमिल और संस्कृत शास्त्र का बहुत अच्छा छात्र था । उसे एक आदर्शवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया । उसके विचार अति सूक्ष्म और एक अच्छे जीवन

के मूल्यों वाले थे । उसके विचारों ने वास्तविक दर्शनों के सबसे अच्छे घटकों को परावर्तित किया । तमिल शिक्षा का श्रेष्ठ युग में विभिन्न प्रवृत्तियों ब्राहामणवाद जैनवाद, बुद्धवाद संस्कारवाद, सेध्यवाद , वैशनववाद का शिक्षा में अनुभव किया । जैनवाद ने भद्रबाहु के दक्षिण निर्गमन से उसके मुख्य शिष्य चन्द्रगुप्तमौर्य द्वारा बहुत ख्याति अर्जित की । इसने पूरे तमिल देश में ज्ञान के विभिन्न संस्थाओं के साथ एक शक्तिशाली शैक्षिक शक्ति का विकास किया । बौद्धों ने अपनी मठवाली शिक्षा के लिये एक अनुशासन का विकास किया । तमिल शिक्षा के इतिहास में शंकर सबसे अधिक प्रभावशाली है । यह कहा जा सकता था । कि उनके उत्तराधिकारी आज भी मठों को आगे बढ़ा रहे है । थिरूमुलर के आने की घटना, उनका अपने को तमिलीकृत करना, सैन्य आंदोलन के ऊपर सत्य सिद्धान्त के निर्माण ने वैव्य सिद्धान्त की ओर इशारा किया । साम्राज्यवाद के दौरान नये प्रकार के अनेको वैदिक संस्थायें पूरे तमिल देश में स्थापित की गई । जीवन मंदिर और मठ केन्द्रित होने के कारण मंदिर और मठो ने ही उपाधि और सांसारिक दोनो प्रकार के ज्ञान के लिये शिक्षा का विधान किया ।

8- डिसूजा ए0भारत में पब्लिक स्कूलों का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन ।
पी0एच0डी0शिक्षा दिल्ली वि0वि0 1973

इस अध्ययन में भारतीय पब्लिक स्कूलों का एक क्रमबद्ध और वर्णनात्मक समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया । अध्ययन का केन्द्रीय उद्देश्य पब्लिक स्कूलों की एक भद्र लोगों की माध्यमिक शिक्षण संस्था के रूप में समाजशास्त्रीय अर्थो में इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना की व्यवस्था करना था । और इनके फैले हुए समाज के साथ संबंधों की व्याख्या करना था ।

यह एक समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण था । इस सर्वेक्षण में व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया । इस जानकारी के लिये करीब 30 पब्लिक स्कूल और 5 मिलिट्री स्कूलों का चयन किया गया । आंकड़े एकत्र करने का प्रमुख उपकरण भाग लेने वालों के प्रेक्षता और

प्रश्नावली के 5 सेट जिन्हें भाग लेने वाले स्कूलों में बांटा गया । गहन अध्ययन के लिये इन स्कूल (देहरादून) का चुनाव किया गया ।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे -

1- पब्लिक स्कूलों की उच्च विशिष्ट संगठनों में अनेको प्रथाये प्रचलित थी । जैसे गृह शैक्षिक और खेलकूद और अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाये ।

2- पब्लिक स्कूलों के औपचारिक संगठनों में मुख्य अलगाव उच्च और निम्न भाग लेने वालों के बीच था । उच्च वर्ग में हेडमास्टर, कनिष्ठ अध्यापक (उप प्रधानाचार्य) हाउस मास्टर और कोषाध्यक्ष थे । मास्टर और पाठशाला के प्रमुख विद्यार्थी (मानीटर्स) निम्न वर्ग में थे ।

3- स्कूल द्वारा निर्धारित व्यवसाय चुनाव से अधिक माता पिता का प्रभाव ।

4- पब्लिक स्कूल की तमाम विशेषताओं के मध्य जिनका पुराने लड़को के सामाजिक और व्यक्गित विकास पर औपचारिक प्रभाव पड़ता था । उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी, गृह प्रणाली खेलकूद और अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाये ।

9- आई0ए0एम0आर0 - श्रम शक्ति के स्त्रियों और उनकी शैक्षिक ज्ञान । नई दिल्ली 1973

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 15 से 59 वर्ष की स्त्रियों की शिक्षा पर जो कि नौकरी कर रही थी । या नौकरी की तलाश में थी उपलब्ध सभी आंकड़ो का विश्लेषण करना था ।

अध्ययन की अवधि 1961-1981 थी । आंकड़ो के श्रोत थे ।

1- राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण ।

2- रोजगार और प्रशिक्षण निदेशक के पास उपलब्ध रजिस्टर ।

आंकड़ो के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ ।

1-15-59 वर्ष की आयु की स्त्रियो ने आगे बढ़ना जारी रखा ।

2- श्रम शक्ति में औरतों की संख्या बढ़ रही थी ।

3- हाईस्कूल शिक्षा तक की औरतों की संख्या 40 लाख थी और 1981 तक यह एक करोड़ होने की आशा थी ।

4- हाईस्कूल और इससे ऊपर शिक्षा प्राप्त स्त्रियों की संख्या श्रम शक्ति में 1.18 मिलियन 1969 में थी और 1981 तक यह 3.2 मिलियन हो जाने की आशा थी ।

10- दास , एल0 - 1874 - 1947 तक असम में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति और इसके सामाजिक प्रगति पर प्रभाव, पी-एच0डी0 शिक्षा, गोहाटी विश्वविद्यालय, 1973 ।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य असम में 1874-1947 तक माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का गहराई से अध्ययन करना था ।

अध्ययन से प्रकट हुआ कि -

1- सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर माध्यमिक शिक्षा की स्थिति संतुष्टि से बहुत दूर थी ।

2- अधिकतर अध्यापको का व्यावसायिक स्तर मानक स्तर से नीचे था ।

11- गारवेनली, एन0-भूमिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन : महिला विद्यार्थियों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन पी-एच0डी0, समाजशास्त्र, राजस्थान वि0वि0, 1974 ।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे -

1- व्यवहार के तरीके और दृष्टिकोण पर आत्मसम्मान की भावना का प्रभाव ।

2- आत्म सम्मान और भूमिका प्रदर्शन , समायोजन के तरीके आंकाक्षा सामाजिक परिवर्तन के बीच अन्तर्सम्बन्ध ज्ञात करना ।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए -

1- अपनी छवि और दूसरें के उत्तरों के विषयों के प्रत्यक्ष बोध के बीच परिणाम की महत्वपूर्ण श्रेणी थी । सभी 10 विशेषताओं के लिये उच्च श्रेणी 85 से 5 प्रतिशत के बीच थी । निम्न आत्म सम्मान को प्रोत्साहित करने के लिये अधिक प्रतिकूल मूल्यांकन की अधिक भावना थी ।

2- " अंतिम बच्चा " और " अकेली लड़की " को छोड़कर केन्द्रीय परिवार और अर्धसंयुक्त परिवार के लोगो में आत्मसम्मान के प्रति अधिक झुकाव था ।

3- माता पिता की स्वीकरोक्ति और आत्म सम्मान के स्तर के बीच सकारात्मक रेखीय संबंध था । माता पिता की प्रभावपूर्ण सहिष्णुता ने आत्म सम्मान स्तर को प्रभावित नहीं किया ।

4- उच्च आत्म सम्मान क्रियात्मक भूमिका प्रदर्शन को आगे ले जाता था ।

5- आत्मसम्मान स्तर और प्रभावशाली सहिष्णु भूमिका प्रदर्शन के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं थे ।

6- आत्म सम्मान और समाजिक समायोजन के बीच उच्च सकारात्मक रेखीय संबंध था ।

7- आत्म सम्मान के स्तर ने महत्वपूर्ण रूप से आंकाक्षा स्तर को प्रभावित नहीं किया ।

8- उच्च आत्म सम्मान वाले विपरीति लिंगों से स्वतंत्र आकर्षण की वकालत करते थे । और अपनी जीवन साथी के स्वयं चुनाव के प्रति केन्द्रित थे ।

12- मेहता, **बी0- स्त्रियों और संघीय कारकों से संबंधित सामाजिक मुद्दो के प्रति स्त्रियों का दृष्टिकोण ।**

1974 के अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे -

1- शिक्षा , विवाह, विभिन्न व्यवसाय, राजनीतिक जीवन में रूचि सामाजिक , धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रति स्त्रियो के दृष्टिकोण का अध्ययन ।

2- इस दृढ़ विश्वास को सुप्रमाणित करना कि , स्त्रियों का दृष्टिकोण मुश्किल से विशिष्ट था ।

3- स्त्रियों के कुछ शारीरिक चरों और उनके दृष्टिकोण के बीच संबंध का अध्ययन करना ।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित थे -

1- निम्नलिखित स्त्रियों के दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण अंतर नहीं था ।

(ए) विवाहित और अविवाहित स्त्रियां ।

(बी) हिन्दू और मुसलमान स्त्रियां ।

(सी) उच्च और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाली स्त्रियां ।

(डी) उच्च और निम्न शैक्षिक पृष्ठ भूमि वाले परिवारों की स्त्रियां ।

2- विज्ञान समूह, निम्न आयु समूह, निम्न धार्मिक समूह और अधिक प्रगतिशील पारिवारिक पृष्ठ भूमि वाली स्त्रियां आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण वाली थी ।

3- स्त्रियों में अपनी संस्कृति की पहचान की गहरी भावना थी ।

4- स्त्रियां वर्ग जाति और समुदाय जैसे पारम्परिक संस्थानों की कम सहमत थी और सामाजिक धार्मिक बंधनो को तोड़ने से डरती नहीं थी ।

5- आर्थिक स्वतंत्रता के लिये पर्याप्त शिक्षा की आवश्यकता समझी गई ।

6- स्त्रियां व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में थी ।

7- विवाह और नौकरी को भी बराबर महत्व दिया गया ।

8- स्त्रियों में राजनीति के प्रति उच्च दृष्टिकोण था ।

13- मेहता , पी0- राजस्थान में कालेज लड़कियों की स्थिति अवस्थान और पसन्द , मनोविज्ञान विभाग उदयपुर विश्वविद्यालय 1974 (आई0सी0एस0एस0 आर0फाइनेन्सड)

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान की कालेज लड़कियों की स्थिति अवस्थान और पसन्द का मापन करना था ।

उदयपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग और स्थानीय राजकीय विद्यालय की 375 लड़कियों को न्यायदर्श चुना गया ।

आंकड़े की प्रश्नावली की सहायता से एकत्र किये गये ।

1- अधिकतर सभी लड़कियां मध्य अथवा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की थी ।

2- विद्यार्थियों ने अपनी पसन्द के विषयों का चुनाव किया और कला अभ्यर्थी इस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में स्वतंत्र थे ।

3- अधिक शिक्षित माताओं की लड़कियाँ कम शिक्षित माताओं की लड़कियों की अपेक्षा अपने जीवन क्रिया की ओर अधिक झुकाव रखती है ।

14- बासु यू0 - बिहार में 1904 से अब तक स्त्री शिक्षा । पी0एच0डी0शिक्षा पटना वि0वि0 1975

अध्ययन के उद्देश्य बिहार में स्त्री शिक्षा के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना था । और अशिक्षा का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा का स्तर , माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान का शिक्षणआदि से सम्बन्धित समस्याओं का हल बताना था ।

यह एक पुस्तकालयी अध्ययन है । प्राथमिक व द्वितीयक दोनो ही आकड़ो के श्रोत का उपयोग किया गया है ।

अध्ययन से प्रकट हुआ कि 1904 से पूर्व छोटी लड़कियों को छोड़कर जो कि लड़को के साथ पढ़ती थी । अन्य लड़कियाँ केवल विशेष स्कूलों में ही उपस्थिति होती थी । 1904 से 1919 के बीच लड़कियों की शिक्षा में कुछ प्रगति दिखाई पड़ी । किन्तु यह प्रगति उतनी नहीं थी । जितनी की आशा की गई थी । यह स्थिति असहयोग आन्दोलन के और आर्थिक कठिनाइयों के कारण थी । हाईस्कूल में स्त्री शिक्षा पर लड़को की अपेक्षा दो गुना व्यय किया गया ।

1919-1927 के बीच भी प्रगति निम्न रही क्योंकि -

1- पर्दा प्रथा और बाल विवाह के कारण ।

2- स्त्री शिक्षकों की कमी ।

3- माता पिता द्वारा बालिका शिक्षा पर खर्च न करने का मन ।

सरकार ने 1929-30 में यह कहा कि स्त्रियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाय । 1937-47 के मध्य निर्देशों का माध्यम अंग्रेजी से बदलकर मात्र भाषा कर दिया गया । लड़कियों के लिये हाईस्कूलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 12 दी गई , मिडिल स्कूल चालीस और प्राथमिक स्कूल 2067 हो गये । स्त्री शिक्षा के लिये 30,000,000 रूपये के विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई और 20 छात्र वृत्तियों का निर्माण कालेज अध्यापन के लिये किया गया । स्वतंत्र भारत में उत्साहहीन शिक्षा उत्सुक क्रिया में बदल गई । किन्तु स्त्री शिक्षा में संतोषप्रद प्रगति नहीं हुई । प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्त्री शिक्षा की प्रगति , प्राथमिक, माध्यमिक , और

कालेज की शिक्षा के कुछ उतार चढ़ावो के साथ और व्यावसायिक तथा सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति हुई ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना नें बिहार में स्त्री शिक्षा के पिछड़ेपन को समझा और शिक्षा के क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण कड़ी समझा । प्राइमरी और माध्यमिक स्तरों पर लड़कियों के नामांकन में वृद्धि करने के लिये विशेष उपाय किये गये ।

चतुर्थ योजना में बिहार में स्त्री शिक्षा के गुणात्मक और संख्यात्मक विकास की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया । अशिक्षा ही केवल समस्या नहीं थी । पाठ्यक्रम, शिक्षकों के गुण और प्रत्येक स्तर पर प्रशासन को अधिक ध्यान की आवश्यकता थी । बिहार की तुलना में अन्य राज्यों जैसे - आन्ध्र प्रदेश , असम , गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर , पंजाब , पश्चिम बंगाल और संघशासित राज्यों ने अधिक प्रगति की । बिहार में स्त्रियों की शिक्षा की प्रगति की प्रमुख बाधाये अपर्याप्त कोष, प्रशिक्षित अध्यापको, की कमी और मध्यम तथा निम्न वर्ग के माता पिता का स्त्री शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण था ।

15- पाठक बी0- छात्र असंतोष - उड़ीसा राज्य के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन । पी0एच0डी0 समाजशास्त्र पटना वि0वि0 1975

अध्ययन का उद्देश्य जनवरी 1973 से दिसम्बर 1974 तक के समय में उड़ीसा राज्य में छात्र असंतोष की समस्याओं का अध्ययन करना था । इनके विशिष्ट उद्देश्य थे:-

1- छात्रों की आंकाक्षाओं और उनकी जरूरतों के विचारों का प्रत्यक्ष बोध का अध्ययन ।

2- यह अध्ययन करना कि किस प्रकार छात्रशक्ति स्वीकार की गई संघर्ष नीति का छात्र और राजनीति के संबंध का और छात्र संघ की भूमिका को स्पष्ट करते हैं ।

3- छात्रों के बीच धर्म संस्कार जाति और विवाह के सम्बन्ध में प्रशिक्षण और मूल्यों में परिवर्तन की श्रेणी और सीमा का मापन ।

4- यह पता करना कि किस प्रकार शिक्षण और परीक्षा का कार्यक्रम छात्रों द्वारा समझा जा रहा है ।

5- छात्र असंतोष के कुछ कारणों और सुधारों से संबंधित महत्व का अध्ययन ।

मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे ।

1- प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित विवाहो में कुछ परिवर्तन हुआ । उत्तरदाताओं ने प्रेम विवाह और अर्वजातीय विवाह को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया । अधिकतर लोग धर्म, प्रार्थना , और पूजा में विश्वास रखते थे । केवल वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने के अलावा अधिकतर उच्च जाति के विद्यार्थी किसी अन्य जाति से सम्पर्क रखने में कोई रूचि नहीं रखते थे ।

2- सभी नेता और गैर नेता लोगो में उच्च आकांक्षा स्तर था ।

3- सभी प्रकार के तरीके आश्रय के अपनाये गये और अधिकतर उत्तरदाता आंदोलन और हड़तालों में भाग लेते थे । अधिकतर उत्तरदाताओं ने छात्र संघो के कालेज में स्थायी अस्तित्व और निर्णय करने वाली संस्थाओं में विश्वास दिखाया ।

4- सामान्यतः छात्र शिक्षा प्रणाली , अध्ययन के कोर्स और परीक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे । नेताओं में गैर नेताओं की अपेक्षा असंतोष अधिक था ।

5- उत्तरदाता यह महसूस करते थे कि छात्र असंतोष का सबसे प्रमुख कारण गलत परीक्षा प्रणाली था । दूसरा प्रमुख कारण पथ प्रदर्शन और सलाह की कमी, आर्थिक कठिनाईयों राजनीतिक पार्टियों द्वारा छात्रों का उपयोग और रोजगार के अवसरों की कमी अन्य प्रमुख कारण थे ।

16- गोडलेकर , ए0वाई0- विद्यार्थियों और उनके माता पिता द्वारा समझे गये स्त्री शिक्षा के उद्देश्य पी0एच0डी0 । समाज शास्त्र, एस0एन0डी0टी0 1975

अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थियों और उनके माता पिता द्वारा समझे गये स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों की जानकारी करना था । अध्ययन के कुछ विशिष्ट उद्देश्य थे कि - विभिन्न आयु वर्ग की लड़कियों से उनकी शिक्षा, जीवनवृत्ति चुनाव का दृष्टिकोण व उनके खाली

समय की क्रियाओं तथा अपने माता पिता और पतियों के सम्बन्ध में विचारो के उद्देश्यों का परीक्षण करना था । यह भी पता लगाना कि माता पिता और पतियों का उनकी पुत्रियों की शिक्षा उनकी असफलता सहशिक्षा लड़कियों का लड़को के साथ मिलने जुलने की स्वतंत्रता की ओर क्या विचार था ।

न्यायदर्श में कक्षा । और तथा त्रिवर्षीय कालेज लड़कियो में से 200 लड़कियों और उनके 200 माता पिता को प्रसम्भावतः के आधार पर चुना गया । आवश्यक आकंड़े एकत्र करने हेतु प्रश्नावली साक्षात्कार प्रेक्षण का प्रयोग किया गया ।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न थे ।

1- विद्यार्थियों और उनके माता पिता दोनो ने ही शिक्षा में यहाँ तक उच्च शिक्षा में अपनी तीव्र इच्छा जाहिर की ।

2- सभी माता पिता अपनी पुत्रियों और पुत्रों को शिक्षित करने व उन्हें एक समान सुविधायें प्रदान करने के इच्छुक थे ।

3- विवाह के सम्बन्ध में कालेज विद्यार्थियों और उनके माता पिता के उत्तरों में अधिक अलगावपन नहीं था । इसका अर्थ यह हुआ कि विद्यार्थी वास्तववादी थे ।

17- चिटनिस- परम्परागत मुद्रा फलक और औरतों की भूमिकायें - " सहशिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा " के सम्बन्ध में बम्बई शहर में कालेज की लड़कियों की स्थिति अवस्थान और दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारको के अध्ययन पर एक रिपोर्ट टिस बम्बई, 1975 ।

इस अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य थे ।

1- कौन सी कालेज बालिकायें किस सीमा तक परम्परागत फलकों और प्रचलित भूमिकाओं को स्वीकार करती है । और उनको उपलब्ध स्वतंत्रता को अस्वीकार करती है । और उनको उपलब्ध स्वतंत्रता की सीमा को समझना ।

2- इन लक्षणों पर सहशिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के प्रभाव का परीक्षण ।

यह अध्ययन बम्बई शहर तक ही सीमित था । और इसमें 9 कालेजो और

यूनीवर्सिटी के छात्रावासो में रहने वाले 1005 विद्यार्थियों को लिया गया । अधिक से अधिक 250 विद्यार्थियों के साक्षात्कार लिये गये तथा प्रत्येक छात्रावास के लगभग 25% विद्यार्थियों के साक्षात्कार लिये गये ।

1- औरते आदमियों की अपेक्षा पाक शास्त्र, गृहस्थी के कार्यो और बच्चों की देखभाल में अच्छी थी ।

2- कुछ औरतों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त थी । किन्तु यहां तक कि एक महानगर के छात्रावास में अपने ऊपर निर्भर रहने वाली कालेज औरतों के सम्बन्ध में भी यह सीमित थी ।

18- पटेल, पी0ए0- 19 वीं0 शताब्दी के दौरान गुजरात में माध्यमिक शिक्षा की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन ।

पी-एच0डी0एम0एस0 यूनी0, 1975 ।

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अध्ययन किया गया ।

1- उन कारणों का निर्धारण करना जिनके कारण विभिन्न हाईस्कूलों की स्थापना हुई ।

2- माध्यमिक शिक्षा के विकास में अंग्रेजी शासन की उपलब्धियों और असफलताओं का विस्तार पूर्वक बारीकी से अध्ययन ।

अध्ययन के लिये 23 माध्यमिक स्कूलों का नयादर्श किया गया ।

19वीं शताब्दी के अन्त में कुल मिलकर 16,322 छात्र हाईस्कूल में अध्ययनरत थे 1981 में शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात 9:14-66 हाई स्कूल में था ।

अधिकतर पाठ्यक्रम भाषायी था । भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान जैसे विषयों का कोई स्थान नहीं था । शिक्षण विधि में अधिकतर व्याख्यान पद्धति का प्रयोग होता था ।

19- राय, के0बी0- ग्रेटर बाम्बे में गुजराती माध्यम के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण पी-एच0डी0, समाजशास्त्र , एस0एन0डी0टी0 1975 ।

अध्ययन के उद्देश्य थे कि -

1- एक समाज के प्रबन्ध में शैक्षिक प्रबन्ध का महत्व ।

2- शिक्षण का एक व्यवसाय के रूप में स्थान व महत्व ।

3- भारत में शिक्षा के समाजशास्त्र संबंधी अध्ययन ।

4- भारत की शिक्षा प्रणाली और शैक्षिक स्तर ।

5- बाम्बे शहर में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास ।

6- ग्रेटर बाम्बे में गुजराती माध्यम के स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों का समाजशास्त्रीय स्तर ।

मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे ।

1- अधिकांश औरते शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित हुई क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि यह व्यवसाय उन्हें अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अधिक सम्मान प्रदान करेगा ।

2- विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं का अनुपात अधिक था ।

3- मराठी माध्यम के स्कूलों में पुरूष अध्यापक अधिक थे ।

4- महिलाओं को लगा कि शिक्षण व्यवसाय के निश्चित समय है और इसमें विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संबंध उत्पन्न होने की कम संभावना है ।

5- अधिक गुजराती अध्यापको ने भविष्य निधि योजना का पक्ष लिया ।

20- भालेराव यू0 - मध्य प्रदेश के वृद्ध नगरीय केन्द्रों में शिक्षित अंधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन पी-एच0डी0, समाजशास्त्र 1975 ।

अध्ययन के उद्देश्य थे कि -

1- पारिवारिक पृष्ठभूमि , शिक्षा, सामाजिक, धार्मिक स्थिति, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति का पता लगाना ।

2- मनोरंजन और रूचियों का पता लगाना ।

3- शिक्षित अंधों के जैन चिकित्सीय पृष्ठभूमि और मनोविज्ञान का पता लगाना ।

अध्ययन के निष्कर्ष निम्न थे ।

1- पारिवारिक समायोजन संतोषप्रद था । माता पिता अपने अंधे बच्चों को जनता के सामने ले जाना शर्म की बात नहीं समझते थे । और महसूस करते थे कि उनके शैक्षिक प्रशिक्षण पर खर्च हुआ समय और पैसा उपयोगी रहा ।

2- उनका एक बड़ा समूह अंधे कल्याण संगठन था । सामाजिक कल्याण संगठन के सदस्य थे ।

3- वे अपने घरो को साफ रख सकते थे । और व्यक्तिगत देखभाल के लिये स्वयं पर्याप्त थे ।

21- देसाई सी0डी0 - गुजरात राज्य में लड़कियों का स्कूली शिक्षा में प्रवेश, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कारकों और समस्याओं का एक अध्ययन ।

पी-एच0डी0 शिक्षा बाम्बे यूनी0, 1976 ।

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे ।

1- प्राचीन काल से आधुनिक समय तक गुजरात में यें स्त्रियों की स्कूली शिक्षा की वृद्धि का परीक्षण ।

2- स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार पर उनके प्रभाव का अनुमान लगाना । अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि प्राचीन भारत में लड़कियों के उपनयन संस्कार के समान अधिकार थे । इसलिये वे पवित्र वैदिक साहित्य को पढ़ने के योग्य थी । और धार्मिक कृत्यों में भाग लेती थी । तीसरी शताब्दी के दौरान आर्यो के गैर आर्य स्त्रियों से विवाह न करने व लड़कियों के वैदिक साहित्य के पठन पर रोक लगा दी । तेरहवीं शताब्दी के अंत तक भारत में मुस्लिम आक्रमण और शासन ने स्त्रियों के शिक्षा में प्रवेश में बाधा डाल दी । अगले समय 1818 तक मराठा श्रेष्ठता के कारण संघर्ष और संताप का इतिहास था । असुरक्षा और समाजिक असुरक्षा की भावना ने लड़कियों को चारदीवारी में कैद कर दिया । अंग्रेजो का शासन भी 19वीं सदी में गुजराती समाज में परिवर्तन का प्रमुख कारण था । 19वीं सदी के तीसरे दशक में लड़कियों की आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ हुआ और माध्यमिक शिक्षा देर से

1880 के दौरान शुरू हुई । 19वीं सदी के अंत तक स्कूल जाने वाली 1980005 में से 23816 लड़कियों ने प्राइमरी शिक्षा में प्रवेश किया । यद्यपि धार्मिकता धीरे-धीरे कम थी । फिर भी सामान्य धार्मिक और सामाजिक संरक्षण हिन्दू और मुस्लिम बालिका शिक्षा में प्रमुख बाधा था । किन्तु ईसाईयों और यहूदियों ने कम से कम अपने समुदाय के लिये स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया । सरकार द्वारा व्यक्तिगत संस्थानो को स्त्री शिक्षा प्रसार को सौपना एक दूसरी बाधा थी । यद्यपि इसने लड़को की शिक्षा हेतु बहुत अच्छा कार्य किया । राज्य में स्त्री शिक्षा का आर्थिक मूल्यों से पृथक होना स्त्री शिक्षा के भाग्य को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक था । वर्तमान सदी में गुजराती समाज बहुत कुछ बदल गया । 1950-51 में 6-11 वर्ष के प्रत्येक 64 लड़कों पर 36 लड़कियों 11-14 वर्ष के लड़कों में प्रत्येक 10 में दो लड़कियों ने स्कूली शिक्षा में प्रवेश लिया । सामाजिक , धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रो में परिवर्तन ने इस सदी में गुजराती समाज में लड़कियों की शिक्षा पर अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव डाले । निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय हिन्दू और मुस्लिम समुदायों पर धार्मिक संकीर्णता का सीमित प्रभाव पड़ा । जाति प्रथा और संयुक्त परिवार प्रथा जारी रही लेकिन लड़कियों को वैवाहिक उम्र 14 से बढ़ाकर 16 वर्ष हो गई । फिर भी स्वतंत्रता के उपरांत स्त्री शिक्षा का प्रसार अधिक था । जैसे तीन दशको से कम में प्रसार शुरूआत के 130 वर्षो से अधिक हुआ ।

22- उक्कर, पी0एन0- स्वतंत्रता के पश्चात गुजरात में स्त्री शिक्षा का विकास पी0एच0डी0 शिक्षा गुजरात विद्यापीठ 1976

अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य थे ।

1- स्वतंत्रता से पूर्व गुजरात में स्त्री शिक्षा की स्थिति का अध्ययन ।

2- 1947-1972 के बीच स्त्री शिक्षा के विकास का अध्ययन ।

3- अध्ययन काल के दौरान गुजरात को राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के साथ व्यक्तियों और संस्थानों के योगदान के संदर्भ में स्त्रियों की शिक्षा की प्रगति और प्रसार में सहायक कारको का अध्ययन ।

4- स्त्री शिक्षा की वृद्धि में बाधक कारको का अध्ययन ।

5- अध्ययन काल के दौरान गुजरात में स्त्री शिक्षा की वृद्धि के लिये किये गये सामाजिक और सरकारी प्रयासों का अध्ययन ।

अध्ययन में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया गया है । गुजरात महाराष्ट्र और केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रकाशित शिक्षा विभागों की वार्षिक रिर्पोट, पंचवर्षीय योजनाओं की रिर्पोट 1961 और 1971 की जनगणना वार्तावियों, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितियों और आयोगो की रिपोर्ट प्राथमिक श्रोत थे । द्वितीयक श्रोत शिक्षा के इतिहास की पुस्तके औरतों के एक व्यक्तिगत या समाज के सदस्य के रूप में उनके स्तर और स्थिति से सम्बन्धित पुस्तके, पत्रिकाये और पत्रक थे , और ये अध्ययन के विषयों से सम्बन्धित थे इन सभी के साथ विख्यात शिक्षा शास्त्रियों और समाजसुधारको के साक्षात्कार और स्त्रियों की शिक्षा संस्थाओं के साथ पत्राचार का भी प्रयोग किया गया ।

अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष थे ।

1- बालिका विद्यार्थियों के संबंध में गुजरात के प्राथमिक और माध्यमिक दोनो स्तरों पर अपव्यय और अवरोधन की समस्या कठिन थी ।

2- संख्या वृद्धि के बजाय स्त्रियों का मूल्य और उनकी शिक्षा अभी भी समझी जानी थी।

3- आर्थिक कारको ने स्त्री शिक्षा की प्रगति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई ।

4- बहुत कुछ समाज और समाजिक परम्पराओं मूल्यों, विश्वासों ने स्त्री शिक्षा का या तो फैलाने या रोकने में प्रभावशाली भूमिका अदा की ।

5- स्त्री शिक्षा के संबंध में भारत के अन्य राज्यो में गुजरात का 1961 में तीसरा स्थान तथा जबकि 1971 में यह पांचवा हो गया ।

6- 1951 के मुकाबले 1971 में स्त्री शिक्षा की प्रगति संख्यात्मक दृष्टि से दूनी थी । जबकि बालको में यह सिर्फ ड़ेढ़ गुनी बढ़ी थी । 1951 की तुलना में गुजरात में 1971 में स्त्रियों की साक्षरता उच्च थी ।

23- लखर वी0 - 1874 से 1970 तक असम में स्त्री शिक्षा की प्रगति ।

पी-एच0डी0 शिक्षा, गोहाटी वि0वि0, 1976 ।

अध्ययन का उद्देश्य असम में 1874-1970 तक स्त्री शिक्षा के इतिहास और विकास की जानकारी प्राप्त करना था । असम सचिवालय के रिकार्ड आफिस से प्राप्त वास्तविंक प्राथमिक श्रोतो का प्रयोग आकंड़े एकत्र करने में किया गया ।

मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे ।

1. ऐसे क्षेत्र जहाँ बालिकाओं के लिये कोई विद्यालय नहीं थे । बालिकाओं के साथ सहयोग न मिलने से यह प्रयोग 1933 में बंद कर दिया गया । बालिका शिक्षा के विकास को एक प्रवर्तक शक्ति प्राप्त हुई ।

2- शुरूआत में कुछ लड़कियां स्कूलों में उपस्थिति हुई । अध्यापको को लड़कियों का नामांकन प्राप्त करने के लिये उपहार दिये गये । प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिये शुल्क आवश्यक था । किन्तु उच्चतर प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में फीस खत्म कर दी गई थी ।

3- शुरूआत के वर्षो में लड़के और लड़कियां के पाठ्यक्रम एक जैसे थे । किन्तु 1882 के पश्चात् बालिकाओं के लिये एक पृथक पाठ्यक्रम और पृथक परीक्षा प्रारम्भ किये गये । 1936 से दुबारा एक जैसे पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रारम्भ की गई ।

4- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये आयु सीमा का समापन और छात्रवृत्ति का अनुदान जैसे कदम सरकार द्वारा उठाये गये ।

5- 1908 में पर्यवेक्षण के लिये बालिका विद्यालयों हेतु प्रथम महिला निरीक्षका की नियुक्त की गई इसकी सहायता के लिये सहायक निरीक्षिकायें थीं । बाद में निरीक्षिकाओं के पद को समाप्त कर दिया गया और उप निदेशक सार्वजनिक निर्देश महिला के एक पद को सृजित किया गया ।

24- इन्दु कुमारी , एम0 : केरल में मुस्लिम औरतों की शिक्षा और सामाजिक स्तर ।

पी-एच0डी0 समाजशास्त्र, केरल वि0वि0 1976 ।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि मुस्लिम औरतो के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने में शिक्षा का क्या महत्व है ।

अध्ययन की मुख्य परिकल्पनाये निम्नलिखित थी ।

1- शिक्षा ने मुस्लिम औरतों को सामाजिक स्तर को ऊँचा करने में योगदान दिया ।

2- अनेको सामाजिक संरचनात्मक और संस्थानिक कारको ने मुस्लिम समुदाय में स्त्रियों की शिक्षा का नामांकन किया ।

न्यादर्श का चुनाव साधारण प्रसम्माण्य विधि द्वारा 456 मुस्लिम औरतो और 150 मुस्लिम पुरूषों का किया गया ।

25- सिंह0 एम0 - इन्दौरा शहर में समस्यात्मक बच्चे का समाज शास्त्रीय अध्ययन ।

पी-एच0डी0, समाज शास्त्र, इन्दौर वि0वि0 1976 ।

अध्ययन के उद्देश्य थे :-

1- शहर में समस्यात्मक बच्चों के प्रभाव का अध्ययन करना ।

2- उनके परिवारों के सामाजिक स्तर का अध्ययन करना ।

3- सामाजिक स्तर के बच्चों की समस्या से सह-संबंध ज्ञात करना ।

अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष थे :-

1- एकीय परम्परागत परिवारो में समस्याओं का प्रभाव उच्च था ।

2- पारिवारिक सदस्यों की शिक्षा समस्यात्मक बच्चों के व्यवहार का आधार नहीं थी ।

3- 11-17 आयु वर्ग के बच्चो में सामान्य समस्या, चोरी करना , गाली देना थी । इस आयु में कुछ सामान्य समस्याये शैक्षिक समस्याओं से सम्बन्धित थी ।

26- गांधी , वाई0आर0- ग्रेटर बाम्बे में स्त्री शिक्षा का विकास 1961-1974

पी-एच0डी0, शिक्षा एस0एन0डी0टी0, 1977 ।

अध्ययन के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न थे ।

1- 1961-1974 तक ग्रेटर बाम्बे में स्त्री शिक्षा के विकास का अध्ययन ।

2- उन कारकों का अध्ययन जिन्होंने स्त्री को उच्च शिक्षा की प्रगति की सुविधायें प्रदान की । जैसे एस0एस0सी0 के उपरान्त ।

आंकड़ों के मुख्य श्रोत थे ।

1- रिपोर्ट, अभिलेख, किताबें, पाठ्य पुस्तके, शोध ग्रंथ और आवर्तक ।

2- उन संस्थाओं का दौरा जो विशेष रूप से ग्रेटर बाम्बे में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे ।

अध्ययन के लिये निम्न उपकरण प्रयोग किये गये :-

1- प्रश्नावली } आंकड़ों के प्राथमिक श्रोत के अतिरिक्त ।
2- साक्षात्कार }

प्रश्नावली के लिये न्यादर्श 250 का था । न्यादर्श को इकट्ठा करने में आय, शिक्षा , और नौकरी घरों के रूप में लिये गये थे । कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं तथा एस0 एस0सी0 और स्नातक महिलाओं का प्रदर्शन सामान्य था । आय के चर पर उनमें से 10% का प्रदर्शन 1200/- रूप वार्षिक से कम आय का था । 50% की आय 120/- रूपये से 3000/- रूपये के बीच थी । 30% की आय 3000। से 6000 तक के बीच थी । और 10% की आय 6000/- वार्षिक से ऊपर की थी । विभिन्न क्षेत्रों के 50 विशेषज्ञो जैसे- शिक्षण , औषधि , कानून , सामाजिक कार्य और प्रशासन का साक्षात्कार किया गया ।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित थे :-

1- ग्रेटर बाम्बे में 1973-74 में 55.7% स्त्रियां और 69.7% पुरूष शिक्षित थे ।

2- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राइमरी शिक्षा में 99.6% लड़को और 70.1% लड़कियों के नामांकन लक्ष्य को प्राप्त किया । परन्तु इस दौरान लड़कियों के संबंध में अपव्यय 59% से बढ़कर 70% हो गया ।

3- कक्षा 6 से 8 तक नामांकन बहुत कम था । जैसे लड़कों का 50.2% लड़कियों का 47.4% इस स्तर पर लड़को का अपव्यय 27% और लड़कियों का 34% था ।

4- 1973-74 मे ग्रेटर बाम्बे में पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर लड़कियों का नामांकन प्रतिशत क्रमशः 45.6% ,46% और 42% था । और आर्ट , विज्ञान तथा कामर्स शिक्षा विभागों में लड़कियों का नामांकन प्रतिशत क्रमशः 72%, 39% और 14% था ।

5- स्वप्रोत्साहन उच्च शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख कारण था ।

6- पुरूषों और स्त्रियों के स्तर की समानता को फिर भी उपलब्ध करना था ।

27- शर्मा एस0पी0- दिल्ली में 1913-1968 के बीच प्राथमिक शिक्षा का विकास पी-एच0डी0 शिक्षा, कुरू0 वि0 1977।

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा के विकास से संबंधित वास्तविकताओं का पता लगाना था । और स्कूल तथा छात्रों, अध्यापक, उनके प्रशिक्षण और स्तर, शैक्षिक वित्त अपव्यय और अवरोधन , अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा , जूनियर बेसिक शिक्षा , पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये शिक्षा और स्थानीय नियमों की भूमिका के सम्बन्ध में विकास के विभिन्न पक्षों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना ।

दिल्ली की कुल जनसंख्या का 2.1% ही 1913 में प्राथमिक स्तर पर नामांकन हुआ । यह बढ़कर 11.61% हो गया । 1978 में 86% जनसंख्या 6-11 वर्ष के बीच प्राथमिक स्तर पर नामांकन हुआ और पुरूषों का प्रतिशत महिलाओं की तुलना में अधिक था ।

1935-36 तक प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत कम रहा, लेकिन 1935 के बाद इसमें सुधार हुआ और 1947 में यह 93.52 हो गया स्वतंत्रता के बाद परिस्थिति और बदली तथा 99.9% (स्त्री , पुरूष) प्रशिक्षित अध्यापक थे । सामान्य शिक्षा के संदर्भ में भी अध्यापको के गुण में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई । स्वतंत्रता से पूर्व प्राइमरी स्कूल में केवल कुछ स्नातक शिक्षक ही थे । लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें परास्नातक भी थे । 1963 में इसमें 2135 स्नातक और 231 परास्नातक थे । अध्ययन काल के दौरान वेतनमानों में 1917,1932 1948, 1959, 1968 में सुधार हुआ दिल्ली के शिक्षक दोहरी वृद्धावस्था सुविधायें प्राप्त करते थे -

जैसे पेशन, ग्रेच्युटी । 1913-14 में 1968-69 तक केवल कुछ वर्षो को छोड़कर दिल्ली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रादुर्भाव के बाद स्थानीय बन गई । 1921-22 से 1957-58 तक सरकार दूसरा महत्वपूर्ण श्रोत रही । 1958 के बाद स्थानीय स्वयं सरकार प्राइमरी शिक्षा को वित्त प्रदान करने का एकात्मक श्रोत बन गई दिल्ली में 1886 से सरकार स्वयं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदानिक करने का प्रमुख श्रोत है । 1919 से स्थानीय संस्थाओं ओर व्यक्तिगत अभिकरणों ने प्राथमिक शिक्षा में एक अहम भूमिका अदा करनी प्रारम्भ कर दी । व्यक्तिगत संस्थाये अधिकतर प्रकृति में धार्मिक क्षेत्रीय थी ।

सामाजिक , सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के आकर्षण ने बाद के वर्षो में दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा को प्रगति को गति प्रदान की ।

28- **सरवरी एस** - स्त्रियों की राय और व्यवहार का पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध जैसे शैक्षिक स्तर से संबंध का एक न्यादर्श सर्वेक्षण पी0एच0डी0 शिक्षा , नागपुर विवि0 1977 .

अध्ययन के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे ।

1- शिक्षा का इसके सभी स्तरों से महत्व पूर्ण विचारों के परिवर्तनो और सामुदायिक जीवन के तरीको से सम्बन्ध पर प्रकाश डालना ।

2- यह स्पष्ट करना कि किस प्रकार स्त्रियों के विचारों और व्यवहार में परिवर्तन उनके शैक्षिक स्तरों के साथ-साथ अलग होते है ।

3- भारतीय स्त्रियो में सामाजिक अग्रगमन में शिक्षा को संभावित भूमिका की व्याख्या करना । महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के 8 जिलो से 1000 औरतों का न्यादर्श प्रसम्भण्य विधि के द्वारा चुना गया । आंकड़े एकत्र करने के लिये न्यादर्श सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया । विवाहित जीवन , परिवार नियोजन , बच्चों का पालन पोषण परिवार का सामान्य स्वास्थ्य स्त्रियों की सामाजिक स्वतंत्रता आदि से संबंधित एक प्रश्नावाली भी प्रकाशित की गई । व्यक्तिगत भ्रमण के द्वारा माता पिता

का साक्षात्कार लेकर अन्य आंकड़े भी एकत्र किये गये । कार्ड वर्ग प्रविधि का प्रयोग किया गया। उच्च शैक्षिक स्तर और निम्न शैक्षिक स्तर के दो समूहों में तुलना की गई ।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे :-

1- औरतों का एक बड़ा समूह विवाह को कर्तव्य के तौर पर समझता था ।

2- उनका एक समूह विवाह का सामाजिक बाध्यता मानता था, लेकिन इस विचार में शैक्षिक स्तर में परिवर्तन के साथ गिरावट आती गई ।

3- राय और व्यवहार में लड़कियों के लिए शादी की आयु 21 - 25 वर्ष थी ।

4- राय और व्यवहार में ही शिक्षा ने जीवन साथियों की आयु के अन्तर को कम कर दिया ।

5- न्यादर्श ने अन्तर्जातीय विवाहों का पथ लिया जो कि राय और व्यवहार की दृष्टि से भारत में सामाजिक और धार्मिक बाध्यता के रूप में होती थी ।

29. मुखर्जी, एस0 - छात्रों में अव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन :

पी-एच0डी0 सामाजिक कार्य, काशी विद्यापीठ वाराणसी, 1977, अध्ययन के उद्देश्य थे कि :-

1- स्नातक से नीचे की बालिका विद्यार्थियों में अव्यवस्था की सीमा का पता लगाना ।

2- यह पता लगाना कि क्या चंचल क्रियाओं का उच्च प्रभाव अव्यवस्था के उच्च प्रचलन के साथ था ।

3- आधुनिकीकरण, परम्पराओं और सामाजिक परिवर्तनों की ओर विद्यार्थियों के विचारों और दृष्टिकोणों का पता लगाना ।

4- शैक्षिक प्रश्नों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के विचारों और दृष्टिकोणों का पता लगाना।

मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे :-

1- अधिकांश निम्न स्नातकीय विद्यार्थी अपने लिंग का विचार न करते हुए उन पारम्परिक तौर तरीके से दूर जाना चाहिए थे, जो प्रगति के रास्ते में आड़े आते थे ।

2- औरतों की अपेक्षा अधिक आदमियों ने जाति प्रथा संयुक्त परिवार और प्रबंधित विवाह के लोगों की प्रशंसा की ।

3- निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले विद्यार्थी उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक अव्यवस्थित थे ।

30. **शर्मा, एस0** - कालेज की स्थिति विद्यार्थियों में सामाजिक वर्गों और कुछ व्यक्तित्व के गुणों के सम्बन्ध का अध्ययन, एम0एम0 कालेज, पटना 1978 ।

अध्ययन का उद्देश्य शैक्षिक उपलब्धियों से जुड़े शैक्षिक योग्यताओं के महत्व को स्व अवधारणा सहयोग, सफलता के कारणों के रूप में श्रम और ईश्वर में विश्वास, सरकार और नेतृत्व की प्रणाली को पसंद करने और कालेज की स्त्री विद्यार्थियों की भूमिका का अध्ययन करना था । अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य यह देखना था कि उपरोक्त चरों में क्या कोई सम्बन्ध था, जो कि विद्यार्थी और उनके माता-पिता के सामाजिक आर्थिक स्तर से सम्बन्धित थे ।

मुख्य निष्कर्ष निम्न थे :-

1- सामाजिक वर्ग और शैक्षिक योग्यता को स्वअवधारणा में कोई सम्बन्ध नहीं थे ।

2- सामाजिक वर्ग और सरकार की प्रणाली को पसन्द करने के बीच एक महत्वपूर्ण सम्बन्ध था ।

3- सामाजिक वर्ग नेतृत्व के गुण से सम्बन्धित नहीं था ।

31. **हरजीत कौर** - महिला अभ्यर्थियों में पाठशाला से अनुपस्थित होने का एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन, पी-एच0डी0 मनोविज्ञान, कुमायूँ यूनी0, 1979 ।

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे :-

1- अनुपस्थित विद्यार्थियो का उपस्थित विद्यार्थियों की तुलना में परीक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन ।

2- उपस्थित और अनुपस्थित विद्यार्थियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि की तुलना ।

3- उपस्थित और अनुपस्थित विद्यार्थियों की रूचि और क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन ।

अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष निकले :-

1- अनुपस्थित विद्यार्थियों ने परीक्षा के प्रति गैर गम्भीर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और वे श्रम बचत करने वाले अभिकरणों का प्रयोग करते थे ।

2- अनुपस्थित विद्यार्थियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि और स्कूली प्रदर्शन भी निम्नकोटि का था ।

3- अनुपस्थित विद्यार्थियों के फेल होने की दर भी उच्च थी ।

4- निम्न स्तरीय वृद्धि ने अनुपस्थिति विद्यार्थियों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ।

5- निराशा और अनुपस्थित का घनिष्ठ सम्बन्ध था ।

6- अनुपस्थिति की समस्या उत्तर किशोरावस्था में तीव्र गति पर थी ।

7- स्कूल और घर में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की कमी ने भी अनुपस्थिति की समस्या को तीव्र गति प्रदान की ।

32. **सिंह, आर0डी0** - दिखावटी सामाजिक निपुणता प्रशिक्षण और शिक्षक के कक्षा में व्यवहार का परिकरण पी-एच0डी0 शिक्षा, गोरखपुर वि0वि0, 1979

अध्ययन का उद्देश्य यह अनुमान लगाना था कि दिखावटी प्रवीणता प्रशिक्षण का

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या उपयोग है और साथ ही साथ इसको शिक्षण व्यवहार के विकसित करने में क्या प्रभाव पड़ता है । अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य थे कि :-

1- कक्षा व्यवहार के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करना कि क्या वे विद्यार्थी शिक्षक, जिन्हें एस0एस0एस0टी0 संगठन के अन्तर्गत कुछ चयनित सामाजिक प्रवीणताओं में प्रशिक्षण दिया जाता था । यह परम्परा गलत तरीके से प्रशिक्षित किये गये, विद्यार्थी शिक्षकों से भिन्न थे ।

2- एस0एस0एस0टी0 का विद्यार्थी शिक्षक के दृष्टिकोण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन ।

अध्ययन के निष्कर्ष निम्न थे :-

1- दिद्यार्थी शिक्षक का कक्षा व्यवहार एस0एस0एस0टी0 के माध्यम से उपयुक्त दिशा में परिष्कृत किया जा सकता था ।

2- कक्षा व्यवहार को परिष्कृत करने में परम्परागत विधि की अपेक्षा एस0एस0एस0टी0 प्राविधि अधिक प्रभावशाली थी ।

33. **गुप्ता, एस0** - उच्च शिक्षा की ओर आगरा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का दृष्टिकोण का अध्ययन, पी-एच0डी0 समाजशास्त्र, आगरा विश्व वि0, 1979.

अध्ययन का उद्देश्य आगरा वि0वि0 के शिक्षकों का चार दृष्टिकोणों (विश्वविद्यालय,स्वायत्तता चयन के आधार पर प्रवेश, अनुसंधान का महत्व और उच्च शिक्षा का महत्व) के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का पता लगाना था । समान अन्तरावकाश पर आधारित पैमानों के आधार पर दृष्टिकोण का मापन किया गया । न्यायदर्श में 300 अध्यापकों का चुनाव क्रमानुसार प्रति चयन के आधार पर किया गया ।

अध्ययन के निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए :-

1- उच्च शिक्षा के प्रति विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के सकारात्मक विचार थे।

2- पुरूष और महिला अध्यापकों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अन्तर था ।

3- जैसे आयु बढ़ती थी, वैसे-वैसे दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता था ।

4- शैक्षिक स्तर ने दृष्टिकोण को प्रभावित किया ।

5- शैक्षिक अनुभव और विद्यार्थी का मूल्यांकन अन्तर्राबंधित थे ।

34. दत्त एस0-प0बंगाल के एक चयनित जनपद में बालिका शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन । स्त्री शिक्षा संस्था, कलकत्ता, 1979 (एन0सी0ई0आर0टी0) अनुदानित ।

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य परिश्चम बंगाल के एक जिले में बालिका शिक्षा के वास्तविक कारणों का पता लगाना था । पुरूलिया नाम के सबसे पिछड़े जिले को चुना गया । प्राथमिक रूप से 6 - 11 वर्ष की बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अवलोकन किया गया ।

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे :-

1- 1970-71 तथा 1973-74 के बीच 6-11 वर्ष बालिकाओं के नामांकन में 15% वृद्धि हुई ।

2- करीब-करीब 66% न कक्षा तथा के बीच पढ़ाई रोक दी और 75% ने तथा के बीच ।

3- 54% ने यह महसूस किया कि यदि वे एक बार भी असफल हुए तो उनके माता-पिता उन्हें स्कूल से निकालने के इच्छुक थे ।

35. **बसवकुमारी, पी0** - ग्रामीण महिलाएँ और माध्यमिक शिक्षा (जिला चित्रदुर्ग में उनके स्तर और मूल्यों के विशिष्ट संदर्भ में) पी-एच0डी0, एन्थ्रोपोलाजी, बंगलौर वि0वि0, 1980।

अध्ययन का उद्देश्य यह खोज निकालना था कि नई शिक्षा ने किस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या (महिला) के जीवन को प्रभावित किया । कर्नाटक के एक गाँव का चुनाव किया गया, विभिन्न जातियाँ, स्तर और आयु वर्ग को पचास शिक्षित और पचास अशिक्षित महिलाओं के न्यादर्श का साक्षात्कार लिया गया । गाँव की पृष्ठभूमि में शिक्षित महिलाओं की राय, स्तर मूल्यों और भूमिकाओं में परिवर्तन का अध्ययन किया गया । गाँव में माध्यमिक तक की शिक्षा, विद्युत, बस, डाक और आँटा मिलों जैसी आधुनिक सुविधायें उपलब्ध थीं ।

अध्ययन से प्रकट हुआ कि :-

1- सम्पूर्ण स्कूल जनसंख्या का 1/10 भाग लड़कियाँ थीं और स्कूल मे केवल दो महिला सदस्यों का स्टाफ था । ग्राम पंचायत कमेटी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न स्तरीय था । फिर भी किसी कार्यक्रम में बालिकाओं और बालिका विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह श्रोतागणों में होता था ।

2- एक बड़ा और संयुक्त परिवार आदर्श था, किन्तु धीरे-धीरे एक छोटे और एकांकी परिवार में परिवर्तित हो रहा था । वे यह महसूस करते थे कि छोटा आकार सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता था ।

3- परिवार में श्रम का बंटवारा स्पष्ट था, जहाँ पुरूष कठिन और बाहरी कार्यों को करते थे । जबकि महिलाएँ सरल और घर के भीतर के कार्यों को करती थीं ।

4- गोत्र प्रथमा के समाप्ति के साथ-साथ फैले हुए परिवारों पर निर्भरता, पारिवारिक मित्रों के अधिक भरोसे के साथ-साथ खत्म हो रही थी ।

5- शिक्षा ने स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य रक्षा, धार्मिक विश्वासों और अंध विश्वासों तथा भोजन सम्बन्धी आदतों और मूल्यों को प्रभावित किया ।

36- शर्मा एस0 - चालू शिक्षा से नागरीय स्त्रियों की आशाये पी-एच0डी0 शिक्षा वि0वि0 1980

अध्ययन इस परिकल्पना निर्माण में किया गया कि आयु, विवाह , सम्बन्धी स्तर संख्या और बच्चों के लिंग शैक्षिक योग्यतायें धर्मजाति, रोजगार या बेरोजगार स्तर और स्त्रियों की मासिक आय का स्तर आदि चरों का चालू शिक्षा की आशाओं से ज्ञान के क्षेत्र, शिक्षण ज्ञान परिस्थितियां शिक्षा को चालू रखने से रोकने वाले कारक से अंतर का वर्णन किया गया ।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे ।

1- बच्चों की संख्या और लिंग, धर्म, और जाति का किसी महत्वपूर्ण अंतरो पर प्रभाव नहीं पड़ा ।

2- शिक्षण ज्ञान परिस्थितियों से संबंधित अधिमानताओं ने सूक्ष्म के अंतरो के साथ एक संगत आदर्श प्रस्तुत किया ।

3- ज्ञान के स्थान जैसे धार्मिक और सामुदायिक केन्द्र भी पसन्द किये गये ।

37- होनम, एल0एस0- पूना में कालेज लड़कियों का राजनीतिक सामाजीकरण ।
पी-एच0डी0 राजशास्त्र पूना वि0वि0 1981 ।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य परिवार, स्कूल, कालेज समूह और संचार के साधनों जैसे सामाजीकरण के कारणों का कालेज लड़कियों के राजनीतिक केन्द्रीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाना था ।

अध्ययन की विशिष्ट परिकल्पनायें थीं कि :-

1- जितनी ऊँची परिवार की शिक्षा होगी । उतनी ही ऊँची विचार विमर्श की सीमा होगी, उतना ही ऊँचा राजनीतिक ज्ञान का स्तर होगा, उतना ही ऊँचा प्रगतिशील राजनीतिक मूल्य और सहिष्णु दृष्टिकोण होगा ।

2- जितना ऊँचा संचार के माध्यमों का प्रयोग होगा, उतना ही अधिक राजनीतिक ज्ञान का स्तर होगा ।

3- जितना अधिक जाति प्रथा होगी, उतना ही स्वतंत्र राजनीति होगी ।

अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए :-

1. पारिवारिक शिक्षा ने राजनीतिक ज्ञान की अपेक्षा राजनीतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को अधिक प्रभावित किया ।

2- पारिवारिक विचार विमर्श ने महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक ज्ञान को मर्यादित सीमा तक प्रभावित किया और उत्तरदाताओं की राजनीतिक मूल्यों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा ।

3- उत्तरदाताओं की राजनीतिक ज्ञान को संचार साधनों के प्रयोग ने विकसित किया ।

4- अविवाहित की अपेक्षा विवाहित उत्तरदाता अपने दृष्टिकोण में अधिक स्वतंत्र थे ।

5- कुलीन समूहों ने राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक दृष्टिकोण ओर मूल्यों को प्रभावित नहीं किया ।

38- मजूमदार, वी0- नारियाँ और शैक्षिक प्रगति , आई0सी0एस0एस0आर0 नई दिल्ली 1981

अध्ययन के उद्‌देश्य थे कि :-

1- 1947 से 1979 तक नारी शिक्षा के विकास का पता लगाना ।

2- सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर नारी शिक्षा के विशिष्ट उद्‌देश्यों का पता लगाना ।

अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि :-

1- स्वतंत्रता संघर्ष के समय शैक्षिक अवसरों का विस्तार एक मांग थी ।

2- साक्षरता और सामान्य शिक्षा के स्थानान्तरण के समानता और सार्वभौमिकीकरण के प्रयास कोषों की कमी के कारण विफल रहे । माध्यमिक और उच्च शिक्षा में असमानता बढ़ती गई ।

3- भारत की स्त्रियों के स्तर में स्त्रियों की शिक्षा के असंतुलन का पता लगाया । प्रमुख उद्‌देश्य उन्हें अधिक प्रभावशाली पत्नियाँऔर मातायें बनाना था ।

39- खान, एम0ए0- आयशा एन0- ग्रामीण महिलाओं का भारत में स्तर:
कर्नाटक का अध्ययन , उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली ।1982 ।

प्रमुख उद्देश्य थे कि -

1- हिन्दू मुस्लिम और ईसाई समुदाय की ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा की प्रगति और समस्याओं का अध्ययन ।

2- बाजारीकरण और गैर बाजारीकरण क्रियाओं में औरतों की भूमिका का अध्ययन ।

2- क्या तमिलनाडु के विभिन्न जिलों की ग्रामीण औरतों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर था इसका पता लगाना ।

3- लड़कियों के लिये सबसे अच्छे शैक्षिक स्तर और सबसे अच्छे पाठ्यक्रम के संबंध में ग्रामीण औरतों के विचार जानना ।

अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष थे ।

1- औपचारिक शिक्षा की ओर ग्रामीण औरतों का दृष्टिकोण सकारात्मक था ।

2- विभिन्न जिलों की ग्रामीण औरतों के दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था ।

3- विभिन्न सामाजिक आर्थिक और रोजगार स्तर वाली ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था ।

41- पुट्टाबुड्डी , आर0सी0 - कर्नाटक के और स्तर के विद्यार्थियों को उनकी उपसंस्कृति और सामाजिक, आर्थिक स्तर से तथा जाति संबंधीकरण के सम्बन्ध में बुद्धि के कटेलन कल्चर फेयर टेस्ट स्केल-3 द्वारा मापी गई सामान्य बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन ।

पी-एच0डी0शिक्षा, गुजरात वि0वि0, 1983 ।

अध्ययन से निर्मित की गयी परिकल्पनायें :

1- सामान्य बुद्धि के स्तर पर विभिन्न लिंगों के विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण अंतर नहीं था ।

2- सामान्य बुद्धि की दिशा में विभिन्न जाति समूहों के विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण अंतर नहीं था।

मुख्य निष्कर्ष निम्न थे ।

1- सी0सी0एफ0टी0 ने कैटेय द्वारा दावा की गई इसकी सांस्कृतिक निष्पक्षता को सिद्ध नहीं किया ।

2- एस0ई0एस0 और उप संस्कृति और जाति समूह सामाजिक आर्थिक स्तर तथा जाति समूह तथा उप संस्कृति एस0ई0एस0 और जाति समूह में कोई मुख्य अन्तराकर्षण नहीं था ।

42- उपाध्याय, ओ0पी0- लड़कियों का शैक्षिक पिछड़ापन । एस0आई0ई0आर0टी0 ,राजस्थान,1983 ।

इस अध्ययन के उद्देश्य थे ।

1- लड़कियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना ।

2- सुधार उपायों की सलाह देना जो कि 13 वर्ष की लड़कियों को शैक्षिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भाग लेने के योग्य बनाना ।

अध्ययन के निष्कर्ष थे -

1- बड़े परिवारों की बालिकाओं को अपनी माताओं की सहायता करनी पड़ती थी ।

2- लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण नकारात्मक था ।

3- शीघ्र विवाह भी निम्न नामांकन का एक प्रमुख कारण था ।

4- अधिकतर स्कूलों में सामान्य सुविधायें भी नहीं थी ।

5- करीब 15% लड़कियाँ इसलिए स्कूल छोड़ देती थीं, क्योंकि वे ठीक प्रकार से शिक्षा के लिये अभिप्रेरित नहीं थी ।

43- नायर , यू0 - दक्षिणी एशिया में स्त्री शिक्षक ।

पी-एच0डी0 शिक्षा, जे0एम0 प्रथम, 1984 ।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षक की भूमिका संरचना की दो मुख्य विभाओं, व्यावसायिक और पारिवारिक का परीक्षण करना था । श्री लंका, भारत और नेपाल की स्त्री शिक्षकों

की भूमिका और स्तर की इस तुलनात्मक अध्ययन के निम्नलिखित 3 मुद्दों को खोजा गया ।

1- सामाजिक गतिशीलता , व्यावसायिक गतिशीलता, स्त्रियों का स्तर या दृष्टिकोणीय गतिशीलता ।

2- अध्यापकों की भूमिका और व्यावसायिक भूमिका की परिभाषा ।

3- व्यावसायिक भूमिका (शिक्षक) और पारिवारिक भूमिका (स्त्री) का योग समानता प्रतिस्पर्धीय योग्यता संघर्ष ।

अध्ययन के कुछ मुख्य निष्कर्ष थे ।

1- स्त्री शिक्षकों ने और विभिन्न सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति के कारण कोई एक पक्षीय व्यावसायिक गतिशीलता नहीं प्रदर्शित की गई । भारतीय स्त्री शिक्षकों में व्यवसायिक गतिशीलता कम थी । और अनुपातिक दृष्टि से वे अधिक निम्न जातिवादी क्षमता वाली थी । नेपाल की सबसे उच्च निम्न गतिवादी क्षमता थी किन्तु भारत की तुलना से उनमें अधिक उच्च गतिशीलता थी ।

2- व्यावसायिक और शैक्षिक स्तर की वृद्धि के साथ धर्म जाति और लिंग के आकांक्षीय कारक खत्म होते गये , और एक व्यवसाय केन्द्रित मध्यम वर्गीय संस्कृति का उद्भव हुआ जिसमें दक्षिण एशिया समूहों की स्त्रियों में पहले की अपेक्षा कम असमानता थी ।

44- सिन्हा, एम0- भगतपुर की बालिका विद्यार्थी ।

पारिवारिक जीवन, विवाह और जीवन वृत्तिका की ओर उनका दृष्टिकोण ।

पी-एच0डी0 आर्ट्स भागलपुर वि0वि0 1985 ।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों और कालेज बालिकाओं का विवाह, पारिवारिक जीवन, और जीवन वृत्तिका थी । और दृष्टिकोण का पता लगाना । प्राथमिक और आधारभूत उद्देश्य उन परिवर्तनों का पता लगाना था, जो कि बालिकाओं के शिक्षा में रूचि लेने और दूसरे दृष्टिकोणों के परिणामस्वरूप स्थान ग्रहण कर चुके है । अथवा घटित हो रहे है । अनेको परिकल्पनाओं की जांच की गई ।

मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे :-

1- शिक्षा ने औरतों में दृष्टिकोणीय परिवर्तन के लिए सहायक तत्वों का प्रचलन प्रारम्भ किया था । इस प्रकार उनके दृष्टिकोण पारिवारिक जीवन, वैवाहिक संघ और जीवन वृत्तिका की ओर मध्यम गति से परितर्वन हो चुके थे, जिसमें कि वे सक्रिय और जीनित भाग लेने वाले थे ।

2- शिक्षित औरतों में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता उत्पन्न करने की आवश्यकता थी ।

3- उनके नवीन प्रणालियों की ओर पक्षीय दृष्टिकोण थे, और इस प्रकार परिवार विवाह और जीवन वृत्तिका को परिवर्तन की प्रगति में सहायता की । उनकी इच्छा थी कि सामाजिक जीवन में पुरूष और महिलाओं की भूमि, अधिकार और स्तर का पुर्नपरिभाषीकरण किया जाय ।

45. **विजयलक्ष्मी, जी, ए0** - किसी व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक कोर्स में अध्ययनरत स्त्रियों की व्यवसायिक चुनाव और लिंग भूमिका के नियमों के बीच सम्बन्धों का अध्ययन, पी0एच0डी0 शिक्षा एस0वी0यू0 1985

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे :-

1- स्नातक से नीचे के विद्यार्थियों के लिंग भूमिका के नियमों की जाँच करने वाले लिंग भूमिका सूची को विकसित करना ।

2- विद्यार्थी को लिंग भूमिका और व्यवसायिक चुनाव के बीच सुबंध को स्थापित करना।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्न थे :-

1- लिंग भूमिका नियमों और आवासीय स्थितियों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं पाया गया ।

2- विद्यार्थी की लिंग भूमिका नियम परिवार का आर्थिक स्तर और माता पिता को आपके बीच एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण सम्बन्ध पाया गया ।

46. प्रधान, के0एम0 - औरतों के व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम का अध्ययन, नेपाल में ग्रामीण विकास की रणनीति, पी-एच0डी0 शिक्षा, वि0वि0, 1986।

अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण जीवन पर औरतों के व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना था । इस सम्बन्ध में निम्न अनुमान लगाने थे :-

1- उत्तरदाताओं के विचारों, प्रतिक्रियाओं और सलाहों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता और प्रभाव ।

2- ग्रामीण जीवन की परिस्थितियों में कोर्स की सूचियाँ (तत्वों) को भविष्य कहने की योग्यता, उपयोगिता और पर्याप्तता ।

3- अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष थे :-

यह देखा गया कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और व्यवहारों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा ।

4- गतिवाही प्रशिक्षणार्थियों और कामकाजी औरतों को उपलब्धियों में कोई अन्तर नहीं था ।

5- यह देखा गया कि महिला व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कोर्स को फिर से परिष्कृत करने की आवश्यकता है ।

47. शांता, के0सी0 - भारतीय समाज में नारी की बदलती हुई भूमिका और शिक्षा पर इसका प्रभाव, पी-एच0डी0 शिक्षा, मद्रास वि0वि0, 1986।

अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :-

1- एतिहासिक दृष्टिकोण में भारतीय नारियों का स्तर ।

2- औरतों की बदलती हुई भूमिका में औरतों की राय ।

3- औरतों की बदलती हुई भूमिका में आदमियों की राय ।

4- भारतीय नारियों की बदलती हुई भूमिका का शैक्षिक अनुपयोग ।

स्त्रियों द्वारा समझी गयी औरतों के बदलती हुई भूमिका पाँच दृष्टिकोण से मुख्यतः आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विस्तार से स्पष्ट किये गये थे :-

इनमें से कुछ निम्नलिखित थे :-

1- औरतें आदमियों की अपेक्षा सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती थीं ।

2- धार्मिक क्षेत्र में औरतों की भूमिका के विषय में भारतीय समाज में औरतों और आदमियों के समान दृष्टिकोण थे ।

3- आर्थिक क्षेत्र में अपनी आयु और दृष्टिकोण के सम्बन्ध में औरतों के दृष्टिकोण में फर्क नहीं था ।

अध्ययन के अनुपयोग निम्नलिखि थे :-

पुरूष घर के भीतर तथा बाहर दोनों जगह औरतों से सहायता और उत्तरदायित्वों में भाग लेने की आशा करते है । अतः शिक्षा ग्रहण करने में बालक और बालिकाओं तथा आदमी और औरतों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए ।

48. **सुमन, एस0ए0** - स्त्री विद्यार्थियों के उद्देश्यों और आकांक्षाओं का सामाजिक मनोवैज्ञानिक का अध्ययन, पी-एच0डी0, मनोवि0 वि0वि0. 1996 ।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और आर्ट्स के विद्यार्थियों के शैक्षिक और व्यावसायिक उद्देश्य का पता लगाना था और उनके उद्देश्यों के लिए उनके द्वारा बताये गये । विभिन्न उत्तरदायी कारकों का पता लगाना और विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक स्तरों से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तिगत और सामाजिक लक्षणों का पता लगाना ।

मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे :-

1- विवाहित लड़कियों की अपेक्षा अविवाहित लड़कियों के शैक्षिक और व्यावसायिक उद्देश्य उच्च थे ।

2- शैक्षिक उद्देश्यों के साथ पिता की शिक्षा का महत्वपूर्ण संयोग था ।

49. **रानी, आर0** - रचनात्मक स्त्री स्कूल के विद्यार्थियों का बौद्धिक और अबौद्धिक लक्षण, पी-एच0डी0, मनो0 वि0वि0 1986 ।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य विषयों को रचनात्मकता के सम्बन्ध में कुछ बौद्धिक और अबौद्धिक कारकों का पता लगाना । अनेकों परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया ।

कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित थे :-

1- पिता का व्यवसाय और क्रमसूचक स्थिति रचनात्मक सूची के साथ महत्वपूर्ण रूप से सम्बन्धित नहीं थे ।

2- उच्च रचनात्मककारी ने यह स्वीकार किया कि रचनात्मकता और कल्पना जीवन के लिए आवश्यक है ।

50. **श्राफ. जेड0ई0** - बम्बई शहर के शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में पारसी का योगदान 1820 - 1920, पी-एच0डी0 इतिहास, बम्बई वि0वि0. 1987 ।

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बम्बई शहर मे शिक्षा के विकास और सामाजिक परिवर्तन में पारसियों के योगदान का मूल्यांकन करना था ।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे :-

1- प्रत्येक शैक्षिक अवसर का लाभ पारसियों ने अच्छी प्रकार से प्रयोग किया ।

2- अधिकतर संस्थानों को स्थापन एवं पारसियों के द्वारा की गई थी ।

3- जहाँ स्त्री शिक्षा का सम्बन्ध था, बम्बई के पारसी अग्रगामी थे ।

4- सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में पारसी लोग आये थे ।

5- इस प्रकार पारसी सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख एजेन्ट थे ।

चतुर्थ अध्याय

सारणी - 1[1]

उत्तर प्रदेश एवं भारत की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि तथा जनसंख्या घनत्व 1901 से 1991 तक

वर्ष	जनसंख्या करोड़ में		जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि0मी0	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
1901	4.86	23.84	165	77
1911	4.82	25.21	164	82
1921	4.67	25.13	159	81
1931	4.98	27.90	167	90
1941	5.65	31.87	192	103
1951	6.32	36.11	215	117
1961	7.38	43.92	251	142
1971	8.83	54.82	300	177
1981	11.09	68.52	377	216
1991	13.90	84.43	472	267

1- उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी राज्य शिक्षा संस्थान उ0प्र0 इलाहाबाद । राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश,लखनऊ,पेज नं0-1 सन् 1994-95 ।

रेखाचित्र – 1

उत्तर प्रदेश एवं भारत की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि तथा जनसंख्या घनत्व 1901 से 1991 तक

वर्ष										
जनसंख्या करोड़ मे	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991
उत्तर प्रदेश	4.86	4.82	4.67	4.98	5.65	6.32	7.38	8.83	11.09	13.9
भारत	23.84	25.21	25.13	27.9	31.87	36.11	43.92	54.82	68.52	84.43

वर्ष										
जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि0मी0	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991
उत्तर प्रदेश	165	164	159	167	192	215	251	300	377	472
भारत	77	82	81	90	103	117	142	177	216	267

उत्तर प्रदेश एवं भारत की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि तथा जनसंख्या घनत्व (1990 से 1991 तक)

विश्व में भारत वर्ष का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से काफी ऊपर है । भारत और चीन दो ऐसे राष्ट्र है वहां जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0) प्रत्येक दशक में प्रायः बढता ही रहा है । वर्ष 1901 से लेकर 1941 तक जब कि भारत वर्ष प्रपंत्र का जनसंख्या का घनत्व 100 वर्ग कि0मी0 से भी अधिक था । जबकि इसकी जनसंख्या लगभग 32 करोड़ थी । इससे स्पष्ट है कि आजादी के पूर्व जो सरकार भारत वर्ष की देखरेख कर रही थी । वह पूरी तरह से पुरूषों व महिलाओं को साक्षर करने की दृष्टि से अपने को काफी असहाय महसूस कर रही होगी क्योंकि इतने अधिक जनसंख्या का घनत्व होने पर भी निरन्तर जनसंख्या बढ़ते रहने के कारण समाज के प्रत्येक वर्ग तथा लिंग के लोगो को रहन-सहन की पर्याप्त सुविधायें ही उपलब्ध कराना उसकी प्रथम आवश्यकता थी । जिसके कारण शैक्षिक संदर्भो में जो भी प्रयास तत्कालीन सरकार द्वारा समय-समय पर भारतीय जनता के लिए किये गये । वह नगण्य हैं परन्तु वर्ष 1950 में जब भारतीय संविधान बना तो सर्व प्रथम स्वतंत्र भारत की सरकार ने संविधान में इस बात की व्यवस्था की भारत वर्ष में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों (लड़के-लड़कियों) की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी"[1] । इसके साथ ही संविधान में इस बात का भी आश्वासन दिया गया कि भारत वर्ष में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य संविधान के प्रारम्भ होने की तिथि से 15 वर्ष के अंदर प्राप्त कर लिया जायेगा ।

भारत वर्ष एक बहुत बड़ा राष्ट्र है । तथा इसमें कई राज्य समाये थे जहां स्वतंत्र रूप से जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें कार्य करती है यह सरकारें विभिन्न राज्य नैतिक दलों से संबंधित होती हैं । तथा शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण धार्मिक और राज्य नैतिक दृष्टि से अलग-अलग होता है । चूंकि भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य में अलग-अलग जाति व धर्म के लोग रहते है । जिनका शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण भी अलग-अलग है । ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो लक्ष्य है । निर्धारित अवधि 15 वर्ष में पूरा किया जाना सम्भव

नहीं हो पाया, क्योंकि विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय और सरकारों में आपसी सामंजस्य का अभाव रहा है। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा की स्थितिअत्यन्तदयनीय रही है । वैसे तो हमारे संविधान में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि "देश के किसी भी विद्यालय व संस्थान किसी भी निर्वाचित प्रादेशिक सरकार द्वारा जाति अथवा धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जायेगी और न लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार की शिक्षा देने में भेदभाव किया जायेगा । परन्तु फिर भी जनसंख्याका एक ऐसा पक्ष है, जिसके नियंत्रण बढ़ते जाने से 15 वर्षों में लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य सरकार द्वारा आर्थिक कारणों से पूरा नहीं हो पाया । तालिका क्रमांक 1 से स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि आजादी के बाद हमारे देश में किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हुई ।

1901 से 1910 :

भारतवर्ष का इस अवधि में जनसंख्या का घनत्व 77 वर्ग कि0मी0 था तथा कुल जनसंख्या 23.84 करोड़ थी । जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या का घनत्व इसी अवधि में 165 प्रति वर्ग कि0मी0 था तथा जनसंख्या 4.86 करोड़ थी । अतः इन आँकड़ों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या की दृष्टि से काफी कम है ।

1911 से 1920 तक :

भारतवर्ष का इस अवधि में जनसंख्या का घनत्व 82 कि0मी0 था तथा कुल जनसंख्या 25.21 करोड़ थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या का घनत्व इसी अवधि में 164 प्रति वर्ग कि0मी0 था तथा जनसंखा 4.82 करोड़ थी ।

1921 से 1930 तक :

इस अवधि में जनसंख्या का घनत्व 81 वर्ग कि0मी0 था, जबकि कुल जनसंख्या 25.13 करोड़ थी । उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के कुल घनत्व 159 प्रति वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष कुल जनसंख्या 4.67 करोड़ थी ।

1931 से 1940 तक :

भारतवर्ष का इस अवधि में जनसंख्या का घनत्व 90 वर्ग कि0मी0 था तथा कुल जनसंख्या 27.90 करोड़ थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या का घनत्व इसी अवधि में 167 प्रति वर्ग कि0मी0 था तथा जनसंख्या 8.98 करोड़ थी । अतः इस आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य मे जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या की दृष्टि से काफी कम है ।

1941 से 1950 तक :

इस अवधि में भारतवर्ष की जनसंख्या का घनत्व 103 वर्ग कि0मी0 था तथा कुल जनसंख्या 31.87 थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या का घनत्व इसी अवधि में 192 प्रति वर्ग कि0मी0 था तथा जनसंख्या 5.65 करोड़ थी । अतः इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि इस अवधि में जनसंख्या का घनत्व जनसंख्यात्मक दृष्टि से काफी रहा ।

1951 से 1960 तक :

इस समयकाल में भारतवर्ष की जनसंख्या का घनत्व 117 वर्ग कि0मी0 था तथा कुल जनसंख्या 36.11 थी, जबकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व इसी समयकाल में 215 प्रति वर्ग कि0मी0 था तथा जनसंख्या 6.32 करोड़ थी । अतः इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्यात्मक घनत्व लगातार कम होता जा रहा है ।

1961 से 1970 तक :

भारतवर्ष का इस अवधि में जनसंख्या का घनत्व 142 वर्ग कि0मी0 था तथा कुल जनसंख्या 43.92 करोड़ थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या का घनत्व इसी अवधि में 251 प्रति वर्ग कि0मी0 था तथा जनसंख्या 7.38 करोड़ थी ।

अतः स्पष्ट है कि पूर्व की भाँति इस अवधि में जनसंख्यात्मक घनत्व में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई ।

1971 से 1990 तक :

इस अवधि में भारतवर्ष की जनसंख्या का घनत्व 177 वर्ग कि0मी0 था तथा कुल जनसंख्या 54.82 करोड़ थी । जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या का घनत्व 300 प्रति वर्ग कि0मी0 था तथा जनसंख्या 8.83 करोड़ थी ।

1981 से 1990 तक :

भारतवर्ष का इस अवधि में जनसंख्या का घनत्व 216 वर्ग कि0मी0 था तथा कुल जनसंख्या 68.52 करोड़ थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या का घनत्व इसी अवधि में 377 प्रति वर्ग कि0मी0 था तथा जनसंख्या 11.09 करोड़ थी ।

अतः इन आँकड़ों के देखने से यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या की दृष्टि से काफी कम है ।

1991 से 1995 तक

उपर्युक्त वर्षों में दर्शाये गये आँकड़ों से यह संकेत मिल रहा है कि 90 वर्ष की अवधि में भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग 4 गुना हो गई है जो कि लगभग 84.4 करोड़ थी तथा जनसंख्या का घनत्व जो कि वर्ष 1901 में 77 प्रति वर्ग कि0मी0 था, बढ़कर 267 वर्ग कि0मी0 हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 1901 मे केवल 4.86 करोड़ थी । वर्ष 1991 तक 13.09 करोड़ तक पहुँच गई, जबकि जनसंख्या का घनत्व इस अवधि में 165 प्रति वर्ग कि0मी0 से बढ़कर 472 प्रति वर्ग कि0मी0 हो गयी ।

अतः केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं संचालित की जाने वाली शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का क्रियान्वयन आर्थिक कारणों से प्रभावित होना एकबाध्यता हो गई है ।

सारणी - 2[1]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जिलेवार संख्या 1991

क्रम सं0	जनपद का नाम	जनसंख्या लाख में		
		पुरूष	महिला	योग
1-	जालौन	6.65	5.52	12.17
2-	हमीरपुर	7.95	6.70	14.65
3-	बाँदा	10.05	8.46	18.51
4-	ललितपुर	4.02	3.47	7.49
5-	झाँसी	7.65	6.62	14.27
उत्तर प्रदेश		737.46	650.14	1387.60

1- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पेज नं0-3, सन् 1994

रेखाचित्र-2

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिलेवार जनसंख्या 1991

	जालौन	हमीरपुर	बांदा	ललितपुर	झांसी
पुरूष	6.65	7.95	10.05	4.02	7.65
महिला	5.52	6.7	8.46	3.47	6.62
योग	12.17	14.65	18.51	7.49	14.27

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कहीं ज्यादा व कहीं कम है । उत्तर प्रदेश में सन् 1991 में उत्तर प्रदेश के अनेक जिला में स्त्री पुरूष की जनसंख्या में काफी अन्तर है ।

1991 में उत्तर प्रदेश में पुरूष की संख्या का योग 737.46 था तथा स्त्रियों की जनसंख्या की संख्या का योग 650.14 है तथा सम्पूर्ण योग 1387.60 था और जालौन जिले में पुरूषों की जनसंख्या का योग 6.65 लाख था, जबकि स्त्रियों की जनसंख्या का योग 5.52 लाख था और सम्पूर्ण योग 12.17 लाख था ।

जो कि उत्तर प्रदेश के योग से काफी कम था । हमीरपुर जिले में पुरूषों की संख्या 7.59 लाख थी तथा स्त्रियों की संख्या 6.70 लाख थी तथा सम्पूर्ण योग 14.165 था ।

इससे स्पष्ट होता है कि हमीरपुर की जनसंख्या का घनत्व जालौन जिले की अपेक्षा अधिक है तथा बाँदा जिले में पुरूष की जनसंख्या का घनत्व 10.05 तथा महिलाओं की जनसंख्या का घनत्व 8.46 था और सम्पूर्ण योग 18.51 था । बाँदा की जनसंख्या का घनत्व हमीरपुर की जनसंख्या के घनत्व से अधिक है । उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर जिले में पुरूषों की जनसंख्या का घनत्व 4.02 लाख था तथा महिलाओं की संख्या का योग 3.47 लाख था तथा ललितपुर जिले में पुरूष व महिलाओं का सम्पूर्ण योग 7.49 लाख था और झाँसी में पुरूषों का योग 7.65 लाख और महिलाओं की जनसंख्या का योग 6.62 लाख था एवम् सम्पूर्ण योग 14.27 तथा इससे स्पष्ट होता है कि झाँसी जिले की अपेक्षा ललितपुर में जनसंख्या का घनत्व कम है ।

सारणी - 3[1]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का विवरण वर्ष 1991

क्रमांक	क्षेत्र	जनसंख्या (करोड़ में)	राज्य की जनसंख्या से प्रतिशत	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0)
1-	पर्वतीय	0.59	4.3	115
2-	पश्चिमी	4.95	35.6	602
3-	केन्द्रीय	2.42	17.4	528
4-	पूर्वी	5.27	37.9	614
5-	बुन्देलखण्ड	0.67	4.8	229
उत्तर प्रदेश		**13.90**	**100.00**	**472**

1- उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0,इलाहाबाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश,लखनऊ, योजना वर्ष 1994-95 ।

बुन्देलखण्ड के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रो में जनसंख्या का विवरण वर्ष 1991

भारत के उत्तर 23°51' उत्तरी अक्षांश से 31°28' उत्तर अक्षांश तक 77°3' पूर्व देशान्तर से 84°39' पूर्वी देशान्तर तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है । उत्तर प्रदेश के उत्तर में तिब्बत और नेपाल, उत्तर दक्षिण में हिमांचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार स्थित है ।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है । क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है । उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9 प्रतिशत है । उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2.94 लाख वर्ग कि0मी0 है । जनसंख्या का घनत्व 471 व्यक्ति वर्ग कि0मी0 है । उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार 650 कि0मी0 तथा उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 240 कि0मी0 है ।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 1991 मं 13.90 करोड़ थी और जनसंख्यात्मक प्रतिशत 100% था । उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व इसी अवधि में 472 प्रति वर्ग कि0मी0 था ।

पर्वतीय क्षेत्र :-

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इस अवधि में जनसंख्या का प्रतिशत 4.3% था और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 115 प्रति वर्ग कि0मी0 था तथा जनसंख्या 0.59 करोड़ थी ।

अतः इन आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों का जनसंख्या का घनत्व जनसंख्यात्मक दृस्टि से काफी कम है ।

पश्चिमी क्षेत्र :-

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्यात्मक प्रतिशत 100% है और उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का घनत्व 472 प्रति वर्ग कि0मी0 था और कुल जनसंख्या 13.90 करोड़ थी ।

जबकि पश्चिमी क्षेत्रों का जनसंख्या का प्रतिशत 35.6% है और पश्चिमी क्षेत्रों का जनसंख्या का घनत्व 602 प्रति वर्ग कि0मी0 है और जनसंख्या 4.95 करोड़ थी ।

अतः इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की तुलना में पश्चिमी क्षेत्रों का घनत्व काफी कम है ।

केन्द्रीय क्षेत्र :

उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र का तुलनात्मक अध्यानार्थ केन्द्रीय क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत 17.4 है तथा जनसंख्या का घनत्व 528 प्रति वर्ग कि0मी0 है और जनसंख्या 2.42 करोड़ थी ।

पूर्वी क्षेत्र :

उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों का जनसंख्या का प्रतिशत 37.9% था और जनसंख्या का घनत्व 614 प्रति वर्ग कि0मी0 है तथा पूर्वी क्षेत्रों की जनसंख्या 5.27 करोड़ थी ।

उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में से एक क्षेत्र बुन्देलखण्ड भी है।

बुन्देलखण्ड :

बुन्देलखण्ड में जनसंख्या का प्रतिशत 4.8% है और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 229 प्रति वर्ग कि0मी0 है और जनसंख्या 0.67 करोड़ थी ।

अतः इन आँकड़ों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का जनसंख्या का घनत्व उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के घनत्व से काफी कम है ।

सारणी - 4[1]

बुंदेलखण्ड क्षेत्र की जिलेवार क्षेत्रफल जनसंख्या का घनत्व

क्र0सं0	जनपद का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	जनसंख्या (घनत्व) (प्रति वर्ग कि0मी0)
1.	जालौन	4565	729
2.	हमीरपुर	7165	794
3.	बाँदा	7624	246
4.	ललितपुर	5039	148
5.	झाँसी	5024	284
	उत्तर प्रदेश	294416	872

1. उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी, राज्य शिक्षा संस्थान उ0प्र0, इलाहाबाद, सन् 1995 पेज नं0 - 4 ।

उत्तर प्रदेश की जिलेवार क्षेत्रफल जनसंख्या का घनत्व

उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क़ाफी विस्तृत है और उसके अन्तर्गत 52 जिले हैं । बुंदेलखण्ड उन्हीं में से एक है ।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है । क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारतवर्ष में मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है । उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9 प्रतिशत है । उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2.94 लाख वर्ग कि0मी0 है । जनसंख्या का घनत्व 471 व्यक्ति वर्ग कि0मी0 है । उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 650 कि0मी0 तथा उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 240 कि0मी0 है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जालौन जिले का क्षेत्रफल 4565 वर्ग कि0मी0 है और उस जिले में जनसंख्या का घनत्व 729 प्रति वर्ग कि0मी0 है तथा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व 872 प्रति वर्ग कि0मी0 है और क्षेत्रफल 294, 416 कि0मी0 है ।

इससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के घनत्व से जालोन जिले की जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक कम है और क्षेत्रफल भी जालौन जिले की अपेक्षा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0 अधिक है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत ही जालौन, हमीरपुर, बाँदा, ललितपुर, झाँसी आदि जिले आते हैं ।

हमीरपुर जिल का क्षेत्रफल 7165 वर्ग कि0मी0 है और हमीरपुर जिले में जनसंख्या का घनत्व 794 प्रति वर्ग कि0मी0 है ।

इसी प्रकार ललितपुर जिले का क्षेत्रफल योग 5039 वर्ग कि0मी0 है तथा जनसंख्या का घनत्व 148 प्रति वर्ग कि0मी0 है। झाँसी जिले का क्षेत्रफल 5024 वर्ग कि0मी0 है और जनसंख्या का घनत्व 284 प्रति वर्ग कि0मी0 है ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जालौन, हमीरपुर, बाँदा, ललितपुर व झाँसी आदि जिले का क्षेत्रफल व जनसंख्यात्मक घनत्व उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0 व जनसंख्यात्मक घनत्व प्रति वर्ग कि0मी0 से कम है ।

सारणी-5[1]

भारत वर्ष एवं उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक साक्षरता दर वर्ष (1951 एवं 1991)

मद	वर्ष 1951	वर्ष 1961	वर्ष 1971	वर्ष 1981	वर्ष 1991
1	2	3	4	5	6
(भारत वर्ष)					
पुरूष	24.9	34.4	39.5	46.7	63.85
महिला	7.9	12.9	18.5	24.9	39.42
योग	**16.6**	**24.0**	**29.4**	**36.2**	**52.11**
उत्तर प्रदेश					
पुरूष	17.4	27.3	31.5	38.9	55.35
महिला	3.4	7.0	10.6	14.4	26.02
योग-	**10.9**	**17.6**	**21.7**	**24.4**	**41.71**

1- उ0प्र0 की शिक्षा सांख्यिकी, राज्य शिक्षा संस्थान उ0प्र0 इलाहाबाद ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद , उत्तर प्रदेश लखनऊ,पेज नं0 8-15

सन् 1994- 95।

भारत वर्ष एवं उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक साक्षरता दर 1951 से 1991 तक

स्वतंत्रता के पश्चात प्रारम्भिक वर्षो में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत वर्ष में साक्षरता दर में काफी वृद्धि हुई । पुरूष एवं महिलायें यद्यपि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों से काफी आगे थीं और उनका साक्षरता प्रतिशत भी काफी कम था लेकिन लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद संविधान में सक्रिय साक्षरता का प्राविधान किया गया था । जिसके परिणाम स्वरूप साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी हुई । जो कि इस तालिका से स्पष्ट परिलक्षित हो रही है ।

वर्ष 1951 से 1960

इस अवधि में भारत वर्ष में साक्षरता की दर 16.6 थी इसमें 24.9 पुरूष तथा 7.9 महिलायें थीं । जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में साक्षरता का कुल प्रतिशत दर 10.9 था । इसमें पुरूष एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 17.4 और 3.4 थी । अतः उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर भारत वर्ष की तुलना में काफी कम है । जिसमें महिलाओं की साक्षरता की दर भारत वर्ष के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में लगभग आधी थी ।

1961 से 1970

इस कार्यावधि में भारत वर्ष में साक्षरता की दर 24.0 थी इसमें पुरूषों की संख्या 34.4 तथा महिलाओं की संख्या 12.9 थी ।

तथा इसी कार्यावधि में उत्तर प्रदेश में साक्षरता का कुल प्रतिशत दर 17.6 थी इसमें पुरूष व महिलाओं की साक्षरता दर इस प्रकार है । पुरूषों की संख्या 27.3 तथा महिलाओं की संख्या 7.0 थी ।

1971 से 1980

भारत वर्ष में साक्षरता दर 29.4 थी जिसमें पुरूषों की कुल संख्या 39.5 थी तथा महिलाओं की संख्या कुल 18.5 थी ।

तथा उत्तर प्रदेश में इस काल में साक्षरताओं की कुल संख्या 21.7 थी जिसमें पुरूषों को गिनती 31.5 थी तथा महिलाओं की गिनती 10.6 थी ।

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की सांक्षरता दर में अधिक बढ़ोत्तरी नही हुई है ।

1981 से 1990

इस अवधि में भारत वर्ष में साक्षरता दर 36.2 थी जिसमें पुरूषों की संख्या 46.7 रही थी और महिलाओं की साक्षरता दर की संख्या 24.9 थी ।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की संख्या 27.4 थी जिसमें पुरूषों का योग 38.9 था तथा महिलाओं की संख्या का योग 14.4 था ।

इन क्रमांकों से यह ज्ञात होता है कि महिलाओं की साक्षरता दर में पहले की अपेक्षा अधिक उन्नति नहीं हुई है ।

वर्ष 1991

इन वर्षो में भारत की साक्षरता दर की संख्या 42.11 थी जिसमें पुरूषों की संख्या 63.85 व महिलाओं की संख्या 39.42 था ।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 41.71 थी तथा पुरूषों की साक्षरता दर 55.35 थी तथा महिलाओं की साक्षरता दर 26.02 थी ।

इससे यह संकेत मिलता है कि भारत वर्ष की अपेक्षाउत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अधिक कम है ।

उपर्युक्त आंकड़ो को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत वर्ष में साक्षरता की दर का प्रतिशत वही है । और वर्ष 1991 तक वर्ष 1951 के सापेक्ष लगभग 3 गुना

हो गई जबकि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर वर्ष 1991 में वर्ष 1951 के सापेक्ष 4 गुना हो गई है । उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर काफी तेजी से बढ़ी है । वर्ष 1951 कें सापेक्ष वर्ष 1991 में लगभग 7 गुना बढ़ गई जो कि एक उल्लेखनीय सफलता कही जा सकती है । परन्तु यह साक्षरता दर जनसंख्या की दृष्टि से काफी कम है । तथा सम्पूर्ण साक्षरता के उद्देश्य से अभी काफी कुछ करना बाकी है । क्योंकि इन 40 वर्षो में साक्षरता की जो दर प्राप्त हुई अगर यही गति रही तो अगले 100 वर्षो में भी पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना सम्भव न होगा ।

सारणी-6

बुन्देल खण्ड क्षेत्र के जनपदों में दशकवार साक्षरता

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 1971 में साक्षरता प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	योग
1.	जालौन	40.20	12.40	37.36
2-	हमीरपुर	31.15	7.83	20.25
3-	बांदा	29.31	5.84	13.39
4-	ललितपुर	35.65	12.72	24.98
5-	झाँसी	35.65	12.72	24.98
उत्तर प्रदेश		31.50	10.50	31.70

1- उत्तर प्रदेश की शिक्षा साख्यिकी, उ0प्र0 लखनऊ, पेज नं0 35, सन् 1994 - 95 I

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदो में दशकवार साक्षरता वर्ष 1971 में

उत्तर प्रदेश में साक्षरता एवं शिक्षा की प्रगति अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल वाले राज्यो की अपेक्षा संतोषजनक नहीं है ।

किसी भी राज्य एवं क्षेत्र की शिक्षा जहां के धरातल जलवायु आवागमन के साधन जनसंख्या के घनत्व एवं संचार साधनों पर निर्भर करती है ।

शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अन्य राज्यो से काफी पिछड़ा हुआ है । यद्यपि भारत सरकार राष्ट्र में सम्पूर्ण साक्षरता के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है । इन कार्यक्रमों से शिक्षा के क्षेत्र में जितनी प्रगति देश के दूसरे राज्यो में हुई है । उतनी उत्तर प्रदेश में प्रतीत नहीं होती है । महिलाओं की अपेक्षा पुरूषो की साक्षरता दर अधिक है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जालौन जिले में वर्ष 1971 में पुरूषो का साक्षरता प्रतिशत 40.20 था । और महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 12.40 था । तथा सम्पूर्ण योग 37.36 था ।

और उत्तर प्रदेश में पुरूषों की साक्षरता योग 31.50 था । तथा महिलाओं का 10.50 था । सम्पूर्ण योग 31.70 था ।

इससे यह पता चलता था कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा जालौन की साक्षरता दर का प्रतिशत अधिक है ।

हमीरपुर में शिक्षित पुरूषों का अनुपात 31.50 है । और शिक्षित महिलाओं का योग 7.83 है । स्त्री व पुरूषों का सम्पूर्ण योग 20.25 है ।

बांदा जिले में पुरूष की साक्षरता का अनुपात 29.31 है । और महिलाओं 5.84 हे । स्त्री व पुरूष का कुल योग 13.39 है। तथा उत्तर प्रदेश के शैक्षिक पुरूष का योग 31.50

है । और महिलाओं के शैक्षिकता का अनुपात 10.50 है । तथा दोनो का अनुपातिक योग 31.70 है ।

इससे यह विदित होता है कि बांदा जिला साक्षरता के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है । उसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है ।

ललितपुर में 35.65 पुरूष के शैक्षिक होने का योग है । और महिलाओं का शैक्षिक अनुपात 12.72 है । इसका सम्पूर्ण योग 24.98 है ।

झाँसी में पुरूषों का शैक्षिक स्तर 35.65 है । और महिलाओं का 12.72 तथा सम्पूर्ण योग 24.98 है ।

इस सारणी को देखने से यह ज्ञात होता है कि ललितपुर व झाँसी में पुरूषो व महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत एक सा है । लेकिन उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत झाँसी व ललितपुर की अपेक्षा काफी कम है ।

सारणी - 7[1]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 1981 में साक्षरता का प्रतिशत तथा 10 सितम्बर 1986 में विद्यालयों में संख्या

जिले का नाम	साक्षरता प्रतिशत			उच्चतर माध्यमिक विद्यालय			सीनियर बेसिक स्कूल			जू0बे0 स्कूल
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	
जालौन	50.16	18.96	35.95	63	7	70	190	34	224	975
हमीरपुर	38.94	11.57	26.31	41	6	47	186	49	235	890
बांदा	35.99	8.61	23.30	50	7	57	235	36	271	1287
ललितपुर	31.11	9.96	21.34	14	3	17	87	9	96	583
झाँसी	50.67	21.38	37.06	44	14	58	172	34	206	96

1 - उ0प्र0 की शिक्षा सांख्यिकी, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0,इलाहाबाद, सन् 1994-95, पेज नं0 - 44, प्रकाशन जगमोहन प्रिन्टर्स, 'ख' सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 1981 में साक्षरता का प्रतिशत तथा 10 सितम्बर 1986 में विद्यालयों की संख्या :

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा इस योजना को और विस्तृत बनाने का प्रस्ताव किया गया है । इस वर्ष साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक मण्डल में एक-एक सतत् शिक्षा केन्द्र और संचालित किया जाय । यदि राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय, तो प्रदेश में इस प्रकार के 24 केन्द्र स्थापित हो जायेंगे । इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होकर साक्षर होंगे ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जालौन जिले में पुरूषो का साक्षरता प्रतिशत 50.16 था, महिलाओं का प्रतिशत 18.96 तथा तथा व्यक्तियों का 35.95 था । उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में बालकों के लिए विद्यालयों की संख्या 63, बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 7 तथा कुल विद्यालयों की संख्या 70 थी । सीनियर बेसिक स्कूल में बालकों के स्कूलों की संख्या 190 तथा बालिकाओं के स्कूलों की संख्या 34 तथा सम्पूर्ण योग 224 है । जूनियर बेसिक स्कूल में बालक - बालिकाओं की संख्या 975 है ।

हमीरपुर में पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 38.94 है । महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 11.57 है । व्यक्तियों का साक्षरता प्रतिशत 26.31 है । उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिका विद्यालयों की संख्या 6 है । बालकों के विद्यालयों की संख्या 41 है व सम्पूर्ण योग 47 है । सीनियर बेसिक स्कूल में बालिकाओं के विद्यालयों की संख्याा 49 है । बालकों के विद्यालयों की संख्या 186 है और सम्पूर्ण योग 235 है । जूनियर बेसिक स्कूल में बालक व बालिकाओं की संख्या 890 है ।

बाँदा जिले में पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 35.99 है । महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 8.61 है और व्यक्तियों का साक्षरता प्रतिशत 23.30 है । उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के विद्यालयों की संख्या 50 है । बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 7 है और सम्पूर्ण योग 57 है तथा सीनियर बेसिक स्कूल में बालिकाओं के स्कूलों की संख्या 36 है और बालकों के स्कूलों की संख्या 235 है और सम्पूर्ण योग 271 है जूनियर बेसिक स्कूल में बालक - बालिकाओं के स्कूलों का योग 1287 है ।

ललितपुर जिले में पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 31.11 है । महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 9.96 है और व्यक्तियों का 21.34 है । उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में बालकों के विद्यालयों की संख्या 14 है । बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 3 है और सम्पूर्ण योग 17 है । सीनियर बेसिक स्कूल में बालिका स्कूलों की संख्या 9 है और बालकों के स्कूलों की संख्या 87 है, सम्पूर्ण योग 96 है । सीनियर स्कूल में बालक-बालिकाओं के स्कूलों की संख्या 583 है । झाँसी जिले में पुरूषों की साक्षरता दर 50.67 है । महिलाओं की साक्षरता दर 21.38 है । व्यक्तियों की साक्षरता दर 37.06 है । उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालिका विद्यालयों की संख्या 14 है ओर बालक विद्यालयों की संख्या 44 है तथा सम्पूर्ण योग 58 है ।

सीनियर बेसिक स्कूल मे बालकों के स्कूलों की संख्या 172 है । बालिकाओं के स्कूलों की संख्या 34 है और सम्पूर्ण योग 206 है । जूनियर बेसिक स्कूल में बालक-बालिकाओं की संख्या 96 है ।

उपर्युक्त तालिका से विदित होता है कि सभी क्षेत्रों में प्रतिशत के अनुसार पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत महिलाओं की अपेक्षा अत्यधिक है । इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, सीनियर बेसिक स्कूलों, जूनियर बेसिक स्कूलों में बालकों के विद्यालयों व स्कूलों की संख्या बालिकाओं के स्कूल विद्यालयों की अपेक्षा कम है ।

सारणी - 8[1]

वर्ष 1981 - 1991 तक

जनपद का नाम	वर्ष 1981 में साक्षरता प्रतिशत			वर्ष 1991 में साक्षरता प्रतिशत		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
जालौन	50.10	18.89	35.87	54.43	25.80	41.23
हमीरपुर	38.93	11.48	26.27	45.07	16.80	31.72
बांदा	35.58	8.53	23.04	41.82	13.93	28.75
ललितपुर	30.62	9.39	20.82	35.67	12.43	25.37
झाँसी	50.33	21.02	36.71	55.32	27.84	42.72
उत्तर प्रदेश -	**38.90**	**14.42**	**27.40**	**45.10**	**21.07**	**33.84**

1. उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश,लखनऊ पृष्ठ नं0 - 39, सन् 1994-95 ।

उत्तर प्रदेश के जनपदों में दशकवार साक्षरता

उत्तर प्रदेश राज्य की अधिकांश जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है । राज्य की निर्धनता भी यहाँ की शिक्षा के पिछड़ेपन का मूल कारण बनी हुई है । यहाँ का बालक साधन कमी के कारण युवास्था पार करने जाने पर भी निरक्षर ही रहता है । निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा भी अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षित कराने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रही है । निर्धन व्यक्ति की यह विचारधारा है कि जितने समय के लिए वह अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजेंगे, उतने समय में कहीं मजदूरी कराकर या धंधे में लगाकर अपनी भूख को शांत करेंगे, जो कि अपरिहार्य है । जब तक समाज की कुरीतियों को नष्ट नहीं किया जायेगा, तब तक प्रदेश में साक्षरता लाना सम्भव नहीं होगा । वर्ष 1981 में जालौन जिले में पुरूषों का शैक्षिक स्तर 50.10% था, महिलाओं का 18.89% था, सम्पूर्ण योग 35.87% था । जबकि वर्ष 1991 में पुरूष का योग 54.43% था तथा महिलाओं का योग 25.57% था तथा सम्पूर्ण योग 11.25 था तथा वर्ष 1991 का साक्षरता प्रतिशत 1981 से अधिक था । हमीरपुर में 1981 में पुरूषों का शैक्षिक स्तर 38.93 तथा महिलाओं का शैक्षिक स्तर 11.48 था और योग 26.27 था तथा वर्ष 1991 में पुरूषों का योग 45.07 था । महिलाओं का शैक्षिक स्तर 16.80 था और सम्पूर्ण यो 31.72 था । उत्तर प्रदेश में 1981 में पुरूषों का योग 38.90 था तथा महिलाओं का शैक्षिक योग 13.42 था, सम्पूर्ण योग 27.40 था।

सन् 1991 में उत्तर प्रदेश के पुरूष का शैक्षिक स्तर 45.10 था तथा महिलाओं का 21.07 था तथा सम्पूर्ण योग 33.84 था ।

बाँदा जिले में पुरूषों का साक्षरता अनुपात 35.58 था व स्त्रियों का साक्षरता अनुपात 8.53 था व सम्पूर्ण योग 23.04 था । सन् 1991 में पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 41.82 था । तथा महिलाओ का 13.43 था और सम्पूर्ण योग 38.75 था । ललितपुर जिले में 1981 में पुरूषों का शैक्षिक स्तर का अनुपात 30.62 था तथा स्त्री का शैक्षिक अनुपात 9.39 था ।

सम्पूर्ण योग 20.82% था । वर्ष 1991 में पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 35.67 था, महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 12.93% था ।

झाँसी जिले का साक्षरता अनुपात उपरोक्त जिलों की अपेक्षा अधिक विकासशील है । 1981 में पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 50.33% था तथा स्त्रियों का साक्षरता अनुपात 21.02% था, सम्पूर्ण योग 36.71% था ।

सन् 1981 में पुरूषों का प्रतिशत 55.32% था, स्त्रियों का अनुपात 27.84% था, सम्पूर्ण योग 42.72% था ।

इस सारणी से यह विदित होता है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की अपेक्षा झाँसी का शैक्षिक स्तर अधिक है ।

इसलिए झाँसी का साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है ।

सारणी-9[1]

बुन्देल खण्ड क्षेत्र में संस्थाएँ - वर्ष वार प्रगति (संख्या हजार में)

क्र०सं०	संस्थाए	वर्ष 1946-47	वर्ष 1950-51	वर्ष 1960-61	वर्ष 1970-71	वर्ष 1980-81	वर्ष 1993-94
		उ०प्र०	उ०प्र०	उ०प्र०	उ०प्र०	उ०प्र०	उ०प्र०
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	प्राइमरी स्कूल / जूनियर प्रा० स्कूल	20	32	40	62	71	80
2-	जूनियर हाई स्कूल/ सीनियर बेसिक स्कूल	13	3	4.3	9	14	16
3-	इण्टरमीडिएट कालेज हाई स्कूल	0.5	1	2	3.4	5.2	7
4-	विश्वविद्यालय	5	6	9	11	19	28

1- उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी, तुलनात्मक एवं प्रगति दर्शक, राज्य शिक्षा संस्थान उ०प्र०, इलाहाबाद ।

पेज नं० 68, सन् 1994 - 95 ।

उत्तर प्रदेश में संस्थाए वर्षवार प्रगति (संख्या हजार में)

साक्षरता के दृष्टि कोण को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश में अनेको संस्थाएं व शिक्षण केन्द्र खोले गए है । शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार नये- नये आयामों का संचालन कर रही है । और नई से नई तकनीकी का प्रयोग कर रही है सरकार का यही प्रयास है कि सरकारी सुविधाओं का अधिक से अधिक आम जनता सदुपयोग करें । और कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रह जाये ।

बेसिक स्कूलों की संख्या - 1946 - 47 में

प्राइमरी जूनियर उ0प्र0 में 20 संस्थायें थीं, प्राइमरी स्कूल व जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या वर्ष 1950 -51 में 32 थी, 1960 - 61 में 40 थी, 1970 - 71 में 62 थी, वर्ष 1980 - 81 में 71 थी । वर्ष 1993 - 94 में 80 थी ।

जूनियर हाई स्कूल व सीनियर संस्थाओं की संख्या

वर्ष 1946-47 = 1.3 थी, वर्ष 1950 - 51 में 3 थी वर्ष, 1960 - 61 में 4.3 थी, वर्ष 1970 - 71 में 9 थी, वर्ष 1980 - 81 में 14 थी, वर्ष 1993 - 94 में 16 थी ।

इण्टर मीडिएट कालेज व हाई स्कूलों की संख्या

वर्ष 1946-47 में 0.5 थी, वर्ष 1950-51 में 1 थी, वर्ष 1960-61 में 2 थी, वर्ष 1970-71 में 3.4 थी, वर्ष 1980 - 81 में 5.2 थी, वर्ष 1993-94 में 7 थी ।

तथा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय संस्थाओं की संख्या वर्ष

वर्ष 1946 - 47 में 5 थी, वर्ष 1950 - 51 में 6 थी, वर्ष 1960 - 61 में 9 थी, वर्ष 1970 - 71 में 11 थीं, वर्ष 1980 - 81 में 19 थीं, वर्ष 1993 - 94 में 28 थीं ।

सारणी-10[1]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें (प्रथम तीन स्तर)

उच्चतर	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1982-83	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8
उच्चतर मा0वि0 (लड़के)	834	1489	2834	4420	4604	4863	4872
लड़कियां	154	282	581	758	795	804	819
योग-	**987**	**1771**	**3415**	**5178**	**5399**	**5667**	**5691**
ग्रामीण क्षेत्र	305	749	1840	3394	3590	3968	3988
सीनियर बेसिक स्कूल स्कूल (लड़के)	2386	3674	6779	10355	11687	13040	13080
लड़कियां	468	661	2008	3200	3343	3392	3424
योग-	**2854**	**4335**	**8787**	**13555**	**15030**	**16432**	**16504**
ग्रामीण क्षेत्र	1984	3772	6367	11322	12573	15191	15252
जूनियर बेसिक स्कूल (लड़के)	29459	35156	50503	70606	72691	74051	74273
लड़कियां	2520	4927	11624	(मिश्रित)	(मिश्रित)	(मिश्रित)	(मिश्रित)
योग-	**31979**	**40083**	**62127**	**70606**	**72691**	**74051**	**74273**
ग्रामीण क्षेत्र	23610	35202	55998	64021	65930	68853	69053
नर्सरी स्कूल (लड़के)	6	55	86	34	8	10	10
लड़कियाँ	-	18	55	31	15	17	17
योग	**6**	**73**	**141**	**65**	**23**	**27**	**27**
ग्रामीण क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-

1-शिक्षा की प्रगति, शिक्षा निदेशालय , उत्तर प्रदेश इलाहाबाद सन् 1986 - 87 पृष्ठ सं0 63 ।

उ0प्र0 में विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाये प्रथम तीन स्तर

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अधिकांशतः निजी संस्थायें द्वारा की जाती है । संविधान के अनुच्छेद 45 में निहित नीति निदेशक सिद्धान्तों के तहत चौदह वर्ष तक के बालकों/बालिकाओं का शिक्षित करने की नीति पर आधारित 3-6 व 4 वर्ग के शिशुओं के शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास हेतु इन नर्सरी विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है । प्रदेश में इस समय सम्प्रति नर्सरी विद्यालय संचालित हैं । इनमें से प्रदेश के 45 ऐसे स्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय नर्सरी स्कूल हैं ।

देश-प्रदेश के जनमानस में शैक्षिक प्रचार प्रसार की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की जगत की मूल श्रृंखला एवं आधार शिला है । प्राथमिक शिक्षा को सर्वाधिक वरीयता प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे है । इनके मूल्यांकन के आधार पर कदाचित स्व0 भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी द्वारा इसे बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित कराकर प्रमुखता दिलाई गई थी, यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में प्रत्याशित अभिवृद्धि सुधार परिवर्धन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं । जिसका ही एक अंश शिक्षा नीति में परिवर्तन भी हैं । उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1950-51 में बालिका विद्यालयों की संख्या 154 है । तथा बालकों के विद्यालयों की संख्या 833 है । ग्रामीण क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 305 है । 1960-61 में बालको के उच्त्तर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1499 है । और बालिकाओं की संख्या 282 है । तथा सम्पूर्ण योग 1771 है । तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की संख्या 749 है । 1970 - 71 में बालकों के विद्यालयों की संख्या 581 है । तथा कुल 3415 विद्यालय है । ग्रामीण क्षेत्र में 1840 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं । 1970-81 में बालको के विद्यालय 4420 है । बालिकाओं के विद्यालय 758 है । तथा सम्पूर्ण विद्यालयों की संख्या 5178 है । तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या 3394 है । 1992-93 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 4604 है । और बालिका विद्यालयों की संख्या 795 है । कुल विद्यालयों की संख्या 5399 है । तथा ग्रामीण

क्षेत्र के विद्यालयों की संख्या 3590 है । सीनियर बेसिक स्कूल में लड़कों के स्कूलों की संख्या 11687 है । तथा लड़कियों के स्कूलो की संख्या 3343 है । तथा कुछ स्कूलों का योग 15030 है । तथा ग्रामीण क्षेत्रो में विद्यालयो की संख्या 12573 है । .

जूनियर बेसिक स्कूल में बालिकाओं के स्कूलो की संख्या 72691 है । तथा लड़कों के स्कूलों की संख्या मिश्रित है । तथा सम्पूर्ण योग 72691 है । तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलो की संख । 65930 है नर्सरी स्कूलो में लड़को के स्कूलो की संख्या 15 है लड़कियों के स्कूलो की संख्या 8 है । तथा नर्सरी स्कूलो का सम्पूर्ण योग 23 है । तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सरी स्कूलों का अभाव है । 1985-86 में बालको के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 4863 है । तथा बालिकाओं के उच्तर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 804 है तथा कुछ विद्यालयों की संख्या 5667 है । तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या 3968 है ।

तथा बालको के सीनियर बेसिक स्कूलो की संख्या 74051 है तथा लड़कियों की संख्या 74051 है तथा कुल जूनियर स्कूलो की संख्या 74051 है । ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर बेसिक स्कूलो की संख्या 68853 है लड़कों के नर्सरी स्कूलो की संख्या 10 है तथा बालिकाओं के नर्सरी स्कूलो की संख्या 17 है तथा कुछ योग 27 है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सरी स्कूलों की संख्या शून्य है।

1986-87 में लड़को के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो की संख्या 4872 है और लड़कियों के विद्यालयों की संख्या 819 है तथा सम्पूर्ण योग 5691 है ग्रामीण क्षेत्रो में विद्यालयों की संख्या 3988 है ।

बालकों के सीनियर बेसिक स्कूलो की संख्या 13080 है तथा लड़कियों के स्कूलो की संख्या 3424 है तथा स्कूलो का सम्पूर्ण योग 16504 है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या 15252 है ।

बालकों के जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 74273 है तथा बालिकाओं की संख्या 74273 है तथा सम्पूर्ण योग 74273 है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या 69053 है ।

लड़कों के नर्सरी स्कूलों की संख्या 10 है व लड़कियों के स्कूलों की संख्या 17 है तथा स्कूलों की कुल संख्या 26 है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या नगण्य है ।

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि बालकों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है व लड़कियों की कम है तथा ग्रामीणा क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा कम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ।

बालिकाओं के सीनियर व जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या भी बालकों के सापेक्ष कम है । तथा नर्सरी स्कूलों में लड़कियों के स्कूल ज्यादा हैं और लड़कों के कम हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की नर्सरी स्कूलों की संख्या नगण्य के बराबर है ।

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

1950 - 51 :

इस अवधि में बालिका विद्यालयों की संख्या 154 थी तथा बालकों के विद्यालयों की संख्या 833 थी । ग्रामीण क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 305 थी ।

1960 - 61 :

इस अवधि में बालकों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1489 है और बालिकाओं की संख्या 282 है तथा सम्पूर्ण योग 1771 है । इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या 749 है ।

1970 - 71 :

इस अवधि में बालकों के विद्यालयों की संख्या 2834 है । बालिकाओं के विद्यालयों की सख्या 581 है तथा कुल 3415 विद्यालय हैं । इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1840 है ।

1980 - 81 :

इस अवधि में बालकों के विद्यालय 4420 हैं । बालिकाओं के विद्यालय 758 हैं तथा सम्पूर्ण विद्यालयों की संख्या 5178 है तथा इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या 3394 है ।

रेखाचित्र - 3

बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे बालक/बालिकाओ के सीनियर बेसिक स्कूल का तुलनात्मक अध्ययन

स्कूल	जनपदा के नाम				
	जालौन	हमीरपुर	बादा	ललितपुर	झासी
बालक सी0 बे0 स्कूल	161	157	203	84	144
बालिका सी0 बे0 स्कूल	37	57	38	13	33
योग	198	214	241	97	177

सीनियर बेसिक स्कूल–बालक

सीनियर बेसिक स्कूल–बालिका

योग

जनपदों के नाम

सारणी-11[1]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिलेवार महाविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीनियर बेसिक स्कूल, तथा जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या -

क्र0सं0	जनपद का नाम	महाविद्यालय	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय			सीनियर बेसिक स्कूल			जूनियर बेसिक स्कूल मिश्रित
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालिका + बालक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	जालौन	5	69	9	78	161	37	198	1005
2-	हमीरपुर	4	44	7	51	157	57	214	929
3-	बांदा	5	58	8	66	203	38	241	1334
4-	ललितपुर	2	15	3	18	84	13	97	613
5-	झाँसी	4	51	15	66	144	33	177	954
उत्तर प्रदेश		**436**	**5675**	**962**	**6637**	**12037**	**3509**	**15546**	**79522**

1- उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी , राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ पृष्ठ नं0 44 सन् 1994 - 95 ।

उत्तर प्रदेश में जिलेवार महाविद्यालय , उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीनियर बेसिक स्कूल तथा जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्यात्मक वृद्धि

भारत शासन जिसका सृजन 1935 में हुआ और 1937 में लागू किया गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमण्डल के हाथो में शासन की बागडोर आ गयी । शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में भी कांग्रेस मंत्रियों ने उत्साह एवं जोश के साथ काम किया । इसका परिणाम राज्य में प्राथम्कि शिक्षा के प्रसार के रूप में देखा गया। कांग्रेस की हरिजन उदारनीति से प्रभावित होकर निम्न वर्ग के छात्र एवं छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई ।

उत्तर प्रदेश के जिलों के महाविद्यालय , उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , सीनियर बेसिक स्कूल तथा जूनियर बेसिक स्कूल में छात्र छात्रों की संख्या का वर्णन किया जा रहा है । जालौन जिले में 5 महाविद्यालय हैं तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लड़कों के 69 विद्यालय है व लड़कियों के 9 विद्यालय है तथा जालौन जिले में सम्पूर्ण विद्यालयों की संख्या 78 है ।

और सीनियर बेसिक विद्यालयों में बालकों के स्कूल 161 हैं । और बालिकाओं के 37 स्कूल है तथा सम्पूर्ण स्कूलों की संख्या 198 है ।

जूनियर बेसिक स्कूल जहां पर लड़के-लड़कियां दोनो पढ़ते हैं । उन स्कूलों की संख्या 1005 है । हमीरपुर जिले में महाविद्यालयों की संख्या 4 है । और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कों के विद्यालयों की संख्या 44 है । और लड़कियों के विद्यालयों की संख्या 7 है । तथा सम्पूर्ण योग 52 है । तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों में बालकों की संख्या 157 है । और बालिकाओं की संख्या 57 है तथा सम्पूर्ण योग 214 है । और जूनियर बेसिक स्कूल जो कि लड़के व लड़कियों के शामिल हैं । उनकी संख्या 929 है ।

बांदा जिले में महाविद्यालयों की संख्या 5 है । और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालकों के विद्यालय 58 है । और बालिकाओं के 8 है । तथा सम्पूर्ण योग 66 है । सीनियर बेसिक विद्यालयों में बालकों के विद्यालय की संख्या 203 है । और बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 38

रेखाचित्र-4

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिलेवार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो की संख्या

जनपद का नाम	विद्यालय बालक	बालिका	योग
जालौन	69	9	78
हमीरपुर	44	7	51
बादा	58	8	66
ललितपुर	15	3	18
झासी	51	15	66

जनपदों के नाम

बालक विद्यालय

बालिका विद्यालय

योग

है । तथा कुल विद्यालय की संख्या 241 है । जूनियर बेसिक विद्यालय कोयड की संख्या 1334 है । ललितपुर में 2 महाविद्यालय है तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के विद्यालय 15 है । और छात्राओं के विद्यालय 3 है । सम्पूर्ण योग 18 है । सीनियर बेसिक स्कूल में बालकों के स्कूल 84 है और बालिकाओं के विद्यालय 13 है । सम्पूर्ण योग 97 है । जूनियर बेसिक विद्यालय जो कि लड़के लड़कियों के सम्मिलित हैं । उनकी सँख्या 613 है ।

झाँसी में 4 महाविद्यालय है । और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो में बालकों के विद्यालय 51 व बालिकाओं के विद्यालय 15 हैं । तथा उनका सम्पूर्ण योग 66 है । सीनियर बेसिक विद्यालय में बालकों के विद्यालयों की संख्या 144 है और बालिकाओं के विद्यालय की संख्या 23 है तथा कुल विद्यालयों की संख्या 177 है, बालक व बालिकाओं क सम्मिलित विद्यालय की संख्या 954 है ।

उत्तर प्रदेश में 436 महाविद्यालय है व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालकों के 5675 विद्यालय है । और बालिकाओं के 962 विद्यालय है । तथा सीनियर बेसिक विद्यालय में 12037 विद्यालय लड़कों 3509 विद्यालय लड़कियों के है । सम्पूर्ण स्कूलों की संख्या 15546 है । और जूनियर बेसिक विद्यालय (कोयड़ो) की संख्या 79522 है ।

इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि जालौन, हमीरपुर बांदा, ललितपुर व झाँसी जिले में महाविद्यालयों व विद्यालयों तथा स्कूलों की संख्या उत्तर प्रदेश की अपेक्षा काफी कम है ।

संकेत : उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी राज्य शिक्षा संस्थान उ0प्र0 इलाहाबाद सन् वर्ष 1994-95 पेज नं0 44 प्रकाशन जगमोहन प्रिन्टर्स 29 सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद ।

रेखाचित्र-5

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिलेवार महाविद्यालय सख्या

जनपद	महाविद्यालया की सख्या
जालौन	5
हमीरपुर	4
बादा	5
ललितपुर	2
झासी	4

जनपदों के नाम

सारणी - 12[1]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्तरानुसार छात्रों की संख्या

		1882-83	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5
छात्रों की संख्या प्राइमरी स्तर	कुल	20,016	32,887	33,297
	बालिका	9,118	12,990	13,190
जूनियर बेसिक स्तर कक्षा (1 - 5)	कुल	1,08,04,983	1,10,86,224	1,23,32,773
	बालिका	33,25,025	37,69,468	40,65,465
सीनियर बेसिक स्तर कक्षा (6 - 8)	कुल	37,31,560	37,60,790	39,51,904
	बालिका	8,87,999	9,66,800	10,02,445
हाई/हायर सकेण्डरी कक्षा (9 - 12)	कुल	21,02,717	24,93,141	26,94,000
	बालिका	3,50,000	46,55,191	6,15,000
स्नातक स्तर	कुल	3,09,288	3,34,752	3,47,158
	बालिका	69,458	82,930	91,918
स्नातकोत्तर	कुल	72,467	85,529	88,094
	बालिका	20,761	25,206	27,834

1 - उ0प्र0 की शिक्षा सांख्यिकी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ, पृष्ठ नं0 - 39, सन् 1994-95 ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्तरानुसार छात्रों की संख्या

साक्षरता के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की वर्तमान संरचना एवं व्यवस्था में समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक सम्बन्धी से निर्मित चिन्तन चल रहा है । भारत सरकार द्वारा शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य नामक दस्तावेज प्रसारित होने पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विचार गोष्ठियाँ अक्टूबर 1985 तक आयोजित की गईं । इन गोष्ठियों में प्राप्त सुझावों एवं संस्तुतियों का संकलन मण्डलीय स्तर पर किया गया । नवम्बर 1985 तक आयोजित की गई इन गोष्ठियों में प्रप्त सुझावों एवं संस्तुतियों का संकलन मण्डलीय स्तर पर किया गया । नवम्बर 1985 के प्रथम सप्ताह मे राज्य स्तर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों से आमंत्रित प्रतिभागियों द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं आयामों जैसे प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, रोजगारक शिक्षा, महिला शिक्षा परीक्षा पद्धति उच्च शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण आदि पर गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श किया गया । राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी में प्राप्त सुझाव एवं संस्तुतियाँ भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई थीं।

स्तरों के अनुसार छात्र छात्राओं की संख्या निम्न है :-

छात्रों की संख्या फ्री प्राइमरी स्तर पर 1982-83 में 9118 की तथा कुल योग 20,016 है । जूनियर बेसिक स्तर पर कुल संख्या 1,08,04,983 है, जिसमें बालिकाओं का योग 332502 है । सीनियर बेसिक स्तर पर कुल योग 3731560 है, जिसमें बालिकाओं का योग 847999 है । हायर सेकेन्डरी में कुल छात्रों का योग 2102717 है, जिसमें छात्रायें 350000 हैं । स्नातक स्तर है । कुल संख्या 309288 है, जिसमें बालिकायें 69453 हैं । स्नातकोत्तर स्तर पर कुछ छात्रों की संख्या 72467 है, जिसमें बालिकायें 20761 हैं ।

सन् 1985-86 प्री प्राइमरी स्तर है । कुल छात्रों की संख्या 32887 है, जिसमें बालिकाओं की संख्या 12990 है । जूनियर बेसिक स्तर पर कुल छात्रों की संख्या 11086224 है तथा बालिकाओं की संख्या 3769468 है । सीनियर बेसिक स्तर पर कुल योग 3760790 है तथा बालिकाओं की संख्या 966800 है । हायर सेकेन्डरी में कुल संख्या 2493141 है जिसमें बालिकाओं की संख्या 47559191 है । स्नातक स्तर पर कुछ छात्रों की संख्या 334752 है । जिसमें बालिकाओं का योग 82930 है । स्नातकोत्तर स्तर पर कुल योग संख्या 85529 है । जिसमें बालिकायें 25206 हैं ।

सन् 1986 - 87 में प्री प्राइमरी स्तर पर छात्राओं का योग 13190 है तथा कुछ योग संख्या 33297 है । जूनियर बेसिक स्तर पर छात्राओं की संख्या 4065465 है । तथा कुल योग 12332773 है । सीनियर बेसिक स्तर पर बालिकाओं की सख्या 10,02,445 है । तथा कुल योग 3951904 है । हायर सेकेन्डरी लेबल पर छात्राओं की संख्या 615,000 तथा कुल योग 2694000 है । स्नातक स्तर पर कुल छात्राओं की संख्या 91918 है । तथा कुल योग 347158 है । तथा स्नातकोतर स्तर पर बालिकाओं की संख्या 27834 है । तथा कुल योग 88094 है ।

****

सारणी - 13[1]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर स्तरानुसार नामांकन संख्या लाख में 1993-94

क्र0सं0	स्तर	उत्तर प्रदेश		योग
		बालक	बालिका	
1	2	3	4	5
1-	प्राथमिक स्तर (कक्षाएँ 1 - 5)	97.75	59.55	157.30
2-	सीनियर बेसिक स्तर (कक्षाएँ 6 - 8)	26.87	10.97	37.83
3-	हाई/पोस्ट बेसिक स्तर (कक्षाएँ 9 - 10)	15.31	6.73	22.04
4-	इन्टरमीडिएट स्तर (कक्षाएँ 11 - 12)	23.49	9.20	32.69

1. "परीक्षाफल एक दृष्टि में" हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, सन् 1989, पृष्ठ संख्या - 13 ।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर स्तरानुसार नामांकन संख्या (लाख में) 1993-94

उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों, धर्मो एवं विभिन्न भाषा भाषी व्यक्ति निवास करते हैं ।

कालान्तर में अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से राष्ट्रीय जागरण के फलस्वरूप जनजातियों में भी शिक्षा का प्रसार हुआ, फिर भी प्रदेश के अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं । बालक एवं बालिकाओं के लिए कहीं-कहीं विद्यालय खोले जाने पर भी समाज की रूढ़िवादिता, निर्धनता के कारण उन्हें विद्यालय भेजना उचित नहीं समझते थे । गाँव के अधिकांश लोग विशेषकर लड़कियों को विद्यालय भेजना उचित नहीं समझते थे । बालिका विद्यालय के अभाव में लड़कियों की बालकों के विद्यालय में सह शिक्षा के लिए भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था ।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 - 5 में बालकों की संख्या 97-98 लाख व बालिकाओं की संख्या 59.55 लाख थी, जबकि सम्पूर्ण योग 157.30 लाख, सीनियर बेसिक स्तर (कक्षा 6 - 8) तक में बालकों की संख्या 26.87 लाख, बालिकाओं की 10.97 लाख थी तथा सम्पूर्ण योग 37.83 था । हाई/पोस्ट बेसिक (कक्षा 9 - 10) में छात्रों का योग 15.31 लाख था व छात्राओं का योग 6.73 लाख था, सम्पूर्ण योग 22.04 था ।

इन्टरमीडिएट स्तर कक्षा 11 - 12 तक की कक्षाओं में बालकों की संख्या 23.49 लाख थी तथा बालिकाओं की संख्या 9.20 थी तथा सम्पूर्ण योग 32.69 लाख था ।

सारणी - 14[1]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वय वर्ग 6-11 व 11-14 के बच्चों की संख्या तथा जातिवार विद्यालयों में नामांकित बच्चों का अनुपात वर्ष 1993-94

क्र०सं०	स्तर	कक्षा 1 - 5 वय वर्ग 6 - 11			कक्षा 6 - 8 वय वर्ग 11 - 14		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	विद्यालयी वय के बच्चों की जनसंख्या लाख में (उत्तर प्रदेश)	93.24	84.28	177.52	51.55	46.27	97.82
2-	विद्यालयों में नामांकित बच्चों का अनुपात (उत्तर प्रदेश)	103.90	72.80	89.30	72.20	35.40	55.00
3-	अनुसूचित जाति के बच्चों की जनसंख्या लाख में (उत्तर प्रदेश)	19.73	17.83	37.56	10.91	9.79	20.70
4-	अनुसूचित जाति के विद्यालयों के नामांकित बच्चों का अनुपात (उत्तर प्रदेश)	86.96	41.40	65.54	52.33	15.65	35.14
5-	अनुसूचित जाति के बच्चों की जनसंख्या लाख में (उत्तर प्रदेश)	0.20	0.18	0.37	0.11	0.09	0.21
6-	अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन अनुपात (उत्तर प्रदेश)	97.95	63.97	81.97	56.11	23.05	40.61

1- शिक्षा की प्रगति, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, सन् 1986-87, पृष्ठ संख्या - 25 ।

उत्तर प्रदेश में वयवर्ग 6-11 व 11-14 के बच्चों की संख्या तथा जातिवार विद्यालयो में नामांकित बच्चों का अनुपात 1993-94

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है । इस राज्य में रहने वाले अधिकतर लोगो का मुख्य व्यवसाय खेती है । नगरों में रहने वाले ग्रामीणों की अपेक्षा अधिक शिक्षित है । हिन्दू समाज की लुहार, बढ़ई , धोबी , मोची कहार इत्यादि वर्गो में बंटा हुआ है । जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए है । जो लोग नगरों तक सीमित है वे अधिकांश शिक्षित है ।

विद्यालयी वय के बच्चों की जनसंख्या कक्षा 1-5 तथा वय वर्ग में 6-11 में बालकों की संख्या 93.24 लाख थी व बालिकाओं की 84.28 लाख थी तथा सम्पूर्ण योग 177.52 था । और कक्षा 6-8 वय वर्ग 11-14 में बालकों की संख्या 51.55 लाख थी, बालिकाओ की संख्या 46.27 लाख थी व सम्पूर्ण संख्या 97.82 थी ।

विद्यालयो में नामांकित बच्चों का अनुपात उत्तर प्रदेश में कक्षा 1-5 वय वर्ग 6-11 में बालको की संख्या 103.90 प्रतिशत थी व बालिकाओं की संख्या 72.80 प्रतिशत थी सम्पूर्ण योग 89.30 प्रतिशत था तथा कक्षा 6-8 वय वर्ग 11-14 के बालकों का अनुपात 72.20 था, बालिकाओं का अनुपात 35.40 लाख तथा सम्पूर्ण योग 55.00 अनुपात था ।

अनुसूचित जाति के बच्चो की जनसंख्.। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1-5 वयवर्ग 6-11 तक बालकों की संख्या 19.73 लाख थी तथा 17.83 बालिकाओं की थी सम्पूर्ण योग 37.56 लाख था । तथा 6-8 वय वर्ग 11-14 तक बालकों की संख्या 10.91 लाख बालिकाओं की संख्या 9.79 लाख थी तथा सम्पूर्ण योग 20.70 लाख था ।

अनुसूचित जाति के विद्यालयो में नामाकित बच्चों का अनुपात उत्तर प्रदेश में कक्षा 1-5 वय वर्ग 6-11 में बालकों की संख्या का अनुपात 86.96 था । बालिकाओं का अनुपात 41.40

था । सम्पूर्ण योग 65.54 था तथा 6-8 वय वर्ग 11-14 तक बालको की संख्या का अनुपात 52.33 था और बालिकाओं का अनुपात 15.65 था । तथा सम्पूर्ण योग 35.14 था । अनुसूचित / जनजाति के बच्चों की कक्षा 1-5 व 6-11 आयु तक के बच्चों की जनसंख्या में बालिकाओं की 0.18 लाख व बालको की 0.20 लाख थी व सम्पूर्ण योग 0.37 लाख थी कक्षा 6-8 वय वर्ग 11-14 में बालको की संख्या 0.11 लाख थी व बालिकाओं की संख्या 0.09 थी । व सम्पूर्ण योग 0.21 थी ।

अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या का अनुपात बालको का योग 97.96 था बालिकाओं का अनुपात 63.97 था व सम्पूर्ण योग 81.97 तथा कक्षा 6-8 वय वर्ग 11-14 तक के बालको का अनुपात 56.11 था व बालिकाओं का अनुपात 23.05 था और सम्पूर्ण योग 40.61 था ।

सारणी - 15

शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों के लिए बजट (रूपये लाख में)

क्र0सं0	शीर्षक	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8
	शिक्षा						
1-	प्रारम्भिक	539	3167	16465	32025	-	-
2.	माध्यमिक	336	1824	9444	23710	-	-
3-	विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	144	466	3204	5978	-	-
4-	ट्रेनिंग	10	30	-	-	-	-
5-	अन्य	305	1301	-	-	-	-
6-	विशेष शिक्षा	-	-	319	642	-	-
7-	प्राविधिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-
8-	क्रीड़ा एवं युवा कल्याण	-	-	278	537	-	-
9-	सामान्य शिक्षा	-	-	0.24	0.24	-	-
10-	एक मुश्त प्रावधान	-	-	2148	-	-	-
11-	कला एवं संस्कृति	-	-	1.60	1.60	-	-
12-	अनुसूचित जातियों अनु0जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	-	-	270	313	-	-
13-	मंत्री परिषद	-	-	-	1.50	-	-
14-	उच्च शिक्षा आयोजनेत्तर	-	-	-	-	-	2167
15-	माध्यमिक शिक्षा	-	-	-	-	75069	88291
16-	बेसिक शिक्षा	-	-	-	-	108431	127657
17-	प्रौढ़ शिक्षा	-	-	-	-	524	57
18-	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	-	-	-	-	298	303
	योग :-	**1336**	**6789**	**32130**	**456**	**184323**	**237436**

शिक्षा के विभिन्न शीर्षको के लिये बजट (रूपये लाख में)

उत्तर प्रदेश में सन् 1951 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या में 10.77% व्यक्ति ही साक्षर थे, जिसमें महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में काफी कम है । भारत सरकार के कार्यक्रमों के साथ - साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरक्षरतॉ उन्मूलन हेतु शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया गया है तथा शिक्षा के ऊपर लाखों रूपयों का व्यय किया गया तथा प्रारम्भिक स्तर पर 1960 - 61 में 539 लाख तथा 1970 - 71 में 31.67 लाख 1980 - 81 में 16465 लाख, 1985 - 86 में 32025 , 1992 - 93 32025 लाख ,1993 - 94 में 32025 लाख माध्यमिक स्तर 1960 - 61 में 23710 लाख, 1992 - 93 में 23710 लाख, 1993 - 94 में 23710 लाख का बजट था । विश्वविद्यालय स्तर पर 1960 - 61 में 144 लाख , 1970 - 71 में 466 लाख 1980 - 81 में 3204 लाख , 1985 - 86 में 5978 लाख, 1992 - 93 में 5978 लाख , 1993 - 94 में 5978 लाख का बजट था ट्रेनिंग केन्द्रों के लिए 1960 - 61 में 10 लाख , 1970 - 71 में 30 लाख , 1980 - 81 में 3204 लाख , 1985 - 86 में 5978 लाख 1992 - 93 में 30 लाख, 1993 - 94 30 लाख अन्य कार्यो के लिए 1960 -61 में 305 लाख , 1970 -71 में 1301 लाख, 1980 - 81 में 3204 लाख , 1985-86 में 5978 लाख 1992-93 में 32025 लाख,1993-94 में 23710 लाख का बजट था ।

प्राविधिक शिक्षा के लिए 1960 - 61 में 305 लाख , 1970 - 71 में 1301 लाख, 1980 - 81 में 319 लाख, 1985-86 में 642 लाख , 1992-93 में 32025 लाख 1993-94 में 23710 लाख का बजट था । क्रीड़ा एवं युवक कल्याण के लिए 1960- 61 में 305 लाख था 1970 -71 में 1301 लाख , 1980-81 में 278 लाख 1985-86 में 537 लाख 1992-93 में 1993 - 94 में बजट था । सामान्य शिक्षा 1960-61 में शून्य था, 1970 -71 में 1980-81 में 0.24 लाख, 1985-86 में 0.24 लाख 1992-93 तथा 1993-94 में शून्य था । एक मुश्त प्रविधान 1960-61 में अप्राप्त था । 1970-71 में शून्य था । 1980-81 में

2148 लाख थी, 1985-86 में 1.60 लाख था, 1992-93 में व 1993-94 में अप्राप्त था । अनुसूचित जातियों व जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण 1960-61 में शून्य था, 1970-71 में शून्य था, 1980-81 में 270 लाख था, 1985 में 313 लाख था, 1993-94 में निदेशालय में उपलब्ध नहीं था ।

मंत्री परिषद में 1960-61 में शून्य था, 1970-71 में शून्य था, 1980-81 में अप्राप्त था, 1985-86 में 1.50 लाख था, 1992-93 तथा 1993-94 में शून्य था ।

उच्च शिक्षा आयोजनेत्तर में 1960 - 1993 तक अप्राप्त था, 1993-94 में 2128 लाख था ।

माध्यमिक शिक्षा के स्तर के लिए बजट 1960 - 86 तक अप्राप्त था, 1992-93 में 75069 लाख था, 1993-94 में 88291 था ।

बेसिक शिक्षा का 1960 - 86 तक बजट था तथा 1992-93 में 108431 लाख था 1993-94 में 127657 लाख था ।

प्रौढ़ शिक्षा में 1960-61 से 1985-86 तक बजट था, 1992-93 में 525 लाख था, 1993-94 में 57 लाख था । राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 1960 से 1986 का बजट शून्य था, 1992-93 तक 298 लाख था, 1993-94 तक 303 लाख का बजट था । सम्पूर्ण योग सन् 1960-61 में 1336 लाख था, 1970-71 में 6789 लाख था, 1980-81 में 32130 लाख था, 1985-86 में 456 लाख था, 1992-93 में 184323 लाख था, 1993-94 में 237436 लाख था ।

1- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश (भारत) सन् 1987 पृष्ठ संख्या - 115

सारणी - 16[1]

क्र0सं0	शीर्षक	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1992-93	1993-94
	शिक्षा नियोजन						
1-	प्राथमिक	255	347	698	1743	-	-
2-	माध्यमिक	64	83	281	48	-	-
3-	विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	41	68	95	148	-	-
4-	ट्रेनिंग	12	4	-	-	-	-
5-	अन्य	15	201	-	-	-	-
6-	विशेष शिक्षा	-	-	317	930	-	-
7-	प्राविधिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-
8-	क्रीड़ा एवं युवा कल्याण	-	-	69	10	-	-
9-	सामान्य शिक्षा	-	-	-	75	-	-
10-	एक मुश्त प्राविधान	-	-	25	-	-	-
11-	कला एवं संस्कृति	-	-	1	-	-	-
12-	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण	-	-	58	-	-	-
13-	उच्च शिक्षा आयोजनागत	-	-	-	-	-	2490
14-	माध्यमिक शिक्षा आयोजनागत	-	-	-	-	4119	3551
15-	बेसिक शिक्षा आयोजनागत	-	-	-	-	8974	15756
16-	प्रौढ़ शिक्षा आयोजनागत	-	-	-	-	1352	658
17-	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आयोजनागत	-	-	-	-	476	474
	योग :-	**387**	**704**	**1545**	**-**	**14921**	**22929**

1- उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी, राज्य शिक्षा संस्थान उ0प्र0,इलाहाबाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

शिक्षा नियोजन में 1960 - 61 में प्राथमिक स्तर में 255 लाख का बजट था । 1970 - 71 में 347 लाख का बजट था । 1980 - 81 में 698 लाख का बजट था , 1985 - 86 में 1743 लाख का बजट था । 1992 - 93 का निदेशालय में उपलब्ध नहीं ।

माध्यमिक स्तर 1960 - 61 में 64 लाख था । 1970 - 71 में 83 लाख का बजट था 1980 - 81 में 281 लाख का बजट था । 1985-86 में 48 लाख का बजट था 1992-94 तक का बजट शून्य था । विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज का 1960-61 में 41 लाख था 1970-71 में 68 लाख था । 1980-81 में 95 लाख था । 1985-86 में 148 लाख था । 1992-94 तक का बजट अप्राप्त था ।

ट्रेनिंग के लिए 1960-61 में 13 लाख था । 1970-71 में 4 लाख था , 1980-81 से 1994 तक का शून्य बजट था ।

अन्य कार्यक्रमों के लिए 1960-61 में 15 लाख 1970-71 में 301 लाख , 1980 से 94 तक का बजट उपलब्ध नहीं था । विशेष शिक्षा में 1960-61 में शून्य , 1970-71 में शून्य 1980-81 में 317 लाख का बजट था । 1985-86 में 930 लाख का बजट था । 1993-94 में अप्राप्त बजट था । प्राविधिक शिक्षा में 1960 से 1994 तक कोई बजट नहीं था ।

क्रीड़ा एवं युवक कल्याण में 1960 से 1971 तक कोई बजट नहीं था । 1980-81 में 60 लाख था । 1985-86 में 10 लाख था 1993 से 94 तक कोई बजट नहीं था ।

सामान्य शिक्षा 1960 से 81 तक कोई बजट नहीं 1985-86 में 75 लाख का बजट था 1992 से 94 तक कोई बजट नहीं था ।

एक मुश्त प्राविधान में 1980-81 में 25 लाख का बजट था ।

कला संस्कृति में 1980-81 में 1 लाख का बजट था ।

अनुसूचित जातियों व जनजातियों में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए 1980-81 में 58 लाख का बजट था । उच्च शिक्षा आयोजनागत में 1993-94 में 2490 लाख का बजट था । माध्यमिक शिक्षा आयोजनागत के लिए 1992-93 में 4119 लाख का बजट था । 1993-94 में 3551 लाख का बजट था । बेसिक शिक्षा आयोजनागत में 1992-93 में 8974 लाख का बजट था । 1993-94 में 15756 लाख का बजट था ।

प्रौढ़ शिक्षा आयोजनागत के लिए 1992-93 में 1352 लाख का बजट था । 1993-94 में 658 लाख का बजट था ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आयोजनागत में 1992-93 में 476 लाख था, 1993-94 में 474 लाख था ।

सम्पूर्ण योग 1960-61 में 387 लाख का बजट था । 1970-71 में 704 लाख, 1980-81 में 1545 लाख , 1992-93 में 14921 लाख का 1993-94 में 22929 लाख का बजट था ।

पंचाम अध्याय

निष्कर्ष, मूल्यांकन एवं सुझाव

विश्व में प्राचीनकाल से ही महिलाओं और बालिकाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रहा है। विशेष रूप से शिक्षा के प्रति उन्हें आगे बढ़ाने में किसी भी देश ने विशेष अभिरूचि प्रदर्शित नहीं की है। भारतवर्ष लम्बे समय तक ब्रिटिश सरकार के शासन में रहा है, जिसके कारण एक ओर तो पूरी जनसंख्या ही शैक्षिक दृष्टि से काफी पीछे रह गई है और दूसरी ओर महिलाओं और बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में भारी गिरावट आयी है। वैसे तो आजादी के बाद भारतवर्ष की राष्ट्रीय सरकार ने संविधान में यह प्राविधान करके कि 14 वर्ष तक के बच्चों को (बालक - बालिकाओं) को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी तथा देश में इस आयु वर्ग के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन्हें 10 वर्ष के अन्दर पूरी तरह से यह सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। इस हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफी प्रयास किया, परन्तु विभिन्न शब्दों में आशा से अधिक जनसंख्यात्मक वृद्धि के कारण सभी प्रकार के पूर्वानुमान गलत हो गये और जिसका परिणाम ये हुआ कि संविधान में किया गया प्राविधान लगभग 50 वर्ष के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। आजादी के पूर्व जनसंख्या 5.65 करोड़ थी, जबकि वर्ष 1991 में बढ़कर 613.90 करोड़ हो गई। इस अवधि में उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इस अवधि में जनसंख्या का कुल प्रतिशत 67.07% था, जबकि इस अवधि में साक्षरता का कुल प्रतिशत 169.79 था, इसमें बालिकाओं की साक्षरता का प्रतिशत 96.80 था। इससे स्पष्ट है कि आजादी के बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा में कोई विशेष उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

प्राथमिक शिक्षा जनपद जालौन में बालिकाओं की प्राथमिक स्तर की शिक्षा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सापेक्ष :

उपलब्ध आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् देश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में काफी प्रगति हुई है, परन्तु उत्तर प्रदेश के पिछड़े सम्भाग बुन्देलखण्ड में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सरकार द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना की अन्य क्षेत्रों की ओर दिया गया ।

वर्ष 1946-47 :

इस अवधि में उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की संख्या 20 हजार थी, जिसमें बालिकाओं के कुल विद्यालय 2520 थे, इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2770 थी, जिसमें जनपद जालौन में प्राथमिक स्तर के कुल 1005 विद्यालय थे, इसमें बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 400 थी, इससे स्पष्ट है कि उ0प्र0 के परिप्रेक्ष्य में जनपद जालौन के प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत अत्यन्त कम था ।

वर्ष 1950-51 :

इस अवधि में उ0प्र0 में विद्यालयों की संख्या 32 हजार थी, जिसमें बालिकाओं के कुल विद्यालय 2520 थे व इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 800 थी, जिसमें जनपद जालौन में प्राथमिक स्तर के कुल 1205 थे, इसमें बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 205 थी । इससे स्पष्ट है कि उ0प0 के परिप्रेक्ष्य में जनपद जालौन में प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत अत्यन्त कम था ।

वर्ष 1960-61 :

इस अवधि में उ0प्र0 में विद्यालयों की संख्या 40 हजार थी, जिसमें बालिकाओं के कुल विद्यालय 7000 थे, जबकि बालकों के विद्यालयों की संख्या 3300 थी । इस अवधि में बुन्देलखण्ड

क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 13725 थी । जिसमें जनपद जालौन में प्राथमिक स्तर के कुल 2402 विद्यालय थे । इसमें बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 1008 थी ।

वर्ष 1970 - 71

इस अवधि में उ0प्र0 में विद्यालयो की संख्या 62 हजार थी । जिसमें बालिकाओं के कुल विद्यालय 15000 थे । जबकि बालको के विद्यालयों की संख्या 47000 थी । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 19000 थी । जिसमें जनपद जालौन में प्राथमिक स्तर के कुल 3802 विद्यालय थे । इसमें बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 1758 थी ।

वर्ष 1980 - 81

इस अवधि में उ0प्र0 में विद्यालयों की संख्या 71000 थी जिसमें बालिकाओं के कुल विद्यालय 19315 थे । जबकि बालकों के विद्यालयों की संख्या 51685 थी । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 27932 थी । जिसमें जनपद जालौन में प्राथमिक स्तर के कुल 4535 विद्यालय थे । इसमें बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 1933 थी ।

वर्ष 1993 - 94

इस अवधि में उ0प्र0 में विद्यालयों की संख्या 80 हजार थी । जिसमें बालिकाओं के कुल विद्यालय 27110 थे । जबकि बालको के विद्यालयों की संख्या 52880 थी इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 30197 थी । जिसमें जनपद जालौन में प्राथमिक स्तर के कुल 4985 विद्यालय थे । इसमें बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 2123 थी ।

बालिकाओं का नामांकन संख्या

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन की समस्या पूरे देश में हो रही है । परन्तु उ0प्र0 जैसे पिछड़े राज्य में बालिकाओं का नामांकन और भी अधिक जटिल प्रक्रिया से गुजर

रहा है । जिसके कारण सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास असफल ही साबित हो रहे हैं । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं के नामांकन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है ।

वर्ष 1950 - 51

इस अवधि में उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की नामांकन संख्या 53.8 लाख थी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं की नामांकन संख्या 5.38 लाख थी । जिसमें जनपद जालौन में प्राथमिक स्तर के कुल नामांकित बालिकाओं की संख्या 14102 थी ।

वर्ष 1960 - 61

इस अवधि में उ0प्र0 में बालिकाओं की नामांकन संख्या 608 लाख थी इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर बालिका विद्यालयों की संख्या 11.40 लाख थी, जिसमें जनपद जालौन में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन 25 हजार 200 था ।

वर्ष 1970 - 71

इस अवधि में उ0प्र0 में बालिका विद्यालयों की संख्या 73.8 लाख थी । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की नामांकन संख्या 20.18 लाख थी । जिसमें जनपद जालौन में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की नामांकन संख्या 33301 थी ।

वर्ष 1980 - 81

इस अवधि में उ0प्र0मेंबालिकाओं की नामांकन संख्या 82.8 लाख थी । तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की नामांकन संख्या 32.02 लाख थी तथा जनपद जालौन में बालिकाओं की नामांकन संख्या 41 हजार थी ।

वर्ष 1993 - 94

इस. अवधि में उ0प्र0 में छात्राओं के नामांकन की संख्या चार सौ चौसठ लाख थी तथा बुन्देलखण्ड मे जालौन जिले में बालिकाओं का नामांकन संख्या 1005 लाख थी ।

शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या :

प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रो में स्थिति है । आजादी के बाद यद्यपि विद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है । परन्तु शिक्षक व शिक्षिकाओं की नियुक्तियां आवश्यकतानुसार न हो पाने के कारण प्राथमिक शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आई है ।

वर्ष 1950-51

इस अवधि में उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की कुल संख्या का अनुपात 1:40 था जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्ययनरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या का अनुपात 1:50 था, परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या का अनुपात 1:60 था ।

वर्ष 1960- 61

इस अवधि में उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयो में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की कुल संख्या का अनुपात 1:36 था जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्ययनरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या का अनुपात 1:37 था । परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिकाओं की संख्या का अनुपात 1:42 था ।

वर्ष 1970-71

203 हजार में उ0प्र0में प्राथमिक स्तर के विद्यालयो में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का अनुपात 1:52 था । जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्ययनरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का अनुपात 1:54 था । परन्तु इसी अवधि में जालौन में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिकाओं की संख्या का अनुपात 1:45 था ।

वर्ष 1980-81

इस अवधि में उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों - शिक्षिकाओं का कुल अनुपात 1:48 था । जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्ययनरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का अनुपात 1:46 था परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिकाओं का अनुपात 1:46 था ।

वर्ष 1993-94

इस अवधि में उ0प्र0 में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों शिक्षिकाओं की कुल अनुपात संख्या 49378 थी जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्ययनरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या 828 थी । परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिकाओं की संख्या 946 तथा 215 थी ।

बजट

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की प्रगति के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाये शिक्षा लोगों में राष्ट्र के विकास में भाग लेने की भावना जागृत करने का एक साधन बन सकती है ।

वर्ष 1950-51

इस वर्ष में सम्पूर्ण शिक्षा पर 737 लाख का बजट था । जिसमें बालिकाओं पर 76 लाख व्यय किये गये इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रति छात्रा पर होने वाला व्यय 0.09 रूपया था, जबकि जालौन में 12 रूपये था।

वर्ष 1960-61

इस वर्ष में उ0प्र0 में प्राथमिक शिक्षा के लिए 1335 लाख रूपये का बजट रखा गया । जिसमें बालिकाओं के ऊपर 118 लाख रूपये व्यय हुये । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 1.09 रूपये जबकि जिला जालौन 1.35 था ।

वर्ष 1970-71

उ0प्र0 में प्राथमिक शिक्षा के लिए 61.50 लाख का बजट था, जिसमें बालिकाओं के लिए 639 लाख का बजट व्यय किया गया । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में छात्रों पर होने वाला व्यय 3.27 लाख था, जबकि जिला जालौन में एक छात्रा पर होने वाला व्यय 3.94 था ।

वर्ष 1980 - 81

उ0प्र0 में शिक्षा नियोजन में प्राथमिक शिक्षा पर 1545 लाख का बजट था जिसमें बालिकाओं की शिक्षा पर 30 लाख का बजट था । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर 2.85 लाख था ।

वर्ष 1993- 94

में आयोजनेत्तर में सम्पूर्ण शिक्षा के लिए 237437 लाख का बजट था । जिसमें बालिकाओं के लिये 3 लाख था । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के छात्र पर 382.10रू0 व्यय था। जबकि जनपद जालौन में एक छात्रा पर होने वाला व्यय 387.35रू0 था ।

माध्यमिक स्तर

जनपद जालौन की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सापेक्ष

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सरकार द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना की अन्य क्षेत्रों की ओर दिया गया । माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान रूप अपने पीछे 150 वर्ष से अधिक विकास परम्परा लिये हुये है माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे निर्बल कड़ी है ।

1950-51

इस अवधि में उ0प्र0 में बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालय 93 थे । तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में माध्यमिक स्तर के बालिका विद्यालयों की संख्या 6 थी । जिसमें जनपद जालौन में माध्यमिक स्तर के कुल 02 बालिका विद्यालय थे ।

1960-61

इस अवधि में उ0प्र0 में बालिका विद्यालयों की संख्या 289 थी । जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में माध्यमिक स्तर पर बालिका विद्यालयों की संख्या 15 थी जिसमें जनपद जालौन में माध्यमिक स्तर के कुल 02 विद्यालय थे ।

1970-71

इस अवधि में उत्तर प्रदेश में बालिका विद्यालयों की संख्या 195 थी । जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में माध्यमिक स्तर पर बालिका विद्यालयों की संख्या 28 थी । जिसमें जनपद जालौन के माध्यमिक स्तर के कुल बालिका विद्यालयो की संख्या 07 थी ।

1980-81

उत्तर प्रदेश में इस अवधि में बालिका विद्यालयों की संख्या 702 थी । जबकि इसी अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में माध्यमिक स्तर पर बालिका विद्यालयों की संख्या 54 थी । जिसमें जनपद जालौन के माध्यमिक स्तर के बालिका विद्यालय 11 थे ।

1993-94

इस अवधि में उ0प्र0 में बालिका विद्यालयों की संख्या 804 थी । जबकि इसी अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 36 थी । जिसमें जनपद जालौन में माध्यमिक बालिका विद्यालयों की संख्या 07 थी ।

बालिकाओं के नामांकन की संख्या

माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन की समस्या पूरे देश में व्याप्त है । इसे दूर करने के लिये सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है । लेकिन जितना प्रयास कर रही है उतनी सफलता नहीं मिल रही है जिसमें शिक्षा के मामलें में बुन्देलखण्ड तो और भी पिछड़ा हुआ है तथा वहाँ तो बालिकाओं के नामांकन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है ।

1950-51

इस अवधि में उ0प्र0 में बालिकाओं की माध्यमिक स्तर पर नामांकन संख्या 35105 थी, जबकि इसी अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं की नामांकन संख्या 338 थी । जिसमें जनपद जालौन में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन की संख्या 120 थी ।

1960-61

इस अवधि में उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की नामांकन संख्या 1.71 लाख थी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं की नामांकन संख्या 2083 थी । जिसमें जनपद जालौन में माध्यमिक स्तर के विद्यालयो में बालिकाओं की नामांकन संख्या 476 थी ।

1970-71

इस अवधि में उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की नामांकन संख्या 3.36 लाख थी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 5112 थी । जिसमें जनपद जालौन में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन की संख्या 1367 थी ।

1980-81

इस अवधि में उ0प्र0 में बालिकाओं की नामांकन की संख्या 6.98 लाख थी । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं की नामांकन संख्या 9141 थी । जिसमें जनपद जालौन में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन की संख्या 2056 थी ।

1993-94

उ0प्र0 में बालिकाओं की नामांकन संख्या 11.45 लाख थी जबकि इसी अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं की नामांकन संख्या 5008 थी । जनपद जालौन के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन की संख्या 8177 थी ।

शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या

माध्यमिक स्तर पर स्वतंत्रता के बाद काफी विद्यालयों की स्थापना हुई है ।

1950-51

इस अवधि में उ0प्र0 के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं की कुल संख्या 501 थी जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्यापनरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या 68 थी । परन्तु जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 20 थी ।

1960-61

इस अवधि में उ0प्र0 के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं की कुल संख्या 1044 थी, जबकि इसी अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्यापनरत शिक्षिकाओं की संख्या 253 थी । परन्तु जालौन में कार्यरत शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 69 थी ।

1970-71

इस अवधि में उ0प्र0 के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं की कुल संख्या 2120 थी । जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्यापनरत शिक्षिकाओं की संख्या 551 थी । परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 103 थी ।

1980-81

इस अवधि में उ0प्र0 के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं की कुल संख्या 8897 थी । जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्ययनरत शिक्षिकाओं की संख्या 902 थी । परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 243 थी ।

1993-94

इस अवधि में उ0प्र0 के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं की कुल संख्या 20386 थी, जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्यापनरत शिक्षिकाओं की संख्या 851 थी परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 142 थी ।

माध्यमिक स्तर पर व्यय किया गया बजट

1950-51

उ0प्र0 में माध्यमिक स्तर पर एक छात्रा पर 113.14 व्यय किया गया इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक छात्रा पर 112.18 व्यय किया गया । तथा जनपद जालौन में एक छात्रा पर व्यय किया गया बजट 110.68 था ।

1960-61

उ0प्र0 में माध्यमिक स्तर पर एक छात्रा पर 157.34 व्यय किये गये । इसी अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक छात्रा पर 151.03 व्यय किया गया तथा जनपद जालौन में छात्रा पर व्यय किया गया बजट 149.61 था ।

1970-71

उ0प्र0 में माध्यमिक स्तर पर एक छात्रा पर 180.20 किया गया । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक छात्रा पर 168.21 व्यय किया गया । तथा जनपद भारत में 1947 के पश्चात् उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन और मूल्यांकन की समस्या शिक्षा और परीक्षा के माध्यम से जुडी है । उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षक व शिक्षार्थियों में उचित मान्यताओं तथा दृष्टिकोणों का विकास करना । विश्वविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुण व स्तर की दृष्टि से सुधार करना है । तथा जनपद जालौन में 122.97 व्यय किया गया ।

1980-81

उ0प्र0 में माध्यमिक स्तर पर एक छात्रा पर 511.95 बजट व्यय किया गया । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक छात्रा पर 401.95 व्यय किया गया तथा जनपद जालौन में एक छात्रा पर 387.35 रूपये व्यय किये गये ।

1993-94

उ0प्र0 में माध्यमिक स्तर पर एक छात्रा पर 712.13 व्यय किया गया । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक छात्रा पर 663.45 व्यय किया गया तथा जनपद जालौन में एक छात्रा पर 517.25 रूपये व्यय किये गये ।

विश्वविद्यालय स्तर

जनपद जालौन में बालिकाओं की विश्वविद्यालीय स्तर की शिक्षा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सापेक्ष :-

1950-51

इस अवधि में उ0प्र0 में कुल महिला महाविद्यालय 10 थे । जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा है तथा बालिका महाविद्यालयों की संख्या 02 थी जिसमें बालिका शिक्षा सह शिक्षा के संदर्भमेंदी जाती थी । जनपद जालौन में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है केवल । सहशिक्षा महाविद्यालय था ।

1960-61

इस अवधि में उ0प्र0 में बालिकाओं के महाविद्यालयो की संख्या 24 थी, जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा केवल 5 सहशिक्षा महाविद्यालय में भी महिला महाविद्यालय कोई नही था । जनपद जालौन में विश्वविद्यालय स्तर पर कुल बालिका महाविद्यालयों में केवल एक मात्र महाविद्यालय था ।

1970-71

इस अवधि में उ0प्र0 में महिला महाविद्यालय 34 थी । जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महाविद्यालय की संख्या 02 थी । जिसमें सहशिक्षा की व्यवस्था थी । जनपद जालौन में विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा हेतु एक महिला विश्वविद्यालय था । जिसमें बालिकाओं की सहशिक्षा की व्यवस्था थी अलग से कोई महाविद्यालय बालिकाओं का नहीं था ।

1980-81

इस अवधि में उ0प्र0 में बालिकाओं के महाविद्यालयों की संख्या 85 थी , जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल महाविद्यालय 19 थे , जिसमें सहशिक्षा के बालिका महाविद्यालय की संख्या 02 थी , जबकि जनपद जालौन में बालिका महाविद्यालयों की संख्या शून्य थी । एकमात्र महाविद्यालय में सह शिक्षा दी जाती थी ।

1993-94

इस अवधि में उ0प्र0 में महाविद्यालय की संख्या 436 थी, जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर के कुल महाविद्यालयों की संख्या 20 थी सहशिक्षा की व्यवस्था थी तथा बालिका महाविद्यालय भी 03 थे, जनपद जालौन में विश्वविद्यालय स्तर के कुल बालिका महाविद्यालय की संख्या 6 थी जिसमें 5 सहशिक्षा की तथा 1 बालिका महाविद्यालय था ।

बालिकाओं के नामांकन की संख्या

1950-51

इस अवधि में उ0प्र0 में बालिकाओं की विश्वविद्यालय स्तर पर नामांकन संख्या 2504 थी । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं की संख्या नामांकन संख्या 145 थी । जिसमें जनपद जालौन में माध्यमिक स्तर के विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन की संख्या 05 थी ।

1960-61

इस अवधि में उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर बालिकाओं की नामांकन संख्या 8743 थी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओ की नामांकन संख्या 262 थी । जिसमें जनपद जालौन में विश्वविद्यालय स्तर पर बालिकाओं की नामांकन संख्या 25 थी ।

1970-71

इस अवधि में उ0प्र0 में विश्वविद्यालय स्तर पर बालिकाओं की नामांकन

संख्या 39133 थी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं की नामांकन संख्या 810 थी । जिसमें जनपद जालौन में विश्वविद्यालय स्तर पर बालिकाओं के नामांकन संख्या 268 थी ।

1980-81

इस अवधि में उ0प्र0 में विश्वविद्यालय स्तर पर बालिकाओं की नामांकन संख्या 69221 थी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं की नामांकन संख्या 3588 थी । जिसमें जनपद जालौन में विश्वविद्यालय स्तर पर बालिकाओं के नामांकन की संख्या 838 थी ।

1993-94

इस अवधि में उ0प्र0 के विश्वविद्यालय स्तर के विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की कुल संख्या 25 थी । जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्यापनरत एवं शिक्षिकाओं की संख्या 0 थी । परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 00 थी ।

1960-61

इस अवधि में उ0प्र0 के विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की कुल संख्या 69 थी । जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्यापनरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या 00 थी । परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 00 थी ।

1970-71

इस अवधि में उ0प्र0 के विश्वविद्यालय स्तर में कार्यरत शिक्षिकाओं की कुल संख्या 353 थी । जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्यापनरत एवं शिक्षिकाओं की संख्या 39 थी । परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 14 थी ।

1980-81

इस अवधि में उ0 प्र0 के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की कुल संख्या 514 थी । जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्यानरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या 44 थी । परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 16 थी ।

1993-94

इस अवधि में उ0प्र0 के विश्वविद्यालय स्तर में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की कुल संख्या 1015 थी । जबकि इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अध्यापनरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या 163 थी परन्तु इसी अवधि में जनपद जालौन में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिकाओं की संख्या मात्र 56 थी ।

विश्वविद्यालय स्तर पर व्यय किया गया बजट

1950-51

उ0प्र0 में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रति छात्रा पर 54/- व्यय किया गया । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इस अवधि में एक छात्रा पर 38/- व्यय किया गया तथा जनपद जालौन में एक छात्रा पर व्यय किया गया बजट 31/- था ।

1960-61

उ0प्र0 में विश्वविद्यालय स्तर पर एक छात्रा पर 205/- व्यय किया गया । इस अवधि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक छात्रा पर 198/- बजट व्यय किया गया । तथा जनपद जालौन में छात्रा पर व्यय किया गया बजट 188/- था ।

1970-71

उ0प्र0 में विश्वविद्यालय स्तर पर एक छात्रा पर 453/- व्यय किया गया । इस

अवधि में व्यय किया गया 419/- था । तथा जनपद जालौन में विश्वविद्यालय स्तर पर एक छात्रा पर व्यय किया गया , 418/- था ।

1980-81

उ0प्र0 में इस अवधि में विश्वविद्यालय स्तर एक छात्रा पर व्यय किया गया 650/- था । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इस अवधि मे एक छात्रा पर व्यय किया गया बजट 624/- था । जबकि जनपद जालौन में एक छात्रा पर 603/- रूपये व्यय किये गये ।

1993-94

उ0प्र0 में विश्वविद्यालय स्तर पर एक छात्रा पर 1545/- रूपये व्यय किये गये । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक छात्रा पर 800/- रूपये व्यय किये गये । जबकि जनपद जालौन में एक छात्रा पर 576 /- रूपये पर व्यय किये गये ।

प्रश्नावली का विभेदीकरण :-

शोधकर्ती द्वारा प्रश्नावली का निर्माण बुन्देलखण्ड क्षेत्र की बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने हेतु गया था । परन्तु न्यायदर्श के रूप में केवल जनपद जालौन की बालिकाओं को ही चुना गया था । अतः प्रश्नावली इस क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों, अभिभावकों एवं शिक्षकों में वितरित की गयी थी । इस प्रश्नावली में कुल 50 प्रश्न रखे गये थे । प्रश्नों के उत्तर सहमत, असहमत और न सहमत न असहमत के आधार पर प्राप्त किये गये थे, प्राप्त उत्तरों का मूल्यांकन प्रतिशत के आधार पर प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर अधिक प्रतिशत वाले कारण को अधिक महत्वपूर्ण माना गया, प्रश्नावली में दिये गये प्रश्नों तथा उनसे प्राप्त उत्तरों को विस्तृत रूप में मूल्यांकित किया गया है ।

रेखाचित्र - 6

बालिकाओं का बाल विवाह होना

	प्रतिशत
सहमत	60
असहमत	40
न सहमत न असहमत	0

1- बालिकाओं का बाल विवाह होना

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 60% रहा जबकि असहमत व्यक्तियों का 40% रहा । न सहमत न असहमत प्रश्न के पक्ष तथा विपक्ष में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी ।

रेखाचित्र - 7

बालिकाओं के विवाह में दहेज की समस्या

	प्रतिशत
सहमत	40
असहमत	40
न सहमत न असहमत	20

2- बालिकाओं के विवाह में दहेज की समस्या

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 40% और असहमत का प्रतिशत 40% रहा, न सहमत न असहमत प्रश्न के उत्तरो में 20% व्यक्तियों का प्रतिशत रहा ।

रेखाचित्र - 8

बालिकाओं के लिये पर्दा प्रथा का रिवाज होना

	प्रतिशत
सहमत	55
असहमत	25
न सहमत न असहमत	20

3- बालिकाओं के लिए पर्दाप्रथा का रिवाज होना

55% व्यक्ति इस प्रश्न से सहमत है और असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 25% है । न सहमत न असहमत के पक्ष में 20% व्यक्तियों का मत रहा ।

रेखाचित्र - 7

अत्यधिक शिक्षित बालिकाओं के लिये उपयुक्त वर ढूढने में कठिनाई होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	45	40	15

4- अत्यधिक शिक्षित बालिकाओं के लिये उपयुक्त वर ढूढ़ने में कठिनाई होना

इस प्रश्न से सहमत व्यक्ति का प्रतिशत 45% रहा जबकि असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 40% रहां और न सहमत न असहमत प्रश्न के पक्ष में उत्तर 15% व्यक्तियों ने दिये ।

रेखाचित्र - 10

घरों में पारिवारिक कलह का होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	55	25	20

5- घरों में पारिवारिक कलह का होना

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 55 रहा, जबकि असहमत व्यक्तियों का 25% रहा, न सहमत न असहमत का व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा ।

रेखाचित्र-11

परिवार में अधिक बच्चे होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	45	40	15

6- परिवार में अधिक बच्चे होना

इस प्रश्न से 45% व्यक्ति सहमत थे , जबकि 40% व्यक्ति असहमत थे । न सहमत न असहमत के पक्ष में 15% व्यक्ति के उत्तर प्राप्त हुये ।

रेखाचित्र-12

बालिकाओं के माता – पिता में सामंजस्य न होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	45	35	20

7- बालिकाओं के माता पिता में सामंजस्य न होना

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 70 रहा, जबकि असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 30 रहा, न सहमत न असहमत प्रश्न के पक्ष तथा विपक्ष में कोई प्रतिक्रिया व्यक्ति नहीं की गई ।

रेखाचित्र - 13

बालिकाओं में माता – पिता का न होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	70	30	0

8- बालिकाओं के माता पिता का न होना

इस प्रश्न से 45% व्यक्ति सहमत थे । जबकि 35% व्यक्ति असहमत थे । न सहमत न असहमत व्यक्ति के पक्ष में 20% रहा ।

रेखाचित्र - 14

बालिकाओं का घरेलू कार्यों में व्यस्त होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	50	20	30

9- **बालिकाओं की घरेलू कर्मों में व्यवस्तता**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 50 रहा और असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा जबकि न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 30%है ।

रेखाचित्र - 15

बालिकाओं के परिवार में निर्धनता होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	50	20	30

10- **बालिकाओं के परिवार में निर्धनता होना**

50% व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत हैं और 35% व्यक्ति इन प्रश्न से सहमत हैं लेकिन 15% व्यक्ति इस प्रश्न से न सहमत और न असहमत हैं ।

रेखाचित्र - 16

स्थान विशेष पर बालिकाओं के विद्यालयों का अभाव होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	50	20	30

11 - **स्थान विशेष पर बालिकाओं के विद्यालयों का अभाव होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 85 रहा जबकि न सहमत न असहमत व्यक्तियों का इस प्रश्न के पक्ष में प्रतिशत 10 रहा और 5% व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे ।

रेखाचित्र - 17

विद्यालय में उपस्थित होने में अनियमित होना

	सहमत	अँसहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	80	10	10

12- **विद्यालय में उपस्थित में अनियमितता होना**

इस प्रश्न से 80% व्यक्ति सहमत हैं। जबकि 10% व्यक्ति असहमत रहे और न सहमत न असहमत के पक्ष में व्यक्तियों का प्रतिशत 10 रहा।

रेखाचित्र - 18

स्कूलों व बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों की कमी होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	45	30	25

13- **स्कूलो व बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों की कमी होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 45% रहा जबकि असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 30 रहा और न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 25 रहा ।

रेखाचित्र - 19

बालिकाओं का पाठ्यक्रम का आधार कार्यानुभव होना चाहिये

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	55	15	30

14- **बालिकाओं का पाठ्यक्रम का आधार कार्यानुभव होना चाहिए**

इस प्रश्न से 95% व्यक्ति सहमत रहे,जबकि 5% व्यक्ति असहमत रहे और न सहमत न असहमत प्रश्न के पक्ष व विपक्ष में कोई व्यक्ति नहीं है ।

रेखाचित्र-20

माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम बालिकाओं की रूचियों, क्षमताओं, योग्यताओं एवं रूझानों के अनुरूप होना चाहिये

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	95	5	0

15- **माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम बालिकाओं की रूचियों, क्षमताओं , योग्यताओं एवं रूझानों के अनुरूप होना चाहिए ।**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 55 रहा और असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा तथा न सहमत न असहमत के पक्ष में 15 % व्यक्ति रहे ।

रेखाचित्र-21

बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, गृह शिल्प, सिलाई, संगीत
आदि विषयों का होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	55	20	25

16- **बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृहविज्ञान, गृहशिल्प , सिलाई संगीत आदि विषय होना चाहिए**

इस प्रश्न से 55 प्रतिशत व्यक्ति सहमत है । और 25 प्रतिशत व्यक्ति असहमत है । जबकि न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 25 रहा ।

रेखाचित्र-22

कक्षाओं में अत्यधिक भीड होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	30	45	25

17- **कक्षाओं में अत्यधिक भीड़ होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 30 रहा जबकि असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 45 रहा न सहमत न असहमत प्रश्न के पक्ष में 25 % व्यक्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्ति की ।

रेखाचित्र-23

बालिकाओं के स्कूल का गांव से दूर होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	75	20	5

18- **बालिकाओं के स्कूल का गांव से दूर होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 75 रहा जबकि असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 5 रहा ।

रेखाचित्र- 24

माता – पिता का अशिक्षित होना

०	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	60	35	5

19- **माता पिता का अशिक्षित होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 60 रहा और असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 35 रहा जबकि न सहमत न असहमत व्यक्तियों का 5 रहा ।

रेखाचित्र-25

बालिकाओं के लिये विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सह शिक्षा का होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	40	25	35

20- **बालिकाओं के लिये विद्यालयों एवं महाविद्यालय में सहशिक्षा का होना**

40% प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से सहमत है जबकि 35% व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत है और न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 35% रहा ।

रेखाचित्र-26

प्राथमिक स्तर के पठन–पाठन का अपर्याप्त शिक्षण

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	80	20	0

21- **प्राथमिक स्तर के पठन पाठन का अपर्याप्त शिक्षण**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 80 रहा जबकि असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा , न सहमत न असहमत के पक्ष व विपक्ष में किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई ।

रेखाचित्र-27

बालिकाओं में अध्ययन के लिये रूचि न होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	35	55	10

22- **बालिकाओं में अध्ययन के लिए रूचि न होना**

35% व्यवित इस प्रश्न से सक्षम रहे , और 55% व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे, जबकि न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 10 रहा ।

रेखाचित्र-98

खेल द्वारा पढाने की तकनीकें अपनाने में अध्यापक की असमर्थता

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	70	20	10

23- खेल द्वारा पढ़ाने की तकनीकें अपनाने में अध्यापक की असमर्थकता

इस प्रश्न से सहमत व्यक्ति का प्रतिशत 70 रहा जबकि असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा न सहमत न असहमत प्रश्न के उत्तर में 10% व्यक्ति ने प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

रेखाचित्र-29

परीक्षाओं की दोषपूर्ण प्रणाली होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	35	40	25

24 - **परीक्षाओं की दोषपूर्ण प्रणाली होना**

40 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे जबकि 35 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से सहमत रहे । न सहमत न असहमत प्रश्न में 25 प्रतिशत व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट किये ।

रेखाचित्र-30

सत्र के बीच में शिक्षक का स्थानान्तरण होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	40	40	20

25- **सत्र के बीच में शिक्षक का स्थानान्तरण होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 40 रहा जबकि अहसमत व्यक्तियों का प्रतिशत 40 रहा, न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा ।

रेखाचित्र-3।

बालिकाओं के लिये रोजगार पूरक शिक्षा का अभाव

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	70	10	20

26- **बालिकाओं के लिए रोजगार पूरक शिक्षा का अभाव**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 70 रहा जबकि 10 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे और न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा ।

रेखाचित्र-32

विद्यालयों में नये प्रवेश पूरे वर्ष चलते रहना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	30	45	25

27- **विद्यालयों में नये प्रवेश पूरे वर्ष चलते रहना**

45 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे, जबकि 30 प्रतिशत लोग इस प्रशन से सहमत रहे , 25 प्रतिशत व्यवितयों ने न सहमत न असहमत में अपने विचारों को प्रकट किया ।

रेखाचित्र-33

प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं में प्रशिक्षण और आवश्यक योग्यता का अभाव होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	60	25	15

28- **प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं में प्रशिक्षण और आवश्यक योग्यता का अभाव होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 60 रहा जबकि इस प्रश्न से असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 25 रहा, न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 15 रहा ।

रेखाचित्र-34

शिक्षिकाओं का छात्राओं की समस्याओं का न समझना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	80	15	5

29- **शिक्षिकाओं का छात्राओं की समस्याओं का न समझना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 80 रहा । और जबकि इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 15 रहा लेकिन 5 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से न सहमत न असहमत थे ।

रेखाचित्र-35

विद्यालयों में शिक्षिकाओं का अभाव होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	65	25	10

30- **विद्यालयो में शिक्षिकाओं का अभाव होना**

65% व्यक्ति इस प्रश्न से सहमत रहे , जबकि 25 व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे , 10 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से न सहमत न असहमत रहे ।

रेखाचित्र-36

विद्यालय में बैठने के स्थान का अभाव होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	60	30	10

31- **विद्यालय में बैठने के स्थान का अभाव होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 60 रहा, जबकि इस प्रश्न से असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 30 रहा, न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 10 रहा ।

रेखाचित्र-37

बालिकाओं हेतु पाठ्यक्रम का जटिल होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	55	30	15

32- **बालिकाओं हेतु पाठ्यक्रम का जटिल होना**

इस प्रश्न .से 55 % व्यक्ति सहमत थे । और 30 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत थे । जबकि 15% व्यक्ति न सहमत न असहमत थे ।

रेखाचित्र-38

दोषयुक्त शिक्षा पद्धति का होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	55	20	25

33- दोषयुक्त शिक्षा पद्धति का होना

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 55 रहा जबकि इस प्रश्न से असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा, 25 प्रतिशत न सहमत न असहमत व्यक्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

रेखाचित्र-39

अनुपयुक्त विद्यालयी वातावरण होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	70	20	10

34- अनुपयुक्त विद्यालयी वातावरण

70 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से सहमत रहे । और 20 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे । 10 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से न सहमत न असहमत रहे ।

रेखाचित्र-40

शैक्षिक व्यवस्था का अनुपयुक्त होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	65	10	25

35- **शैक्षिक व्यवस्था का अनुपयुक्त होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 65 रहा , जबकि इस प्रश्न से असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 10 रहा , 25 प्रतिशत व्यक्तियों ने न सहमत न असहमत के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

रेखाचित्र-41

ग्रामीण जनता का अत्यधिक निर्धन होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	85	10	05

36- <u>ग्रामीण जनता का अत्यधिक निर्धन होना</u>

85% लोग इस प्रश्न से सहमत रहे और 10% लोग इस प्रश्न से असहमत रहे , 5% लोग इस प्रश्न से न सहमत न असहमत रहे ।

रेखाचित्र-42

बालिकाओं के मां – बाप का शिक्षा के खर्च को उठाने में असमर्थ होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	50	30	20

37- **बालिकाओं के मां बाप का शिक्षा के खर्च को उठाने में असमर्थ होना**

इस प्रश्न से 50 प्रतिशत व्यक्ति सहमत रहे । जबकि 30 प्रतिशत व्यक्ति असहमत रहे । न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा ।

रेखाचित्र-43

बालिकाओं की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का शैक्षिक कार्यो में उपयोग न होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	70	10	20

38- **बालिकाओं की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का शैक्षिक कार्यो में उपयोग न होना ।**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 70 रहा , जबकि 10 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे , 20 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से न सहमत न असहमत रहे ।

रेखाचित्र-44

निःशुल्क पाठ्य सामग्री आदि का विद्यालयों द्वारा छात्रों को उपलब्ध न कराया जाना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	65	20	15

39- **निःशुल्क पाठ्य सामग्री आदि का विद्यालयों द्वारा छात्रों को उपलब्ध न कराया जाना**

65 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से सहमत रहे, जबकि 20 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे , 15 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से न सहमत न असहमत रहे ।

रेखाचित्र-45

शिक्षकों का कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	90	5	5

40- **शिक्षकों का कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 90 रहा जबकि इस प्रश्न से असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 5 रहा, न सहमत न असहमत के पक्ष में 5 प्रतिशत व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किया ।

रेखाचित्र-46

समाज द्वारा व्यावसायिक महिलाओं को हीन दृष्टि से देखना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	50	35	15

41- **समाज द्वारा व्यवसायिक महिलाओं को हीन दृष्टि से देखना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 50 रहा जबकि इस प्रश्न से असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 35 रहा , न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 15 रहा ।

रेखाचित्र-47

स्त्रियों के लिये रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	45	35	20

42- <u>स्त्रियों के लिए रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होना</u>

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 45 रहा , और 35 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे, जबकि 20 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से न सहमत न असहमत रहे ।

रेखाचित्र-48

विद्यालयों में छात्राओं के लिये छात्रावास न होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	50	45	5

43- **विद्यालयों में छात्राओं के लिए छात्रावास न होना**

50 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से सहमत रहे । जबकि 45 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से असहमत रहे । 5 प्रतिशत न सहमत न असहमत रहे ।

रेखाचित्र-49

शिक्षिकाओं के लिये विद्यालयों में आवास का अभाव होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	35	50	15

44- **शिक्षिकाओं के लिए विद्यालयों में आवास का अभाव होना**

इस प्रश्न से असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 50 रहा , जबकि इस प्रश्न से असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 35 रहा , 15 प्रतिशत व्यक्ति न सहमत न असहमत रहे ।

रेखाचित्र-50

विद्यालयों में खेलकूद की उचित व्यवस्था न होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	60	20	20

45- **विद्यालयो में खेलकूद की उचित व्यवस्था न होना**

60 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रश्न से सहमत रहें । जबकि 20 प्रतिशत व्यक्ति असहमत रहे । न सहभत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा ।

रेखाचित्र-51

शैक्षिक अवसरों की असमानता होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	65	25	10

46- **शैक्षिक अवसरों की असमानता होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 65 रहा , जबकि असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 25 रहा । न सहमत न असहमत के पक्ष में 10 प्रतिशत व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की ।

रेखाचित्र-52

सार्वभौमिक शिक्षा का अभाव होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	65	30	5

47- **सार्वभौमिक शिक्षा का अभाव होना**

इस प्रश्न से 65 प्रतिशत व्यक्ति सहमत थे, और 30 प्रतिशत व्यक्ति असहमत थे, जबकि 5 प्रतिशत व्यक्ति न सहमत न असहमत रहे ।

रेखाचित्र-53

पाठ्यक्रम का जीवन से असम्बद्ध होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	65	30	5

48- **पाठ्यक्रम का जीवन से असम्बद्ध होना**

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 65 रहा । जबकि इस प्रश्न से असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 30 रहा न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 2 रहा ।

रेखाचित्र-54

शिक्षिकाओं का शैक्षिक व्यवस्था से असन्तुष्ट होना

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	40	40	20

49- **शिक्षिकाओं का शैक्षिक व्यवस्था से असंतुष्ट होना**

इस प्रश्न से 40 प्रतिशत व्यक्ति सहमत रहे , और 40 प्रतिशत व्यक्ति असहमत रहे । तथा 20 प्रतिशत व्यक्ति न सहमत न असहमत रहे ।

रेखाचित्र-55

स्त्री शिक्षा के प्रति पर्याप्त सामाजिक चेतना नही है

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
प्रतिशत	50	30	20

50- स्त्री शिक्षा के प्रति पर्याप्त व्यक्तियों सामाजिक चेतना नहीं है ।

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 50 रहा । जबकि इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 30 रहा । न सहमत न असहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 रहा ।

तालिका क्रमांक - 17

प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों के निष्कर्ष - उपरोक्त चित्रों में प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, उसे सम्मिलित रूप से तालिका क्रमांक-17 में दर्शाया गया है, जिसमें प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित किये गये हैं, जिनमें सहमत के प्रति 5 अंक, असहमत के प्रति 3 अंक, न सहमत न असहमत के प्रति 2 अंक निर्धारित किये गये हैं ।

		सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
1-	बालिकाओं का बाल विवाह होना।	12	8	0
2-	बालिकाओं के विवाह में दहेज की समस्या।	8	8	4
3-	बालिकाओं के लिए पर्दाप्रथा का रिवाज होना।	11	5	4
4-	अत्यधिक शिक्षित बालिकाओं के लिए उपयुक्त वर ढूंढने में कठिनाई होना ।	9	8	3
5-	घरों में पारिवारिक कलह का होना।	11	5	4
6-	परिवार में अधिक बच्चे होना।	9	8	3
7-	बालिकाओं में माता-पिता का न होना।	14	6	0
8-	बालिकाओं के माता-पिता में समाजस्य न होना।	9	7	4
9-	बालिकाओं की घरेलू कार्यों में व्यस्तता होना।	10	4	6
10-	बालिकाओं के परिवार में निर्धनता होना।	7	10	3
11-	स्थान विशेष पर बालिकाओं के विद्यालयों का अभाव होना।	17	1	2
12-	विद्यालय में उपस्थिति में अनियमितता होना।	16	2	2
13-	स्कूलों व बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों की कमी होना।	9	6	5
14-	बालिकाओं का पाठ्यक्रम का आधार कार्यानुभव होना चाहिए।	11	3	6
15-	माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं एवं रुझानों के अनुरूप होना चाहिए ।	19	1	0

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
16- बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृहविज्ञान, गृहशिल्प, सिलाई, संगीत आदि विषय होना चाहिए ।	11	4	5
17- कक्षाओं में अत्यधिक भीड़ होना ।	6	9	5
18- बालिकाओं के स्कूल का गाँव से दूर होना ।	15	4	1
19- माता-पिता का अशिक्षित होना ।	12	7	1
20- बालिकाओं के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में (सहशिक्षा) का होना ।	8	5	7
21- प्राथमिक स्तर के पठन-पाठन का अपर्याप्त शिक्षण ।	16	4	0
22- बालिकाओं में अध्ययन के लिए रुचि न होना ।	7	11	2
23- खेल द्वारा पढ़ाने की तकनीकें अपनाने में अध्यापक की असमर्थता ।	14	4	2
24- परीक्षाओं की दोषपूर्ण प्रणाली होना ।	7	8	5
25- सत्र के बीच में शिक्षक का स्थानान्तरण होना ।	8	8	4
26- बालिकाओं के लिए रोजगार पूरक शिक्षा का अभाव ।	14	2	4
27- विद्यालयों में नये प्रवेश पूरे वर्ष चलते रहना ।	6	9	5
28- प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं में प्रशिक्षण और आवश्यक योग्यता का होना ।	12	5	3
29- शिक्षिकाओं का छात्राओं की समस्याओं को न समझना ।	16	3	1
30- विद्यालयों में शिक्षिकाओं का अभाव होना ।	13	5	2
31- विद्यालय में बैठने के स्थान का अभाव होना ।	12	6	2

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
32- बालिकाओं हेतु पाठ्यक्रम का जटिल होना	11	6	3
33- दोषयुक्त शिक्षा पद्धति का होना	11	4	5
34- अनुपयुक्त विद्यालयी वातावरण होना ।	14	4	2
35- शैक्षिक व्यवस्था का अनुपयुक्त होना ।	13	2	5
36- ग्रामीण जनता का अत्यधिक निर्धन होना ।	17	2	1
37- बालिकाओं में माँ-बाप का शिक्षा के खर्च को उठाने में असमर्थ होना ।	10	6	4
38- बालिकाओं की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का शैक्षिक कार्यों में उपयोग न होना ।	14	2	4
39- निःशुल्क पाठ्य सामग्री आदि का विद्यालयों द्वारा छात्रों को उपलब्ध न कराया जाना ।	13	4	3
40- शिक्षकों का कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव होना ।	18	1	1
41- समाज द्वारा व्यवसायिक महिलाओं को हीन दृष्टि से देखना ।	10	7	3
42- स्त्रियों के लिए रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होना ।	9	7	4
43- विद्यालयों में छात्राओं के लिए छात्रावास न होना ।	10	9	1
44- शिक्षिकाओं के लिए विद्यालयों में आवास का अभाव होना ।	7	10	3
45- विद्यालयों में खेलकूद की उचित व्यवस्था न होना ।	12	4	4

	सहमत	असहमत	न सहमत न असहमत
46- शैक्षिक अवसरों की असमानता होना ।	13	5	2
47- सार्वभौमिक शिक्षा का अभाव होना ।	13	6	1
48- पाठ्यक्रम का जीवन से असम्बद्ध होना ।	13	6	1
49- शिक्षिकाओं का शैक्षिक व्यवस्था से असन्तुष्ट होना ।	8	8	4
50- स्त्री शिक्षा के प्रति पर्याप्त समाजिक चेतना नहीं है ।	10	6	4
कुल योग :-	575	275	150
प्रतिशत :-	57.50%	27.50%	15%

प्रस्तुत तालिका देखने से स्पष्ट होता है कि **"बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन"** के पक्ष में 57.50% लोग सहमत थे जबकि 27.50% लोग असहमत थे तथा 15% लोग न सहमत न असहमत थे ।

इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्त्री शिक्षा की समस्या परम्परिक रूप से अभी भी विद्यमान है, जिसे दूर करने के लिए सरकार व समाज दोनों को प्रयास करने की आवश्यकता है ।

अग्रिम शोध हेतु सुझाव :-

1- उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन ।

2- पूर्वांचल में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन ।

3- उत्तरांचल प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन ।

4- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन ।

5- पूर्वांचल व उत्तरांचल में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का तुलनात्मक समाजशास्त्रीय अध्ययन ।

संदर्भ सूची

:: सन्दर्भ सूची ::

पुस्तकें :-

1-	अशान्त; मोतीलाल	:	बुन्देलखण्ड दर्शन, शारदा साहित्य, लक्ष्मी प्रकाशन, पुरानी नझाई, झाँसी, 1980 ।
2-	अग्रवाल ; जे0सी0	:	एजूकेशन पॉलिसी इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1968 ।
3-	अग्रवाल ; नंदिता	:	वूमैन एजूकेशन, दया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1983 ।
4-	अग्रवाल ; एस0पी0	:	वूमैन एजूकेशन इन इण्डिया, अविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 1993 ।
5-	अग्निहोत्री; रवीन्द्र	:	भारतीय शिक्षा की समस्यायें, कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर, 1986
6-	ए0 ; बैरी	:	इण्डियन थ्योरी आफ एजूकेशन, बी0आर0 पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1993 ।
7-	ओक ; ए0के0	:	स्टेट्स आफ वूमैन इन एजूकेशन, इण्डियन पब्लिकेशन, अम्बाला कैंट, 1994-95 ।
8-	ओक ; ए0डब्लू0	:	स्टेट्स आफ वूमैन इन एजूकेशन, दया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1993 ।
9-	कबीर ; हुमायूँ	:	बेसिक एजूकेशन, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1945 ।
10-	कौल ; जे0एन0	:	हायर एजूकेशन इन इण्डिया, इण्डियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज, शिमला, 1974 ।
11-	कपूर ; मनीन्द्र	:	वूमैन एण्ड फैमिली लाइफ, दया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1993 ।
12-	कुलश्रेष्ठ ; इन्द्रा	:	वूमैन स्टडीज इन स्कूल एजूकेशन, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 1965 ।

13- काबरा ; उन्मेदराव : नई शिक्षा नीति, कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर, 1987 ।

14- गोविन्द राव ; आर0 : स्कूल एजूकेशन इन रूरल एरिया, सूर्या पब्लिशिंग हाऊस, बंगलौर, 1980 ।

15- गुडबार ; स्केट्स : मैथाडोलोजी ऑफ एजूकेशनल रिसर्च, पब्लिकेशन न्यूयार्क सेन्चुरी कम्पनी, लन्दन, 1948 ।

16- गैरेट, हैनरी ; ई0 : शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग, हरप्रसाद मार्ग, कचेहरी रोड, आगरा, 1992 ।

17- चन्ना ; कुरूना : सोसिलाइजेशन एण्ड वूमैन एक्सप्रेशन इन आइडेन्टटी, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1995 ।

18- चौबे ; सरयू प्रसाद : तुलनात्मक शिक्षा, विनोद पब्लिशिंग हाऊस, आगरा, 1974 ।

19- चौपमैन ; प्रीमिला : हिन्दू फीमेल एजूकेशन, सिसलरी एण्ड बर्नसाइड पब्लिकेशन, लन्दन, 1946 ।

20- निगम ; बी0के0 : सोशल एण्ड एजूकेशनल सिस्टम, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1993 ।

21- नायक ; जे0पी0 : एलीमेंटरी एजूकेशन इन इण्डिया, एलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, 1972 ।

22- निसकौल ; के0 : वूमैन एण्ड गर्ल्स प्रोटेक्ट्स, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1976 ।

23- न्यूमैन : आधुनिक भारतीय शिक्षा, ईगल बुक इन्टरनेशनल, मेरठ, 1995 ।

24- पालीवाल ; एम0आर0 : सोशल चेंज एण्ड एजूकेशन, दया पब्लिशिंग हाऊस, निमाई झाँसी, 1993 ।

25- पाठक ; पी0डी0 : भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1990 ।

26- फ्रांसस ; के0 : सोशल कोन्टैक्स ऑफ एजूकेशनल डेवलपमेन्ट, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1993 ।

27- बिकोरा ; जे0 : इनोवेसन्स इन हायर एजूकेशन, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1993 ।

28- बिलोक ; वी0 माईकल : वूमैन एजूकेशन, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1993 ।

29- माथुर ; आर0के0 : स्टेटिक्स ऑफ वूमैन एजूकेशन, दया पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, 1978 ।

30- मजूमदार ; वी0 : वूमैन एण्ड एजूकेशन डेवलपमेन्ट, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1981 ।

31- मित्तल एवं श्रीवास्तव : आधुनिक भारतीय शिक्षा, ईगल बुक्स इण्टरनेशनल, मेरठ, 1995 ।

32- मेहता ; पी0 : स्टीटूट्स एण्ड च्वाइस ऑफ कालेज गर्ल इन राजस्थान साइक्लोजी, आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, उदयपुर, 1974 ।

33- मेहता ; हंसा : दि वूमैन अन्डर दि हिन्दू लॉ, प्रतिभा पब्लिकेशन, बम्बई, 1960 ।

34- महाजन ; बी0एस0 : वूमैन्स कन्ट्रीब्यूशन इण्डिया इक्नोमिक एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1968 ।

35- मिश्रा ; आत्मानन्द : एजूकेशन फाइनेंस इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, 1962 ।

36- मोहन्ते ; जे0 : इण्डियन एजूकेशन इन दि इमरजिंग सोसाइटी, आविष्कार पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, जयपुर, 1970 ।

37- मिश्रा ; लक्ष्मी : एजूकेशन ऑफ वूमैन इन इण्डिया, मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लन्दन, 1966 ।

38- माथुर ; बी0एस0 : एजूकेशन एण्ड फ्यूचर ऑफ इण्डिया, दि इण्डियन पब्लिकेशन, अम्बाला कैंट, 1994-95 ।

39- माथुर ; एस0एस0 : ए सोसियालोजिकल एपरोच टू इण्डियन एजूकेशन, अमर पब्लिकेशन, आगरा, 1994 ।

40- मिश्रा ; के0एन0 : वूमैन एजूकेशन एण्ड उपनिशदिक सिस्टम ऑफ एजूकेशन दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1993 ।

41- मुकर्जी ; एस0एन0 : "एजूकेशन इन इण्डिया टुडे एण्ड टुमारो" आचार्य बुक डिपो, बड़ौदा, 1992 ।

42- यादव ; सुबह सिंह; जे0पी0 : भारतीय शिक्षा की प्रवृत्तियाँ व आयाम, पेन्टिंग पब्लिशर्स, जयपुर, 1971 ।

43- रंजन ; कुमुद : वूमैन एण्ड माडर्न एक्यूपेंशन इन इण्डिया, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1963 ।

44- राय ; पारसनाथ : अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, अस्पताल रोड, आगरा, 1994-95 ।

45- रस्तोगी ; के0जी0 : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, 1990 ।

46- रूहेला ; एस0पी0 : सोसियालोजी ऑफ एजूकेशन एण्ड साइक्लोजी, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1993 ।

47- लखदाबला ; यू0टी0 : दि प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ वूमैन टीचर्स, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, 1977 ।

48- व्होरा ; रूपा : स्टैट्स एजूकेशन एण्ड प्राब्लम ऑफ इण्डियन वूमैन, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1993 ।

49- व्होरा ; आशारानी : भारतीय नारी अस्मिता और अधिकार, विनोद पुस्तक मन्दिर, रागेय माधव मार्ग, आगरा, 1992 ।

50- शाह ; बीना : सोशियालॉजी ऑफ एजूकेशन डेवलपमेन्ट, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1993 ।

51- शर्मा ; आर0ए0 : शिक्षा अनुसंधान, लॉयल पब्लिकेशन, निकट गवर्नमेन्ट कालेज, मेरठ, 1995 ।

52- शर्मा ; डा0 वशिष्ठ : भारतीय शिक्षा की नई दिशा, पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, 1992 ।

53- सिंह ; लाभ : सांख्यिकी विधि, भार्गव पुस्तक प्रकाशन, आगरा, 1986 ।

54- सिंह ; एस0आर0 : चिल्ड्रेन एजूकेशन इन इण्डिया, राधा पब्लिशिंग हाऊस, दरिया गंज, दिल्ली, 1993 ।

55- सिद्दीकी ; मुजबुल हसन : वूमैन एजूकेशन, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1963

56- त्रिपाठी ; चन्द्रावली : भारतीय समाज में नारी आदर्शों का विकास, राधा पब्लिशिंग हाऊस, दरियागंज, दिल्ली, 1993 ।

डी0 लिट0 शोधग्रन्थ :-

1- अग्रवाल ; डा0 वेद प्रकाश : राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की आधुनिक शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, 1991 ।

पी0एच0डी0 शोधकार्य :-

1- नायक ; सी0 : एजूकेशन ऑफ वूमैन इन दि प्रोविन्स, बाम्बे यूनिवर्सिटी, बाम्बे, 1949 ।

2- बढ़ावल ; एस0बी0 : एन इनवेस्टीगेशन इन टू दि क्वालिटी ऑफ टीचर्स अण्डर ट्रेनिंग डी0फिल, एजूकेशन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, 1952 ।

3-	नन्दा ; ए0	:	साइक्लोजिकल नीड्स ऑफ एन्नोसेंट गर्ल्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली, 1957 ।
4-	बरोचा ; एम0एफ0	:	सम सोशल एण्ड रिलीजियस लाइव्स एण्ड डी लाइव्स ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स इन आगरा, आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा, 1959 ।
5-	मिश्रा ; एल0	:	एजूकेशन ऑफ वूमैन इन इण्डिया, बाम्बे यूनिवर्सिटी, बाम्बे, 1961 ।
6-	शरत चन्द्रन ; के0	:	"बाल्मीकि रामायण में शिक्षा" पी0एच0डी0 संस्कृत, गोवाहटी विश्वविद्यालय, आसाम, 1967 ।
7-	मेहरोत्रा ; एम0	:	ए स्टडी ऑफ दि एटीटूट्स ऑफ वूमैन स्टूडेन्ट्स, आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा, 1968 ।
8-	अहमद ; के0	:	सोशल बैकग्राउण्ड ऑफ वूमैन स्टडीईंग इन अण्डर ग्रेजुएट लेवल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली, 1968 ।
9-	चित्रा ; एम0एन0	:	दि सोशल बैकग्राउण्ड ऑफ सम अण्डर ग्रेजुऐट्स, मैसूर सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली, 1969 ।
10-	देसाई ; एस0डी0	:	ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ दि डेवलपमेन्ट ऑफ सेकैण्डरी एजूकेशन फार गर्ल्स इन गुजरात इट्स डिस्ट्री एण्ड प्रिजेन्ट डे प्रोब्लम्स, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, 1972 ।
11-	बॉकर ; डी0एस0	:	ए स्टडी ऑफ वूमैन स्टूडेन्ट्स वैल्यू गोल्स एण्ड कनफील्ट्स रिगारडिंग स्टडीज, बम्बई यूनिवर्सिटी, बम्बई, 1973 ।
12-	मेहता ; पी0	:	एटीटूट्स एण्ड च्वाइस ऑफ कालेज गर्ल्स इन राजस्थान, उदयपुर यूनिवर्सिटी, उदयपुर, 1974 ।
13-	बासु ; यू0	:	फीमेल एजूकेशन इन बिहार, पटना यूनिवर्सिटी, पटना, 1975 ।

14- इन्द्रकुमारी;एम : एजूकेशन एण्ड सोशल स्टेट्स ऑफ मुस्लिम वूमैन इन इण्डिया, केरल यूनिवर्सिटी, केरल 1976 ।

15- लखर ; बी0 : दि प्रोग्रेस ऑफ वूमैन एजूकेशन इन आसाम, गोवाहटी यूनिवर्सिटी आसाम 1976 ।

16- दास ; आर0 : वूमैन एजूकेशन इन आसाम, गोवाहटी यूनिवर्सिटी, 1976

17- मजूमदार ; वी0 : वूमैन एण्ड एजूकेशनल डेवलपमेन्ट, न्यू दिल्ली, 1981

18- भौतिक ; के0एल0 : दि डेवलपमेन्ट ऑफ सोशल एजूकेशन इन त्रिपुरा गोवाहटी यूनिवर्सिटी गोवाहटी 1981 ।

19- बाजपेई ; पुत्र ललित बिहारी : उ0 प्र0 में माध्यमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर 1918 ।

20- देसाई ; यू0एल0 : चेन्जस एण्ड ट्रेडिशन ऑफ वूमैन एजूकेशन गुजरात यूनिवर्सिटी , गुजरात 1948 ।

21- अग्रवाल ; राज : स्वतन्त्रता पश्चात बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का विकास एवं मूल्यांकन , कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर, 1986 ।

22- कक्कड़ ; ऊषा : दि हिस्ट्री एण्ड सर्वे ऑफ वूमैन एजूकेशन इन बुन्देलखण्ड पी0एच0डी0 एजूेशन, बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झाँसी, 1991 ।

23- गाँधी ; टी0आर0 : डेवलपमेन्ट ऑफ वूमैन्स एजूकेशन, गोवाहटी यूनिवर्सिटी, आसाम, 1991 ।

शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशन :-

1- रिपोर्ट ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन कमीशन, 1952-55 ।

2- एनुअल रीव्यूस ऑन एजूकेशन इन इण्डिया, 1947-87, 1980-1989 ।

*****

3- उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का विकास, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, 1973

4- सेकेण्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, एम.बी.वुच. सोसाइटी फार एजूकेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट बड़ौदा, 1979

5- थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन ए.बी.वुच, एन.सी.ई.आर.टी. अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली, 1987

6- फोर्थ सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन एम.बी.बुच, एन.सी.ई.आर.टी. अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली, 1981

अन्य प्रकाशन :

1- जनरल ऑफ हायर एजूकेशन - य.जी.सी. स्प्रिंग, 1990

2- जनरल आफ इण्डियन एजूकेशन - एन.सी.आर.टी., नई दिल्ली, मार्च,1990

3- रिसर्च जनरल ऑफ फिलासफी एण्ड सोशल साइंसेज, अनुबुक्स, शिवाजी रोड, मेरठ, जनवरी,1992

*****

परिशिष्ट

शोधकर्ता,

नीरज मिश्रा
एम0 ए0 (समाजशास्त्र)
सीतापुर ।

प्रिय महोदया / महोदय,

मैं डा0 एस0 बी0 खरया अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग बुन्देलखण्ड कालेज झाँसी के निर्देशन में पी0एच0डी0 उपाधि हेतु पंजीकृत हूँ ।

मेरे शोध का प्रकरण है -

" बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं के शैक्षिक पिछडेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन "

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु प्रयास तो किये हैं लेकिन अपेक्षित प्रगति दृष्टिगोचर नहीं हो रही है । मन्द गति से हो रही प्रगति के बारे मेंआपके विचार जानना अति आवश्यक है ।

आपके विचार मेरे शोध कार्य को पूरा करने में अत्यन्त उपयोगी होंगें, तथा इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी ।

सेवा में,

भवदीया,

(नीरज)

केवल शोध कार्य हेतु

प्रश्नावली

इन बालिकाओं में बुन्देलखण्ड सम्भाग में स्त्री शिक्षा के विकास को अवरूद्ध करने के कारणों का उल्लेख किया गया है ।

मैं इन कथनों के सम्बन्ध में आपकी सम्मति जानना चाहती हूँ ।

विशेषज्ञ अभिमत के लिए निर्धारित तीन विकल्प हैं आप जिस विकल्प पर सहमत हों उसी पर सही (✓) का चिन्ह लगाने का कष्ट करें ।

क्र.सं.	कथन	सहमत हूँ	असहमत हूँ	न सहमत हूँ / न असहमत हूँ
	सामाजिक कारण			
1-	बालिकाओं का बाल विवाह होना ।			
2-	बालिकाओं के विवाह में दहेज की समस्या होना ।			
3-	बालिकाओं के लिए पर्दाप्रथा का रिवाज होना ।			
4-	अत्यधिक शिक्षित बालिकाओं के लिए उपयुक्त वर ढूढ़ने में कठिनाई का होना ।			
5-	घरों में पारिवारिक कलह का होना ।			
6-	परिवार में अधिक बच्चे होना ।			
7-	बालिकाओं के माता-पिता का न होना ।			
8-	बालिकाओं के माता-पिता में समाजस्य न होना ।			
9-	बालिकाओं की घरेलू कार्यो में व्यस्तता होना ।			
10-	बालिकाओं के परिवार में निर्धनता होना ।			
11-	स्थान विशेष पर बालिकाओं के विद्यालयों का अभाव होना ।			
	शैक्षिक कारण			
12-	विद्यालय में उपस्थिति में अनियमितता होना ।			
13-	स्कूलों व बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों की कमी होना ।			
14-	बालिकाओं का पाठ्यक्रम का आधार कार्यानुभव होना चाहिए ।			
15-	माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम बालिकाओं की रूचियों क्षमताओं योग्यताओं एवं रूझानों के अनुरूप होना चाहिए ।			
16-	बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृहविज्ञान, गृहशिल्प, सिलाई संगीत आदि विषय होना चाहिए ।			
17-	कक्षाओं में अत्यधिक भीड़ होना ।			
18-	बालिकाओं के स्कूल का गाँव से दूर होना ।			
19-	माता - पिता का अशिक्षित होना ।			
20-	बालिकाओं के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालय में (सहशिक्षा) का होना ।			

(क्रमशः--2पर)

क्र.स.	कथन	सहमत हूँ	असहमत हूँ	न सहमत हूँ न असहमत हूँ
21-	प्राथमिक स्तर के पठन-पाठन का अपर्याप्त शिक्षण ।			
22-	बालिकाओ में अध्ययन के लिए रूचि न होना ।			
23-	खेल द्वारा पढ़ाने की तकनीके अपनाने में अध्यापक की असमर्थता ।			
24-	परीक्षाओं की दोषपूर्ण प्रणाली होना ।			
25-	सत्र के बीच में शिक्षक का स्थानान्तरण होना ।			
26-	बालिकाओं के लिए रोजगार पूरक शिक्षा का अभाव।			
27-	विद्यालयों में नये प्रवेश पूरे वर्ष चलते रहना ।			
28-	प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं में प्रशिक्षण और आवश्यक योग्यता का अभाव होना ।			
29-	शिक्षिकाओं का छात्राओं की समस्याओं का न समझना ।			
30-	विद्यालयों में शिक्षिकाओं का अभाव होना ।			
31-	विद्यालय में बैठने के स्थान का अभाव होना ।			
32-	बालिकाओं हेतु पाठ्यक्रम का जटिल होना ।			
33-	दोषयुक्त शिक्षा पद्धति का होना ।			
34-	अनुपयुक्त विद्यालयी वातावरण होना ।			
35-	शैक्षिक व्यवस्था का अनुपयुक्त होना ।			
	आर्थिक कारण			
36-	ग्रामीण जनता का अत्यधिक निर्धन होना ।			
37-	बालिकाओं के माँ-बाप का शिक्षा के खर्च को उठाने में असमर्थ होना ।			
38-	बालिकाओं की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का शैक्षिक कार्यो में उपयोग न होना ।			
39-	निःशुल्क पाठ्य सामग्री आदि का विद्यालयों द्वारा छात्रों को उपलब्ध न कराया जाना ।			
	अन्य कारण			
40-	शिक्षकों का कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव होना।			
41-	समाज द्वारा व्यवसायिक महिलाओं को हीन दृष्टि से देखना ।			
42-	स्त्रियों के लिए रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होना ।			

(क्रमशः----3पर)

क्र.सं.	कथन	सहमत हूँ	असहमत हूँ	न सहमत हूँ / न असहमत हूँ
43-	विद्यालयों में छात्राओं के लिये छात्रावास न होना ।			
44-	शिक्षिकाओं के लिए विद्यालयों में आवास का अभाव होना ।			
45-	विद्यालयों में खेलकूद की उचित व्यवस्था न होना ।			
46-	शैक्षिक अवसरों की असमानता होना ।			
47-	सार्वभौमिक शिक्षा का अभाव होना ।			
48-	पाठ्यक्रम का जीवन से असम्बद्ध होना ।			
49-	शिक्षिकाओं का शैक्षिक व्यवस्था से असन्तुष्ट होना।			
50-	स्त्री शिक्षा के प्रति पर्याप्त सामाजिक चेतना नहीं है ।			

उत्तरदाता का नाम -

उत्तरदाता के हस्ताक्षर -

आयु - योग्यता -

संस्था का नाम -

दिनॉक -